बृहस्पतिवार,
३ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विशेष शिकायत संगठन

*५५०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या विशेष शिकायत संगठन, जो १९४७ के अन्त में स्थापित किया गया था, कि कार्यप्रणाली का पुनरावलोकन और पुनः परीक्षण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संगठन विभाग का एक स्थायी अंग बना दिया गया है ; तथा

(ग) उक्त संगठन का वर्तमान ढांचा तथा विभिन्न सर्किलों में इसके कर्मचारीवर्ग का संख्याबल क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) नहीं, परन्तु एक शिकायत संगठन, परिवर्तित रूप में, रखा जा रहा है ।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८**]

श्री एस० एन० दास : इस संगठन की कार्यप्रणाली का पुनरावलोकन तथा पुनः परीक्षण करने पर किन महत्वपूर्ण बातों का पता चला है ?

श्री राज बहादुर : एक महत्वपूर्ण चीज तो यह पता चली है—और सरकार को भी इसका यकीन है—कि यह संगठन उपयोगी सिद्ध हुआ है और इससे एक ओर तो कर्मचारियों पर अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है और दूसरी ओर शिकायतें करने वाले लोगों को भी सन्तोष हुआ है ।

श्री एस० एन० दास : इस संगठन को मिलने वाली शिकायतों की औसत संख्या क्या रही है और औसतन प्रत्येक मास कितनी शिकायतें निपटायी गई हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं यह तो न बता सकूंगा कि इस संगठन ने सीधे ही कितनी शिकायतें निपटायीं; परन्तु इसकीदेखरेख में जितनी शिकायतें निपटायी गई उनकी

संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पिछले वर्ष की बाकी शिकायतें	इस वर्ष प्राप्त शिकायतें	वर्ष में निपटाई गई शिकायतें	विचाराधीन शिकायतें
सितम्बर ५० से अगस्त ५० तक	६५,५०४	४१७,२११	४३३,१५४	४९,५६१
सितम्बर ५१ से अगस्त ५२ तक	४९,५६१	४०९,४१३	४१९,०१७	३९,९५७
सितम्बर ५२ से अगस्त ५३ तक	३९,९५७	४०८,९९०	४१४,९१८	३४,०२९

मैं ने इसका निर्देश इस लिये किया क्योंकि इस संगठन को शिकायतों के मूल कारणों की भी जांच करनी पड़ती है और इन मूल कारणों को दूर करने के उपाय व तरीके ढूंढने पड़ते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह संगठन शिकायतों की संख्या कम करने का साधन रहा है ?

श्री राज बहादुर : यह तो आंकड़ों से ही स्पष्ट है । सितम्बर १९५० में पहले वर्ष की बाकी शिकायतों की संख्या ६५,५०४ थी । १९५३ के अंत में इनकी संख्या ३४,०२९ है । आयात भी कुछ कम हो गया है । परन्तु इसका कोई विशेष महत्व नहीं है ।

नौवहन

*५५१. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय व्यापारियों ने वर्ष १९५१ १९५२ और १९५३ में भारतीय नौवहन सेवाओं का कितना उपयोग किया ?

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन सेवाओं का भारतीय व्यापारियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

(ग) वर्ष १९५१, १९५२ और १९५३ में हमारे कुल आयात का कितना भाग 'जहाज-भाड़ा-सहित' (एफ० ओ० बी०) आधार पर आया और निर्यात का कितना भाग 'मूल्य-बीमा-भाड़ा' (सी० आई० एफ०) आधार पर भेजा गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९**].

(ख) सरकार के पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि भारतीय व्यापारी भारतीय नौवहन सेवाओं का यथासम्भव अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं ।

(ग) ठीक ठीक अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि भारतीय व्यापार आंकड़ों में समस्त आयात व्यापार का हिसाब 'मूल्य-बीमा-भाड़ा' (सी० आई० एफ़०) आधार पर तथा समस्त निर्यात व्यापार का 'जहाज़-भाड़ा-सहित' (एफ़० ओ० वी०) आधार पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९**]

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि भारतीय व्यापारी भारतीय नौवहन सेवाओं का उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना कि उन्हें करना चाहिये और इसके कारण भारतीय नौवहन सेवाओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने पहले बताया, हमारे पास प्राप्य जानकारी के अनुसार तो भारतीय व्यापारी भारतीय नौवहन सेवाओं का, यथासम्भव अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। शायद वे उनका उपयोग उसी अवस्था में नहीं करते जब कि निर्यात करने वाले पत्तनों पर जहाज़ तैयार ही न हों।

श्री एस० एन० दास : क्या आयात नियन्त्रण व्यवस्था उन आयातकों को रियायत देकर, जो भारतीय जहाजों का उपयोग करते हैं, भारतीय नौवहन को सहायता पहुंचा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : इस प्रयोजन के लिये आयात तथा निर्यात नियन्त्रण व्यवस्था का उपयोग तो जान बूझ कर नहीं किया गया है जिससे कि इसका अन्य देशों के मुकाबले विपरीत प्रभाव न पड़े।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या कोई ऐसे आंकड़े भी दिये जा सकते हैं जिनसे यह पता चल सके कि अब हम भारतीय जहाजों की कुल क्षमता से कितनी कम का उपयोग कर रहे हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास एक विवरण है जिससे यह पता चलता है कि पिछले छः मास की अवधि में कितनी बार जहाज आये गये और प्रत्येक बार कितना सामान लाया ले जाया गया। उससे यह भी पता चलता है कि भारतीय जहाज भारतीय पत्तनों से सन्तोषजनक मात्रा में सामान ले गये।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या सरकार के पास कोई ऐसी वैधानिक या प्रशासनिक शक्ति है जिसकी सहायता से वह भारतीय व्यापारियों को भारतीय जहाजों का उपयोग करने के लिये तैयार कर सके ?

श्री अलगेशन : जी नहीं। हमारे पास कोई ऐसी वैधानिक शक्ति नहीं है; परन्तु व्यापारियों से यह आशा की जाती है कि वे भारतीय जहाजों का ही प्रयोग करेंगे।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं जान सकता हू, श्रीमान् .....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

जापानी केबिल (तार) जांच समिति

*५५२. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जापानी केबिल (तार) समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख)। जापानी केबिल (तार) समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

पटसन अनुसंधान फार्म

*५५३. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार, जैसा कि हाल में भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा सुझाव दिया गया था, पटसन उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में पटसन अनुसंधान फ़ार्म खोलने का है ?

(ख) यदि हां, तो कितने फार्मों के खुलने की आशा है ?

(ग) ये फार्म कहां कहां और कब खोले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) तक। इस विषय पर समिति द्वारा दिये गये कुछ सुझावों पर भारत सरकार विचार कर रही है। इस

सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस समय देश के पटसन उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में कितने पटसन अनुसन्धान केन्द्र हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समिति ने ६ केन्द्र खोलने की सिफारिश की है ।

डा० राम सुभगसिंह : क्या इस समय भी कोई पटसन अनुसंधान केन्द्र है या नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारा मुख्य केन्द्र बैरकपुर में है, परन्तु वह केन्द्रीय पटसन समिति के अधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि इस पटसन अनुसधान केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले परामर्श के बावजूद भी पटसन का प्रति एकड़ उत्पादन प्रति वर्ष कम होता जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उसने हमें केवल कुछ अनुसंधान एवं विकास केन्द्र खोलने का सुझाव दिया है; अन्य बातों के सम्बन्ध में मे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या प्रस्तावित अनुसंधान फार्म उसी आधार पर बनाये जायेंगे जिस पर कि बिहार तथा बंगाल के कुछ भागों में इस समय है या किसी अन्य आधार पर ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वे भिन्न होंगे—अनुसंधान एवं विकास केन्द्र । प्रत्येक केन्द्र के साथ कोई ५० गांव सम्बद्ध रहेंगे और अनुसंधान के परिणाम इन गांवों में क्रियान्वित किये जायेंगे ।

श्री वी० पी० नायर उठे—

श्री एल० एन० मिश्र : इसका व्यय कौन उठायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री नायर ।

श्री वी० पी० नायर : इस योजना में कितने वैज्ञानिक काम करेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह अभी नहीं पता । सम्पूर्ण योजना अभी विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

माल द्वीप

*५५४. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मालद्वीप सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें वहां खाद्य संकट का निवारण करने में सहायता दी जाये ?

(ख) यदि की है, तो क्या भारत सरकार ने उन्हें इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, जी मान् ।

(ख) भारत सरकार ने उनकी आवश्यकताए पूर्ण करने की पेशकश की है परन्तु मालद्वीप सरकार ने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत सरकार ने उन्हें ऋण के आधार पर यह देने की पेशकश की थी अथवा मुफ्त देने की पेशकश की थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमारी प्रास्थापना यह थी कि उन्हें 'लाभ न हानि' के आधार पर अनाज दिया जायगा ।

टेलीफोन चालिकाएं

*५५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करें

कि टेलीफोन चालिकाओं को भर्ती करने का तरीका क्या है ?

(ख) इस पद के लिये निम्नतम शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं क्या निश्चित की गई हैं ?

(ग) पंजाब में टेलीफोन चालिकाओं की संख्या क्या है ?

(घ) इनमें से स्थायी कितनी है तथा अस्थायी कितनी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार इस पद के लिए बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती वैभागिक अधिकारियों के एक चुनाव बोर्ड द्वारा की जाती है। चुनाव की मुख्य कसौटी यह है कि किसी उम्मीदवार ने अपनी मैट्रिक परीक्षा में (गणित, भूगोल, अंग्रेजी तथा हिन्दी (अथवा प्रादेशिक भाषा) में कितने नम्बर लिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने शिक्षा सम्बन्धी उच्च अर्हताएं प्राप्त की हों अथवा जिन्हें टेलीफोन चालन में कुछ पूर्व अनुभव प्राप्त हो उन्हें कुछ अधिमान दिया जाता है।

(ख) उम्मीदवार ने मैट्रिक अथवा इसके बराबर की परीक्षा पास की हो।

(ग) पंजाब सर्कल में १४-१०-५३ को टेलीफोन चालिकाओं की कुल संख्या १४६ थी।

(घ) ८ स्थायी हैं तथा १३८ अस्थायी हैं।

श्री सी० डी० शर्मा : श्रीमान्, क्या चुनाव की एक ही विधि भारत के सभी राज्यों में अपनाई जाती है अथवा क्या पंजाब के लिए यह भिन्न है ?

श्री राज बहादुर : यह सभी जगह एक जैसी है।

श्री डी० सी० शर्मा : इन चालिकाओं की भर्ती करने के लिए कौन वैभागिक अधिकारी चुन लिए जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : नवीनतम नियम के अनुसार सर्कल प्रमुखों द्वारा यह चुनाव किया जायगा। यह मैट्रिक्युलेशन परीक्षा में प्राप्त नम्बरों के आधार पर होगा तथा उच्च अर्हताएं रखने वाले अधिकारियों को कुछ अधिमान दिया जायगा।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या चालकों के परिवार मुफ्त चिकित्सा के अधिकारी हैं तथा क्या चालिकाओं के सम्बन्ध में उनके पति भी इस श्रेणी में आ जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : यह इस बात पर निर्भर है कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं समझती हूं कि यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह निस्सन्देह महत्वपूर्ण है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह इस प्रश्न के अन्तर्गत आ भी जाता है ?

श्री डी० सी० शर्मा : स्थायी तथा अस्थायी चालिकाओं की संख्याओं में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री राज बहादुर : कई कारण हैं। एक यह है कि जिन कर्मचारियों ने पाकिस्तान में न रह कर भारत में सेवा करने की इच्छा प्रकट की थी जो कर्मचारी पेप्सू आदि राज्यों से लेने पड़े हैं उन्हें अभी उचित रूप से नियुक्त नहीं किया गया है तथा उनके सम्बन्ध में अभी कोई फैसला करना बाकी है। इसके अलावा हम ने १९५० में टेलीफोन एक्सचेंजों

में महिला चालिकाएँ भर्ती करने का निश्चय किया था । परन्तु बाद में हमें मालूम हुआ कि सभी शहरों तथा कस्बों में उनके रात के ठहरने आदि की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हम ने इस परियोजना को कार्यरूप देना बंद किया । इन प्रश्नों का अभी निर्णय ही नहीं हुआ था कि अस्थायी टेलीफोन चालिकाओं की संख्या बढ़ती गई है ।

सरकारी यात्रा संघटनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*५५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर १९५३ में लिज़बन में सरकारी यात्रा संघटनों का जो आठवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था क्या उस में भारत का प्रतिनिधि भी गया था ?

(ख) यदि गया था, तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में, विशेषकर भारत के सम्बन्ध में, किस कार्यवाही पर विचार हुआ ?

श्री अलगेशन : इस में कई बातें थीं । यदि माननीय सदस्य इसे चाहते हों तो मैं उन्हें यह दे सकता हूं । इस सम्मेलन में उन समस्याओं पर चर्चा की गई जिनका सम्बन्ध कि यात्रियों से था ।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत की ओर से जो प्रतिनिधि गया था क्या उसे मंत्रालय की ओर से कोई अनुदेश दिए गए थे ?

श्री अलगेशन : जी हां, उसे अनुदेश दिए गये थे ।

श्री डी० सी० शर्मा : उसे क्या अनुदेश दिए गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसे सदन पटल पर रख सकते हैं अथवा उन्हें प्राइवेट तौर पर दे सकते हैं ।

श्री अलगेशन : मैं उन्हें यह प्राइवेट तौर पर दे सकता हूं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य है कि इस संघटन की एक शाखा बम्बई में खोली जाने वाली है तथा यदि यह खोली जायगी तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सहायता देगी ?

श्री अलगेशन : दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की एक दूसरी शाखा है जिसका कि भारत अध्यक्ष था तथा जिसका कि जापान अब अध्यक्ष है । बम्बई में एक और कार्यालय खोलने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री डी० सी० शर्मा: एक प्रश्न, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : इसका समय बीत चुका है । मैं अब अगले प्रश्न को लेता हूं :

उत्तर रेलवे पर छादित प्लेटफार्म

*५५७. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **रेल** मंत्री उत्तर रेलवे पर स्थित उन रेलवे स्टेशनों के नाम बता सकते हैं, जहां कि वर्ष १९५३-५४ में प्लेटफार्मों पर सायबान लगाने की प्रस्थापना है ?

(ख) इनमें से कितने स्टेशन मुख्य लाइन पर स्थित हैं तथा कितने ब्रांच लाइनों पर स्थित हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) १९५३–५४ के निर्माण कार्यक्रम में उत्तरी रेलवे के कुल ५६ स्टेशन इस उद्देश्य के लिए शामिल कर लिए गए हैं तथा इनकी एक सूची सदन

पटल पर रख दी जाती है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]

(ख) मुख्य लाइन पर ३७ तथा ब्रांच लाइन पर १९ ।

श्री डी० सी० शर्मा : इन स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर सायबान लगाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? इन क्षेत्रों की जनता से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कैसे विचार किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : रेलवे प्रादेशिक उपभोक्ता समिति सूची बनाती है । उन्होंने यात्री सुविधा समिति नाम की एक उप-समिति नियुक्त की है जो कि यह सूची तैयार करती है । उस सूची के आधार पर काम हो रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस संबंध में मुख्य लाइन पर स्थित स्टेशनों की संख्या में तथा ब्रांच लाइन पर स्थित स्टेशनों की संख्या में इतना अंतर क्यों है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : क्योंकि मुख्य लाइन पर लोगों का आना जाना अधिक है ।

चीनी

*५५८. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० सितम्बर, १९५३ तक कितनी चीनी आयात की गई है ?

(ख) इसका कैसे वितरण हो रहा है ?

(ग) क्या यह देश भर में १२ आने सेर के आयात मूल्य पर वितरित किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) तक । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]

श्री के० पी० सिन्हा : क्या सरकार इस वर्ष दो लाख टन चीनी आयात करने का विचार रखती है ?

श्री० एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, हम २,३५,००० टन चीनी खरीदने का विचार रखते हैं । इस में से हम लगभग आधा कोटा पहले ही खरीद चुके हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या १९५४ में चीनी का उपभोग इसके उत्पादन से अधिक होगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : देश में चीनी का उपभोग बढ़ रहा है, इस तरह से गत वर्ष अथवा उस से पूर्व वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का उपभोग अधिक होने की आशा है ।

श्री नाना दास : क्या राज्य अपना कोटा वितरित करने के लिए स्वतंत्र है अथवा क्या सहकारी संस्थाओं को माल सीधे केन्द्रीय सरकार से मिलेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वितरण के तीन तरीके हैं । ज्योंही हमें बन्दरगाहों पर आयात की गई चीनी प्राप्त होती है तो पहला अधिमान उन राज्यों को दिया जाता है जो कि वितरण की जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्परता प्रकट करते हैं । दूसरा अधिमान सहकारी संस्थाओं को दिया जाता है तथा अन्त में हम यह व्यापारियों को दे देते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ट्रान्सपोर्ट चार्ज़ेज़ को ले कर हिन्दुस्तान में यह कितने में पड़ती है और कितने में बेची जाती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हिन्दुस्तान में बारह लाख टन पैदा होती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं ने पूछा था कि .....

अध्यक्ष महोदय : श्री केलप्पन ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार शक्कर आयात करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है जिस से कि यहां चीनी साफ करने वाले कारखानों को कुछ काम मिल सके ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । साफ करने का काम इंगलैंड तथा अन्य स्थानों पर होता है । परन्तु यहां व्यापारियों का कहना है कि शक्कर को आयात करके इसे चीनी में परिवर्तित करना लाभप्रद नहीं है ।

संयक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विशेष बाल सहायता कोष द्वारा सहायता

*५५९. **सरदार हुक्म सह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलानें की कृपा करेंगी कि एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना के लिये भारत सरकार ने ४,४५,००० रुपए के मूल्य के सामान की जो प्रार्थना संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विशेष बाल सहायता कोष से की थी उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमतीचन्द्रशेखर): मामला अभी संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विशेष बाल सहायता कोष के विचाराधीन है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस प्रार्थना के स्वीकार हो जाने तक प्रतीक्षा करेगी अथवा इस अनुदान के बाबजूद भी उक्त ब्यूरो को एक छोटे रूप में स्थापित करेंगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस समय एक संशोधित योजना भी है जो कि मंत्रालय के विचाराधीन है।

सरदार हुक्म सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष से हमने जो अनुदान मांगा है वह ब्यूरो के सारे सामान के लिये पूरा होगा अथवा भारत सरकार को भी उसके लिये कुछ खर्च करना पड़ेगा ?

श्री मती चन्द्रशेखर : वास्तव में इस कार्य के लिये पंच वर्षीय योजना में १२.७५ लाख रुपये की राशि उपबन्धित है, और यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष से हम कोई सामान नहीं भी मिला तो भी हम संशोधित योजना के अनुसार इस राशि का उपयोग करेंगे।

बी० सी० जी० टीका आन्दोलन

*५६०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि मई १९५३ से अक्तूबर १९५३ तक कितने व्यक्ति क्षय-परीक्षित किये जा चुके और कितनों के बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : १ मई, १९५३ से १ अक्तूबर, १९५३ तक उक्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

परीक्षण किये गए	६,१९६,३४८
बी० सी. जी. का टीका लगाए गए	१,८७९,३०३

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि देश के सभी राज्यों ने इस आन्दोलन में भाग लिया है अथवा अब भी कोई राज्य इसका अपवाद है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हों ने इस में भाग नहीं लिया है।

सरदार हुक्म सिंह : सन् १९५३ में कितने दल इस कार्य में लगे हुए थे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रत्येक राज्य में दलों की संख्या अपनी अपनी आवश्यकतानुसार है, मेरे पास इसके पृथक-पृथक आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

नीरा-गुड़ उद्योग

*५६१. **श्री राधा रमण** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में नीरा-गुड़ उद्योग चल रहा है ?

(ख) नीरा-गुड़ का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

(ग) क्या नीरा के गुड़ का पोषण-तत्व गन्ने के गुड़ के ही बराबर है ?

(घ) शक्कर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, क्या सरकार का इस कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नीरा-गुड़ उद्योग अजमेर, बिहार, बम्बई, भोपाल, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में यह उद्योग प्रचलित है ।

(ख) वार्षिक उत्पादन के ठीक-ठीक आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

श्री राधा रमण : क्या मैं राज्यवार नीरा-गुड़ का उपभोग जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं केवल मोटे आंकड़े दे सकता हूं । मोटे अनुमान के अनुसार भारत में नीरा के गुड़ का वार्षिक उत्पादन लगभग ५०,००० टन है । इसमें से लगभग २,५०० टन लंका को निर्यात कर दिया जाता है । शेष भारत में प्रयुक्त होता है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि नीरा का गुड़ भारत में किन प्रयोजनों में प्रयुक्त हो रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह दवाओं के काम में प्रयुक्त होता है और राब के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है ।

समुद्री मीन-क्षेत्र

*५६२. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) टेकनीकल सहकार समझौते के अन्तर्गत समुद्री मीन-क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिये अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) समुद्री मीन-क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एस० वी० कृष्णप्पा) : (क) २,०१४,६९९ डालर के सामान तथा टेक्नीशियनों की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२**]

श्री गोपाल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि सामान तथा टेकनीशियनों को इतने बड़े पैमाने पर प्राप्त करने से पूर्व, यह मालूम करने के लिये कि समुद्री मछलियों की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी, कोई परिमाप किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस परियोजना के अंतर्गत परिमाप किया जाना भी एक मद है तथा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है ।

श्री गोपाल राव : विवरण में बतलाया गया है कि कुछ सामान आ चुका है तथा टेकनीशियन लोग बम्बई डीप सी फिशिंग स्टेशन में कार्य कर रहे हैं । बम्बई डीप सी फिशिंग स्टेशन सन् १९४७ से कार्य कर रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि सामान और टेकनीशियनों के आने से पूर्व सरकार ने इस स्टेशन का

अनुभव ध्यान में रखा है, और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह प्रयोग सफल हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भारत में कोई बुल-ट्रालिंग नहीं है । यह एक नई चीज़ है । परियोजना में यह भी एक मद है—बुल-ट्रालिंग द्वारा मछली पकड़ना । इसलिए माननीय सदस्य ने बम्बई में प्रचलित जिस प्रणाली का निर्देश किया वह उस समय नहीं थी । हमारे पास दो नावें थीं—'अशोक' और 'प्रताप' । वे सामान्य ट्रालिंग द्वारा मछली पकड़ने में प्रयुक्त किये जाते थे । यह बुल-ट्रालिंग भारत में एक नई चीज़ है तथा हमने जापान से चार टेकनीशियन आयात किये हैं जो सारा कार्य कर रहे हैं ।

श्री गोपाल राव : चूंकि बाहर से टेकनीशियनों का मंगाना बहुत मंहगा है, क्या भारतीयों को इसमें प्रतिशित करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इन टेकनीशियनों को यथाशीघ्र ही वापस भेजना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

गहरे पानी में मछली पकड़ना

*५६३. **श्री पुन्नूस :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि त्रावनकोर-कोचीन के निकट, पच्छिमी घाट पर एक प्राईवेट कम्पनी व्यापारिक आधार पर गहरे जल में मछली पकड़ना प्रारम्भ करने वाली है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार के इस कम्पनी में कुछ शेयर हैं ?

(ग) सरकार का इस कम्पनी को क्या सहायता देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कम्पनी ने त्रावनकोर-कोचीन सरकार के जरिए भारत सरकार से टेकनीकल सहकार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत टेकनीशियनों तथा सामान के रूप में तथा अधिक अन्न उपजाओ कोष में से ऋण के रूप में सहायता देने की प्रार्थना की है । भारत सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि कम्पनी नें कितनी राशि मांगी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उसने कई चीज़ें मांगी हैं । मैं इन्हें पढ़े देता हूं :

(१) एक १३० फीट का इस्पात का ट्रालर

(२) दो छोटे पोल ।

(३) मछली पकड़ने में प्रयुक्त होने वाला टैकिल तथा गीयर ।

(४) दोनों छोटे पोतों को परिचालित करने के लिए चार टेकनीशियन ।

(५) दो जापानी टेकनीशियन ।

(६) ६ लाख रुपए की कार्यवाहक पूंजी ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य नहीं है कि कोई बड़ा पोत न होने के कारण यह कम्पनी केवल बम्बई के पास ही के समुद्र में अपना कार्य कर सकती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यही कारण है कि वह भारत सरकार से बड़े पोत और टेकनीशियन मांग रही है । चूंकि यह एक नई कम्पनी है और हम पहली बार ही एक प्राइवेट कम्पनी को सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं, समस्त प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि इस समय जो भी थोडा-बहुत गहरे जल में मछली पकड़ने का काम है वह कम्पनी द्वारा बम्बई के तट से दूर किया जाता है और इस में भारी खर्चा होता है ? क्या में यह भी जान सकता हूं कि बड़े पोत की मांग पर जिससे कि वृहत्तर क्षेत्र में मछली पकड़ना सम्भव हो सकेगा, सरकार का विचार किया जाना किस प्रक्रम पर है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चूंकि इस कम्पनी का प्रबन्ध त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, हम इस कम्पनी को अधिक अन्न उपजाओ कोष में से आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

श्री ए० एम० टामस : गत सत्र के दौरान में माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि माननीय मंत्री द्वारा अभी ज़िक्र किया गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । क्या राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की है, और केन्द्र के निर्णय में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : स्वयं राज्य सरकार ने ही यह प्रस्ताव किया है क्योंकि कम्पनी का प्रबन्ध सरकार द्वारा ले लिया गया है । अब तक सरकार ने किसी प्राइवेट कम्पनी को सामान्य कोष में से सहायता नहीं दी है । चूंकि कम्पनी की मांग बहुत बड़ी है, इसलिए समस्त प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम शीघ्र ही इस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री पुन्नूस : त्रावनकोर-कोचीन सरकार का इसमें कितना विनियोजन है और केन्द्र की सहायता के अभाव में कम्पनी को कितनी हानि सहनी पड़ती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमें केवल यही मालूम है कि यह कम्पनी दस वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई थी । इसमें २५ लाख रुपया विनियोजित किया गया था और त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने ५ लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं । चूंकि यह प्राइवेट कम्पनी है, इस बारे में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

समुद्र का कटाव

***५६४. श्री पुन्नूस :** (क) **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि समुद्र द्वारा कटाव बढ़ने के कारण कोचीन बंदरगाह खतरे में पड़ गया है ?

(ख) यदि सच है, तो सरकार इस विषय में तुरन्त क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पुन्नूस : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कोचीन पोतागार के मुख्य वास्तुविशारद ने कहा है कि यह कटाव आगे चलकर पोतागार के लिए खतरनाक सिद्ध होगा ?

श्री शाहनवाज खां : हमने इस बात की पूरी पूरी पड़ताल कराई थी और हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि यह कटाव अनिरुद्ध रूप से चलता रहा, तब भी आगामी ३०० वर्षों तक बंदरगाह को कोई खतरा नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच है कि वायवीन में, जो पोतागार से २-३ मील दूर है और चेलानम तथा अन्य स्थानों में, जो १० मील दूर हैं, समुद्र कटाव कर रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : वह ठीक है । श्रीमान् मुख्य पोतागार और समुद्र के बीच जमीन का बहुत संकरा टुकड़ा है । उसमें कटाव होता है । पर कटाव वर्ष में तीन महीने ही होता है, और नौ महीने मिट्टी जमती है, और सब मिला कर समुद्र कुछ ले जाने के स्थान पर कुछ दे ही जाता है ।

श्री पुन्नूस : एक प्रश्न और ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

अमोनियम सल्फेट

*५६५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी धान के खेतों में अमोनियम सल्फेट के प्रयोग का फल ;

(ख) कितने मामलों में उसी धान के खेत में लगातार वर्षों में अमोनियम सल्फेट के अलावा किसी और उर्वरक का प्रयोग नहीं किया गया था ;

(ग) वर्ष वार उत्पादन विषयक प्रतिफल ; तथा

(घ) क्या खेतों में अमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरकों के प्रयोग के तरीके का पता किसानों को चल रहा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अमोनियम सल्फेट के प्रयोग की खूब जांच की गई है और फलस्वरूप पता चला है कि आसाम जैसी अत्यधिक अम्ल मिट्टी को छोड़कर और सब जगह उपज में २५-३० प्रति शत की वृद्धि हुई है।

(ख) इस दिशा में सभी प्रयोगों में एकमात्र अमोनियम सल्फेट के और अन्य उर्वरकों के साथ उसके संमिश्रित रूप के बीच उसी क्षेत्र में चार लगातार वर्षों तक की तुलना की गई है ।

(ग) एक विवरण, जिस में विगत चार वर्षों की दो दीर्घकालीन स्थायी खाद संबन्धी निरंतर जांचों के फल बताए गए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(घ) टकनीकल सहयोग सहायता परियोजनाओं के अधीन आयातित अमोनियम सल्फेट समेत विभिन्न उर्वरकों का सविधि और विस्तृत प्रयोग किसानों के खेतों में किया जा रहा है, जिस से उनका उपयोग और महत्व समझाया जा सके ।

श्री एस० सी० सामन्त : (ग) के निर्देश में चार वर्ष का एक विवरण दिया गया है । मैं जान सकता हूं कि उसमें खाद तथा अन्य चीज़ें भी दी गई थीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं श्रीमान्, इसमें केवल अमोनियम सल्फेट के प्रयोग के परिणाम दिए गए हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण के अनुसार खाद न देने से उपज १८८४ पौंड थीं और ४०० पौंड अमोनियम सल्फेट देने के बाद वह २०६४ पौंड हो गई, तो मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अमोनियम सल्फेट को अन्य उर्वरकों के साथ मिलाने का कोई अन्य तरीका खोजा है, जिस से उपज बढ़ सके ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, श्रीमान् । अनुभव द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि अकेले अमोनियम सल्फेट के प्रयोग के स्थान पर यदि हम अमोनियम सल्फेट-सुपर फौस्फेट-हड्डी चूरा तथा भारत म उपलब्ध अन्य चूरों के एक मिश्रण का प्रयोग करें, तो उपज बढ़ जाए और मिट्टी की पोष्य तत्व सबंधी कमी भी कम हो जाए।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि अमोनियम सल्फेट के फलस्वरूप पहले कुछ वर्ष उपज बढ़ती है, पर पीछे इसके कारण मिट्टी बिगड़ जाती है ? क्या इसकी कुछ जांच की गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, वस्तुत: उर्वरकों के उपयोग के बारे में मतभेद है । पर यह सरकारी विभाग के सामान्य कार्यक्रम का

अंग है। हम पूसा इंस्टीट्यूट तथा अन्य स्थानों पर इसकी जांच कर रहे हैं और यह सिद्ध हुआ है कि अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। बात यही है कि उचित अर्थात् उपयुक्त मात्रा में उपयोग किया जाए। २०० पौंड प्रति एकड़ तक उपयोग करने से उपज बढ़ेगी। और इससे अधिक उपयोग करने पर उपज घटती है; यह सिद्ध हो चुका है।

पशु-संरक्षण

*५६६. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पशु-संरक्षण के सम्बन्ध में भारत गोसेवक समाज का एक शिष्ट मंडल २७ अगस्त, १९५३ को दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिला था और उसने उनको देश की पशु सम्पत्ति के संरक्षण और उपयोग के विषय में सुझाव दिए थे;

(ख) यदि सच है, तो शिष्टमंडल द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे; तथा

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां।

(ख) शिष्टमंडल ने पशुहत्या के बिल-कुल निषेध पर जोर दिया और यह अनुरोध किया कि पशु-सुधार और नस्ल-सुधार के विषय में राज्यों द्वारा अपनाए जाने के प्रयोजन से एक निश्चित योजना बनाई जाए।

(ग) उपयोगी पशुओं के संरक्षण और सुधार के लिये उपाय अपनाए जा रहे हैं। शिष्टमंडल की मुख्य मांग के विषय में कि पशु हत्या का बिल्कुल निषेध हो, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री दाभी : शिष्ट मडल की मांग स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्। हमें इस समस्या के वैद्य तथा आर्थिक आलेपनों पर विचार करना होगा। मान लो, हम आज उपयोगी और अनुपयोगी सभी पशुओं की हत्या का निषेध कर देते हैं, तो देश में लगभग डेढ़ करोड़ अनुपयोगी पशु हैं, तो हमारे सामने यह समस्या हो जाएगी कि उनका क्या किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से हमें ये सारे विवरण नहीं लेने चाहिऐ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकारों को एक परिचालन-पत्र भेजा है, और यदि सच है तो उसमें क्या बात है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, राज्य कृषि मन्त्री सम्मेलन में इस पर पूरा-पूरा विचार हुआ था और उन्होंने अपना अपना मत अभिव्यक्त किया था। कुछ राज्यों में पहले से ही सभी पशुओं की हत्या का पूर्ण निषेध है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या संविधान के अनुच्छेद ४८ के अनुसार गोहत्या निषेध सरकार की नीति नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसका दूसरा अर्थ भी है। उनका कहना है कि .....

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब हम तर्क कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : योजना आयोग ने इसका एक विषेश अर्थ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम बहस नहीं कर रहे हैं। अनेक प्रकार के तर्क हैं। अब बाबू राम नारायण सिंह अपना प्रश्न पूछें।

बाबू राम नारायण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पशु-रक्षा में गोवध निषेध शामिल है या नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं, श्रीमान्।

बम्बई राज्य में नल-कूप

*५६७. **श्री दाभी :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नैशनल टयूब-वैल कंपनी के साथ उत्तर गुजरात में नल-कूप बनाने के लिये हुए ठेके को सरकार ने तोड़ दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) उत्तर-गूजरात में नल-कूप बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक बम्बई सरकार को ऋण के रूप में कितनी राशि दी है ?

(घ) ऋण में से नेशनल टयूब-वेल कंपनी को अब तक कितनी राशि दी गई है?

(ङ) कंपनी द्वारा कितने ऐसे नल-कूप बनाए गए हैं, जो सफल रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां।

(ख) ठेकेदारों का असंतोषजनक काम और उनका ठेके के दायित्वों को मानने से इनकार कर देना।

(ग) ४० लाख रुपए।

(घ) ५८.६८ लाख रुपए।

(ङ) २० कुएं।

श्री दाभी : इस कंपनी ने ऐसे कितने कुओं में बरमा चलाया था जो असफल रहे, और उन पर कितनी राशि का व्यय हुआ ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने सब मिला कर २६ कुओं में बरमा चलाया और इस में से.....

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है, और मैं गलती नहीं करता, तो यह बंबई सरकार का उत्तरदायित्व है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हां, श्रीमान्।

श्रीमती ए० काले : ठेका पूरा न करने के लिए ठेकेदारों पर भारी जुरमाना किया गया है या नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह भी बंबई सरकार का उत्तरदायित्व है। हमें तो ऋण वसूल करने से ही मतलब है।

श्री सारंगधर दास : क्या यह वही कंपनी है, जिसके हेतु बंबई सरकार भारत सरकार से ऋण मांग रही थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, यह नैशनल ट्यूब-वेल कंपनी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वही कंपनी है जिसके लिए बबई सरकार ने ऋण मांगा था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ऋण मांगते समय उसने ठेकेदारों के नाम नहीं बताए थे; उसने यही कहा था कि वह दो करोड़ रुपये का ऋण चाहती है।

भूतपूव आसाम रेलवे के रहने के मकान

*५६८. **चौ० रणवीर सिंह :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व आसाम रेलवे के रहने के मकानों के लिये समूहीकृत किराये को निर्धारित करने के प्रश्न को अन्तिम रूप से तय कर दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे में जिसकी भूतपूर्व आसाम रेलवे अब एक भाग है, भूतपर्व आसाम बगाल रेलवे, भूतपूर्व दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, भूतपूर्व डिब्रू सदिया

रेलवे आदि विभिन्न पुरानी रेलवे थीं, जिनमें दिये गये मकान तथा वसूल किया गया किराया पुरानी कम्पनी के शासन के अन्तर्गत भिन्न भिन्न होते थे। अब समूहीकृत किराये भूत-पूर्व आसाम रेलवे के लिये निर्धारित नहीं करने हैं किन्तु पूरी पूर्वोत्तर रेलवे के लिये एक समान आधार पर निर्धारित करने हैं और यह काम पहिले से ही हो रहा है।

केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशें

*५६९. **श्री पुन्नूस :** (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि किद्दरपुर के पत्तन आयुक्त के वर्कशाप के कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में वर्कशाप के मजदूरों ने अधिकारियों से बार बार अभिवेदन किये हैं ?

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कलकत्ता पत्तन आयुक्त केन्द्रीय वेतन आयोग की सिपारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग की रिपोर्ट उन्हें भेज दी गई थी और उन्होंने आयोग की सिपारिशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में परिवर्तन किये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इन अभिवेदनों पर विचार करने के लिये पत्तन आयुक्तों ने एक समिति नियुक्त की है।

श्री पुन्नूस : श्रीमान् जी, एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन सिपारिशों को लागू किया गया था। उनका उत्तर यह है कि वे ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पूरे उत्तर पर ध्यान दें तो आपको मालूम हो जायगा कि उन्होंने उन सिपारिशों को ध्यान में रखा है और कुछ सीमा तक उन्हीं के अनुसार काम किया है।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि वे कौन सी सिपारिशें थीं जिन्हें लागू नहीं किया गया था और मज़दूरों की क्या मांगें थीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि एक बड़ा प्रश्न है।

श्री पुन्नूस : इस प्रकार का एक विशेष मामला था; उसके बारे में झगड़ा था।

अध्यक्ष महोदय : आपको कौनसी सूचना चाहिये।

श्री पुन्नूस : मैं यह जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग की किन सिपारिशों के लागू किये जाने की मांग की गई थी ?

श्री अलगशन : जैसा कि आपने कहा यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात और जानना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त कानूनी रूप से पृथक् अधिकारीगण हैं।

श्री अलगेशन : यह ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें इस सविहित निकाय के कार्य सम्पादन के विस्तार में नहीं जाना चाहिये।

देशी औषध प्रणाली की केन्द्रीय अनुसंधान संस्था

*५७०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामनगर स्थित देशी औष

प्रणाली की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; तथा

(ग) अनसन्धान संस्था समिति की कितनी बार तथा कब बैठक हुई और उसकी क्या सिफारिशें थीं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इस संस्था के लिये जिन इमारतों की ज़रूरत है उन्हें सौराष्ट्र सरकार से अभी हाल ही में लिया गया है और इनमें कुछ और बनने तथा आवश्यक अदल बदल और मरम्मत करने के सम्बन्ध में कार्य किये जा रहे हैं । आवश्यक सामग्री तथा उपकरण के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं ।

(ख) इसका संचालक पहिले से ही नियुक्त कर दिया गया है । कुछ टैक्निकल कर्मचारी, जैसा कि सम्बद्ध विवरण में दिया हुआ है, चुन लिये गये हैं और उन्हें शीघ्र ही नियुक्त किया जायगा । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

जब टैक्निकल कर्मचारी कार्य पर लग जायेंगे तो सहायक कर्मचरियों को भी यथाशीघ्र नियुक्त किया जायगा ।

(ग) संस्था के शासी निकाय की तीन बार बैठक हुई है और वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद् की बैठक केवल एक बार हुई है । शासी निकाय ने संगठन सम्बन्धी मामलों पर विचार किया तथा वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद् ने चालू वर्ष के लिये एक कार्यक्रम बनाया है और इसने आयुर्वेदिक औषधियों की चिकित्सा सम्बन्धी जांच के लिये एक प्रक्रिया की भी सिफारिश की ।

श्री एस० सी० सांमन्त : मैं जान सकता हूं कि इस संस्था को अपना कार्य आरम्भ करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह संस्था स्थापित हो गई है और इसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है किन्तु टैक्निकल कर्मचारी अभी तक काम पर नहीं लगे हैं । जैसे ही वे काम पर लग जायेंगे, संस्था का कार्य आरम्भ हो जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं तो यह जानना चाहता था कि इसे स्थापित करने में क्या कठिनाइयां थीं क्योंकि इसको खोलने का प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व किया गया था ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस संस्था को किसी अन्य अस्पताल में स्थापित करना पड़ा था और उन लोगों को वैकल्पिक आवास स्थान ढूंढना पड़ा था । उन्हें वैकल्पिक आवास स्थान ढूंढने में कुछ समय लगा और इसीलिये यह देरी हुई ।

तिब्बत की सड़क

***५७१. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत को जाने वाली सड़क जो हिमाचल प्रदेश में नारकंडा से चीनी तक है, का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो लम्बाई में यह सड़क कितने मील तक बनाई गई है;

(ग) इस सड़क निर्माण का अनुमानित व्यय कितना है;

(घ) क्या भारत सरकार इसका पूरा खर्च उठायेगी ; तथा

(ङ) कितने पुल बनाये जायेंगे और उन पर कितना खर्च होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह अभी बिल्कुल भी नहीं बनी है । इसकी पूरी लम्बाई में एक दो फीट चौड़ी पट्टी काटी गई है ।

इसे अब ६ फीट तक चौड़ा किया जा रहा है जिससे कि पहिले इस पर खच्चर आ जा सकें। ऐसा विचार है कि इस सड़क को ऐसा बना दिया जाय जिससे अगले कुछ वर्षों में इस पूरी सड़क पर मोटर चल सकें ।

(ग) लगभग २४५ लाख रुपये ।

(घ) जी हां ।

(ङ) तेरह पुल तथा बहुत सी पुलियां बनाई जायेंगी जिन पर लगभग ५० लाख रुपये का अनुमानित व्यय होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि यह सड़क तिब्बत सीमा के साथ साथ कितनी लम्बाई में बनाई जायेगी ?

श्री अलगेशन : इसका सम्बन्ध नारकंडा तथा चीनी के बीच की सड़क से है ; इसकी पूरी लम्बाई १४३ मील है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस सड़क की कितनी लम्बाई भारत-तिब्बत सीमा में है ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सका । हम इस सड़क को अपनी सीमा में बना रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लेने के पहिले या बाद में बनाई गई थी ?

श्री अलगेशन : मैं यह नहीं बता सकता कि यह योजना पहिले या बाद में बनाई गई थी। किन्तु हम इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं ।

चावल की खेती की जापानी प्रणाली

*५७४. **श्री एल० एन० मिश्र :** **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चावल की खेती की जापानी प्रणाली को फैलाने के लिये और इस आन्दोलन को वेग से चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्य किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि खेती की इस प्रणाली के लिये अधिक पूंजी की आवश्यकता है, और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का खेती की इस प्रणाली को आर्थिक सहायता देने के विचार हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सामान्य रीति से की जाने वाली खेती के खर्च और जापानी प्रणाली से की जाने वाली खेती के खर्च में बहुत कम फर्क है : यह लगभग ५० या १०० रुपये है। ऐसे कुछ किसान हैं जो इस बात का खण्डन करने के लिये तय्यार हैं कि जापानी प्रणाली से की जाने वाली खेती में सामान्य रीति से की जाने वाली खेती की अपेक्षा अधिक खर्च होता है । सामान्य रीति से की जाने वाली खेती में प्रति एकड़ के लिये ५० सेर बीज चाहिये जब कि जापानी प्रणाली से की जाने वाली खेती के लिये केवल आठ सेर बीज चाहिये । अतः बीज के मामले में बचत होती है । जापानी प्रणाली में नराना भी आवश्यक नहीं होता इसलिये नराने के मामले में भी बचत होती है । यदि आप ज्यादा धन लगायेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि किस राज्य में जापानी प्रणाली से की जाने वाली खेती सब से अधिक लोक प्रिय हुई है और किस राज्य में यह लोक प्रिय नहीं हुई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : निस्सन्देह, यह बड़ी लोक प्रिय हुई है । किन्तु यदि यह लोक प्रिय नहीं हो सकी है, तो वहां की जमीन में कुछ खराबी होगी या और कोई अन्य खराबी होगी ।

श्री कानूनगो : इस प्रणाली की सफलत या असफलता के बारे में सरकार को कितने केन्द्रों से रिपोर्टें मिली हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: सभी राज्यों से रिपोर्टें आई हैं जिन से यह मालूम हुआ कि यह बहुत ही सफल रही है। कहीं कहीं तो इस प्रणाली की खेती में हमारी सामान्य फसल से तिगनी चौगुनी फसल हुई है।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

श्री कानूनगो: मैंने केन्द्रों की संख्या पूछी थी।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

रेलवे कर्मचारियों की मांगों के की जांच के लिये अधिकरण

*५७५. **श्री गिडवानी:** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे कर्मचारियों की मांगों की जांच करने के लिये बनाये गए अधिकरण की बैठक को दो बार स्थगित करना पड़ा है?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) अधिकरण अपना काम कब आरम्भ करेगा?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) क्यों कि बहुत से मज़दूर-संघों ने रेलवे मज़दूर संघ से कहा था कि आवश्यक सामग्री जमा करने तथा अपना मामला तैयार करने के लिये उन्हें काफी समय प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आशा की जाती है कि वह अपना काम अगले ही कुछ सप्ताहों में आरम्भ कर देगा।

श्री गिडवानी: इसके निर्देश पद क्या हैं?

श्री अलगेशन: निर्देश के पद सदन पटल पर रखे जा चुके हैं। उनमें पांच बातें हैं। यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं उन्हें पढ़ भी सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि उसे सदन पटल पर रख दिया गया है तो माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं।

श्री मुनिस्वामी: क्या यह अधिकरण वेतन श्रेणियों के पुनरीक्षण पर भी विचार करेगा?

श्री अलगेशन: मैं निर्देश का पहला पद पढ़ता हूं। यह इस प्रकार है: "संयुक्त सलाहकार कमेटी की सिफारिश के फलस्वरूप कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों की वेतन श्रेणियों के पुनः वितरण का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।" यह निर्देश का पहला पद है।

अन्तर्देशीय नौवहन

*५७६. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्देशीय नौवहन के संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल विशेषज्ञ ने, जो अक्तूबर १९५२ में आये थे, कोई रिपोर्ट दी है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल सहायता प्रशासन ने, जिसको कि रिपोर्ट दी गई है, अभी तक उसे प्रकाशित नहीं किया है। जब छपी हुई प्रतियां प्राप्त हो जायेंगी तो एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी: अभी तक किन किन नदियों का अन्वेषण हो चुका है?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): पायलट स्कीम द्वारा अन्वेषण तो शुरू होने वाला है।

पंडित डी० एन० तिवारी क्या गंगा नदी का अन्वेषण बनारस से पटना तक है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : बनारस से नहीं, इलाहाबाद से पटना तक का है ।

अभ्रक

*५७७. **श्री नानादास :** (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अभ्रक उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों को रोज़ाना मज़दूरी पर रखा जाता है जिससे रविवार के लिये मज़दूरी न देनी पड़े ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रणाली में सुधार करने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है जिससे मज़दूरों को रविवार तथा अन्य छुट्टियों के लिये भी मज़दूरी मिल सके ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अभ्रक उद्योग में काम करने वाले मज़दूर न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, १९४८ तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में आ जाते हैं जिनके अनुसार मज़दूरी सहित सप्ताह में एक छुट्टी की व्यवस्था की गई है, चाहे मज़दूर रोज़ाना मज़दूरी पर काम करते हों या नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नानादास : क्या कोई केन्द्रीय संगठन भी है जो इस मामले में देखभाल करे तथा यह देखे कि मालिक मज़दूरों को धोका नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : "धोखा न दें ?" उन्हें और शब्दों का प्रयोग करना चाहिये ।

श्री नानादास : .....मज़दूरों को उनकी साप्ताहिक मज़दूरी से वंचित नहीं रखते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

श्री के० के० बसु : क्या मज़दूरों की ओर से भेजे गये अभिवेदन मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं ? ऐसे भी मामले हैं जिनमें मालिक न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं करते ।

श्री वी० वी० गिरि : २२ शिकायतें हैं । उनकी जांच की जा रही है तथा कुछ मामलों में सरकार का विचार मुकदमा चलाने का है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह कौन सी प्रशासनीय व्यवस्था है जो इन शिकायतों को देखती है ?

श्री वी० वी० गिरि : प्रादेशिक श्रम संगठन के निरीक्षक ।

श्री नानादास : गुडुर अभ्रक क्षेत्र में ऐसे कितने निरीक्षक हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं निरीक्षकों की ठीक ठीक संख्या नहीं बतला सकता किन्तु कुछ निरीक्षक वहां पर हैं ।

भूहीन खेतिहर मजदूर

*५७८. **श्री नानादास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भूहीन खेतिहर मज़दूरों के लिये केन्द्रीय सरकार ने पुनर्वास की कौन कौन सी योजनायें बनाई हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये अलग उठा कर रखी गई दो करोड़ रुपये की राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; तथा

(ग) इसे किस प्रकार व्यय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अब तक भारत सरकार ने भोपाल राज्य में भूहीन खेतिहर मज़दूरों को

फिर से बसाने की केवल एक योजना को मंजूर किया है। इसमें भूहीन मज़दूरों के १००० परिवारों को फिर से बसाने की व्यवस्था है तथा इसे हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) योजना के औपचारिक रूप से मंजूर किये जाने तक, चालू रबी की फसल में फार्म की १,४६० एकड़ भूमि पर खेती के प्रारम्भिक खर्चे के लिये ५०,००० रुपये मंजूर कर दिये गये हैं।

श्री नानादास : केन्द्रों को चुनने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : किसी भी प्रक्रिया का अनसरण नहीं किया जाता। हम केवल १०,००० एकड़ भूमि चाहते हैं। इस समय इतनी ही भूमि को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद समझा जाता है। भोपाल में हमारे पास १०,००० एकड़ कृषियोग्य भूमि थी। हम ने पहला फार्म वहीं पर आरम्भ किया है तथा अन्य राज्यों से कहा है कि वे भी अपने अपने राज्यों में परिमाप करायें तथा प्राक्कलन दें कि ऐसी भूमी वहां पर उपलब्ध है या नहीं।

श्री नानादास : इन बस्तियों में बसाने के लिये भूहीन खेतिहर मज़दूरों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : प्रस्तावित फार्म में, ५० प्रतिशत भूहीन मज़दूर भोपाल के ही हैं क्योंकि यह फार्म वहां पर चलाया जा रहा है। भोपाल राज्य इस बात पर आग्रह करता है कि भूहीन मज़दूरों का ५० प्रतिशत राज्य से ही लिया जाये क्योंकि वह भूमि मुफ्त में दे रहा है। अन्य राज्यों में भी कुछ शरणार्थी भूहीन मजदूर हैं जिन्हें भूमि की परम आवश्यकता है और ऐसे व्यक्तियों को भी उसी आधार पर चुना जायेगा।

श्री केलप्पन : इस योजना में भूहीन खेतिहर मज़दूरों के कितने प्रतिशत को काम मिल जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में भूहीन मज़दूरों तथा उन पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या ४ १।२ करोड़ है। योजना अवधि में हम ने इस परियोजना में केवल १ १।२ करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था की है।

अनेक सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है तो हम शीघ्र ही समाप्त न कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न।

डाक तथा तार विभाग में गैर-विभागीय कर्मचारी

*५७९. **श्री नानादास :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगेकि डाक तथा तार विभाग में गैर-विभागीय कर्मचारियों को चुनने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है ?

(ख) विभिन्न वर्गों के गैर-विभागीय कर्मचारियों के लिये कौन सी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह अनुमान लगाते हुए कि माननीय सदस्य का निर्देश गैर-विभागीय पोस्टमास्टरों से है, मुख्य बातें यह हैं कि उन्हें अच्छी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिये तथा उनकी आमदनी का अलग जरिया होना चाहिये तथा उनका चाल-चलन अच्छा होना चाहिये।

(ख) शिक्षा सम्बन्धी कोई विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं।

श्री नानादास : क्या यह सत्य नहीं है कि इस वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई सुरक्षण नहीं रखा गया है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि म बतला चुक हूं इन पदों पर काम करने वालों को केवल भत्ता मिलता है और वे नियमित पदाली में नहीं होते, किन्तु, निस्सन्देह, यदि अनुसूचित जातियों में से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होंगे तो उन पर भी अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या उन गैर-विभागीय कर्मचारियों को, जो मैट्रीकुलेट हैं और जो १० वर्ष से अधिक काल तक नौकरी कर चुके हैं, क्लर्कों के पद पर नियुक्त करने में मान्यता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राज बहादुर: वे सरकार की नियमित नौकरी में नहीं हैं । उन्हें केवल भत्ता मिलता है ; जहां तक भर्ती का सवाल है वे भी अन्य लोगों के साथ अवसर का लाभ उठा सकते हैं ।

श्री सारंगधर दास : अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों के पोस्टमास्टरों को उन गांव में रहने दिया जायेगा जिन में डाक घर बनाये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसे कैसे बतला सकते हैं । अगला प्रश्न ।

डाकघरों के नगर निरीक्षक

*५८१. **श्री मुनिस्वामी :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुख्य डाक घरों में डाक घर नगर निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) उनकी भर्ती कैसे की जाती है, पदोन्नति करके या सीधे भर्ती करके ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) क्लर्कों में से चुन कर ।

श्री मुनिस्वामी : नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी कौन है ?

श्री राज बहादुर : अधिकतर सर्किल का सुपारन्टेन्डेन्ट या अध्यक्ष ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि यदि वे चुने नहीं जाते हैं तो वे इसकी और कहीं अपील नहीं कर सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुपरिटेन्डेन्ट के आदेशों के विरुद्ध उम्मीदवार कहीं अपील कर सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : चुनाव इस प्रकार किया जाता है : नियुक्तियां चुनाव के आधार पर की जाती हैं । वैसे तो कर्मचारी क्लर्क की पदाली में ही रहता है किन्तु उसे विशेष वेतन के रूप में ३० रुपये का भत्ता और दिया जाता है । अतः चुनाव क्लर्कों में से ही किया जाता है और इसलिये अपील आदि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार के लिये खाद्यान्न

*५८४. **श्री भागवत झा :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कमी वाले तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये सस्ता तथा मोटा अनाज देने को कहा है ?

(ख) अब तक दी जाने वाली मात्रा कितनी है ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां । श्रीमान ।

(ख) १४ रुपये प्रति मन के दर से १०,००० टन गेहूं इसी के अनुसार फुटकर दर से उपभोक्ताओं के हाथ विक्रय करने के लिये तथा ५००० टन जवार, उस के लाभ वाली लागत से दो रुपये कम पर बेचने के लिये दिये गये हैं और यह तै कर दिया गया है कि जो हानि होगी उसका आधा भार केन्द्र बरदाश्त करेगा । परन्तु बिहार सरकार ने हाल ही में इस में से २,५०० टन जवार लौटा दी है ।

श्री भागवत झा : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार ने संघ सरकार से कितनी मात्रा मांगी थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन्होंने १०,००० टन गेहूं, ५,००० टन चावल पहले मांगा था, मोटा अनाज बिलकुल नहीं मांगा था । बाद में उन्हों ने कहा चावल के स्थान पर वे मोटा अनाज पसंद करेंगे । इस लिये हम ने मध्य प्रदेश से ५,००० टन मोटा अनाज भेज दिया ।

श्री भागवत झा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने, यह अनाज कितने में प्राप्त किया तथा राज्य सरकार को किस दाम पर दिया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १०,००० टन गेहूं आयात किये गये अनाज में से दिया गया था । आयात किये गये गेहूं का तटागत मूल्य १३-८-० रुपये था, यह १४ रुपये प्रति मन के मूल्य पर संभरण किया गया । मध्य प्रदेश से प्राप्त की जाने वाली ज्वार का मूल्य १२ रुपये मन था । हम ने बिहार सरकार से कहा था कि वे आर्थिक मूल्य से दो रुपये कम पर विक्रय कर सकते हैं और इस प्रकार होने वाले घाटे का आधा भार हम बरदाश्त करेंगे ।

पाल लगी नावों या जहाजों सम्बन्धी उद्योग

*५८५. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या **यातायात** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाल लगी नावों या जहाजों सम्बन्धी उद्योग के विकास सम्बन्धी सरकारी नीति की कार्यान्विति के सम्बन्ध में संचालन के उपायों का सुझाव देने के लिये नौवहन महासंचालक के कार्यालय के एक विशेष कार्य सम्बन्धी अधिकारी को नियुक्त किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उन्होंने पाल लगी नावों या जहाजों के उद्योग के अनेक हितों को संगठित करने के क्या उपाय किये हैं ?

(ग) क्या उन्होंने विधान बनाने के सम्बन्ध में भी कोई सुझाव दिये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् । इस कार्य के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(ख) जूलाई १९५२ से, जब कि उस की नियुक्ति हुई है, इस अधिकारी ने पाल लगी नावों या जहाजों सम्बन्धी अनेक हितों से, उदाहरणतः पत्तन अधिकारी इत्यादि, सम्पर्क स्थापित किया तथा उन के साथ कई सम्मेलनों में भाग लिया । इस से पाल लगी नावों या जहाजों सम्बन्धी कई ऐसे संगठनों को फिर से जीवन मिला जो शिथिल हो गये थे तथा कुछ नये संगठन और बन गये । भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट दोनों के उत्तरदायी वाणिज्य मण्डलों ने अपने कार्यों में पाल लगी नावों तथा जहाजों के विकास का विषय भी सम्मिलित कर लिया है ।

(ग) इस अधिकारी ने पाल लगी नावों या जहाजों तथा इन के यातायात को नियमित करने के लिये, एक विधेयक का प्रारूप तय्यार किया है । इस से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न हितों के परामर्श से इस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

विद्युत इंजन

*५८६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) भारतीय रेलों के लिये, प्रति वर्ष, कितने विद्युत इंजनों की आवश्यकता पड़ती है ?

(ख) प्रति इंजन की औसतन क्या कीमत होती है ?

(ग) भारत में विद्युत इंजन बनाने का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) क्योंकि बिजली से चलने वाली रेलों की संख्या बहुत कम है ; लगभग केवल ७०, इस लिये विद्युत इंजनों की आवश्यकता नियमित रूप से प्रतिवर्ष नहीं पड़ती है ।

(ख) विद्युत इंजनों का पिछला उद्धृत मूल्य यूरोपीय बंदरगाहों तक तट पर पहुंचा कर ६३,८६५ पाउंड था ।

(ग) इस की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री रघुनाथ सिंह : फ़ारेन एड योजना के अन्तर्गत हिन्दोस्तान को कितने एलेक्ट्रिक इंजन प्राप्त होंगे ?

श्री शाहनवाज खां : एक भी नहीं ।

डाक विभाग के भूतपूर्व रियासती कर्मचारी

*५८७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **संचरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभागीय सेवाओं के केन्द्र के साथ एकीकरण होने के परिणाम स्वरूप, डाक विभाग के भूतपूर्व रियासती कर्मचारियों के पक्ष में, केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन के मापमान की कार्यान्वित के सम्बन्ध में, पहली अप्रैल १९५० से भूतलक्षी प्रभाव रखने वाला कोई निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस के सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) । यह विषय विचाराधीन है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यदि उन्हें १ अप्रैल १९५० से भूतलक्षी प्रभाव के साथ भुगतान किया जाय तो कितना व्यय होगा ?

श्री राज बहादुर : लगभग तीस लाख रुपये । मैं याददाश्त से बता रहा हूं और हो सकता है कि यह आंकड़े बिल्कुल ठीक न हों ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह समझूं कि १९५३ के अन्त तक निर्णय हो जायगा ?

श्री राज बहादुर : हमें यही आशा है ।

बगीचों के मजदूर

*५८८. **श्री गोपाल राव :** क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बग़ीचों के मज़दूरों के लिये मकानों का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में बग़ीचों के मालिकों ने अभी तक कितना कार्य किया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : नवम्बर १९५० में होने वाली बग़ीचों की औद्योगिक समिति के तीसरे अधिवेशन में मालिकों ने क़रार किया था कि वे प्रति वर्ष अपने मज़दूरों की जनसंख्या में से ८ प्रतिशत के लिये स्वीकृत स्तर के अनुसार मकान बनायेंगे । गृह व्यवस्था की उन्नति की देखरेख करने के लिये भारत सरकार ने बग़ीचा मालिकों के संघ को विहित फ़ारमों पर छमाही प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया है, और यह प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं । सदन पटल पर दो विवरण रख दिये जाते हैं, एक में ३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाली पांच छमाहियों में से प्रत्येक में बनाये जाने वाले मकानों की संख्या दी गई है तथा दूसरे में यह दिखाया गया है कि ३१ मार्च १९५३ को बग़ीचा मज़दूरों

के लिये कितने मकान उपलब्ध थे । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६ व ३७]**

श्री गोपाल राव: विवरण से पता चलता है कि ८८ प्रतिशत मज़दूरों के पास कोई भी मकान नहीं है । इस बात के दृष्टिगोचर कि उन्नति की गति बहुत ही शिथिल है क्या सरकार इस विषय पर कोई विधान बनाने का विचार रखती है ?

श्री वी० वी० गिरि: बग़ीचा मज़दूर अधिनियम १९५१ के नाम का एक विधान तो बना हुआ है परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है । चूंकि अब चाय उद्योग में वह मन्दी नहीं रही है जिसकी वे पहले शिकायत करते थे, इसलिये इस विषय में शीघ्रता करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री गोपाल राव: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या तथाकथित कच्चे तथा अर्ध पक्के मकान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं; तथा यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस बात के लिये उचित उपाय कर रही है कि बग़ीचा मालिक न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं वाले ऐसे मकान बनायें जो कम से कम मनुष्यों के रहने के योग्य हों ?

श्री वी० वी० गिरि सरकार इस स्थिति से परिचित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि अनेक बग़ीचा मालिक संगठनों ने प्रतिवर्ष ८००० मकान बनाने का अपना वचन पूरा किया है ?

श्री वी० वी० गिरि: उन्होंने अपना वचन पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव विवरण में मकानों को कच्चे पक्के तथा स्वीकृत तीन वर्गों में विभक्त किया गया है । स्वीकृत मकान के फ़र्श का क्षेत्रफल कितना है ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

रेलवे दावा-कार्यालय का स्थानान्तरण

*५९१. **श्री आर० एन० सिंह:** क्या **रेल** मंत्री २० अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०० के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों वश केवल पूर्वोत्तर रेलवे का ही भारी पुनर्वितरण किया गया जैसा कि अन्य किसी ऐसे रेलवे के विषय में न किया गया जिस के हिस्से एक से अधिक दावा-कार्यालय आये जिसके फलस्वरूप मुज़फ्फरपुर क्षेत्र का काम, जो गोरखपुर कार्यालय के काम का अधिकांश भाग है, हस्तान्तरित कर दिया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री) (श्री अलगेशन) : यह इस बात को ध्यान में रख कर किया गया कि इस से प्रशासनीय सुविधा होगी, और इसमें कलकत्ता व गोरखपुर में स्थान तथा कर्मचारियों की उपलब्धता का विचार भी निहित था ।

श्री आर० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि रीग्रूपिंग के बाद जो क्लेम आफ़िस कलकत्ते गया था, वह जैसा कि पहले आदेश दिया गया था उसके अनुसार अब गोरखपुर में काम कर रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी नहीं, ऐसा आदेश नहीं दिया गया था और दफ्तर अभी वहीं है ।

श्री आर० एन० सिंह: क्या सरकार को मालूम है कि मुज़फ़्फ़रपुर नगर रीजन के अभी बहुत से क्लेम केसेज़ वैसे ही पड़े हुए हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री: वह तो वैसे भी पड़े रहते हैं, दफ्तर चाहे गोरखपुर में हो या और कहीं ।

दिल्ली के आस पास की बस्तियां

*५९२. **श्री एन० पी० दामोदरन :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के आस पास जो अनेक पुनर्वास तथा अन्य बस्तियां बनी हैं जिनका वर्णन मंत्रालय के १९५२–५३ के वार्षिक प्रतिवेदन में हुआ है, वहां के निवासियों को छना हुआ पानी देने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्य के लिये कोई धनराशि मंजूर की है अथवा क्या सरकार इसके लिये कोई धन राशि मंजूर करने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां तो इस कार्य में कितना रुपया व्यय किया जा चुका है अथवा कब व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जैसा कि १९५२–५३ के मंत्रालय के वार्षिक प्रशासनीय प्रतिवेदन में कहा गया है; दिल्ली तथा नई दिल्ली के आस पास बनी हुई अनेक पुनर्वास तथा अन्य बस्तियों में जल संभरण का प्रबन्ध कर दिया गया है । इन के नाम हैं राजेन्द्र नगर, पटेल नगर (पूरब तथा पश्चिम) मलकागंज, दिल्ली के उत्तर में सिविल लाइंस में स्थित पुनर्वास बस्तियां, निज़ामुद्दीन गांव, निज़ामुद्दीन एक्सटेन्शन, जंगपुरा पड़ोस (क) तथा (ख) तथा जंगपुरा एक्सटेन्शन, लाजपत नगर का कुछ भाग, कालकाजी, इत्यादि । तेहर अर्थात तिलकनगर जैसे कुछ स्थानों में गहरे नलकूप खोदे गये हैं तथा उन से छना हुआ जल दिया जा रहा है । मालवीय नगर जैसी बस्तियों में साधारण कुओं का इस कार्य के लिये उपयोग किया गया है तथा कुछ अन्य बस्तियों में हाथ से चलाये जाने वाले पम्पों का प्रबन्ध कया गया है जिन के स्थान पर छने हुये पानी का संभरण करने के निमित्त उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) सदस्य संस्थाओं को जल संभरण करने के लिये जो फिर नई बस्तियों को जल संभरण करेंगी, भारत सरकार ने दिल्ली संयुक्त जल तथा नाली मण्डल को आवश्यक ऋण मंजूर किया है ।

(ग) दिल्ली संयुक्त जल तथा नाली मण्डल द्वारा बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले जलसंभरण की कुल आगणित लागत ३,६२,२५,००० रुपये है और सरकार ने अब तक इस मण्डल को १,४६,०२,००० रुपये का ऋण दिया है । कितना रुपया व्यय हो चुका है यह ठीक ठीक बताना कठिन है क्योंकि रुपया अनेक प्राधिकारियों द्वारा व्यय किया जाता है जैसे दिल्ली संयुक्त जल तथा नाली मण्डल, दिल्ली नगर पालिका समिति, नई दिल्ली नगर पालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, सिविल लाइंस तथा पुनर्वास मंत्रालय ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं, कि दिल्ली का छना हुआ जल कितने २ समय के पश्चात् कीटाणु परीक्षा के लिये भेजा जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास इस की कोई जानकारी नहीं है ।

प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना

*५९४. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रौढ़-नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत खोली गई प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य पर होने वाला वार्षिक व्यय ; तथा

(ख) दस्तकारी के उपाधि प्राप्त किये लोगों की राज्यवार कुल संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १९५२-५३ में ५४,२१,५०० रु० जिसमें से केन्द्रीय सरकार का अंश ३४,२०,९०० रु० तथा राज्य सरकारों का अंश २०,००,६०० रु० है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८ ।]**

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उपाधि को राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त है ?

श्री वी० वी० गिरि : इसको बहुत सी राज्य सरकारों ने मान्यता दी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल सावधिक प्रभार

***५७२. श्री तुलसी दास :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माल भेजने के दरों में सावधिक प्रभार भी सम्मिलित हैं जो सावधिक सुविधायें देने पर लगाये गए हैं ?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो क्या सरकार को विदित है कि ये प्रभार उन मामलों में भी लगाये जाते हैं, जहां कोई सावधिक सुविधायें नहीं दी गई हैं, और मांग किये जाने पर लौटाये नहीं जाते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) कोई भी आवागमन ऐसा नहीं है, जिस पर किसी न किसी रूप में कोई सावधिक सुविधा न दी गई हो और इसी कारण लौटाने के लिये स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

विलयीकृत रेलों के कर्मचारियों को नौकरी में ले लेना

***५७३. श्री तुलसीदास :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विलयीकृत रेलों के सारे कर्मचारियों को अब तक नौकरी में ले लिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ग) सरकार समस्या को किस प्रकार हल करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) । हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता

***५८०. श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन में मंहगाई भत्ते के मिल जाने से यात्रा भत्ते में बृद्धि नहीं की गई है और यदि ऐसा है, तो उसके कारण ;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के टिकट चेकरों को एकत्रित मासिक यात्रा भत्ता देने में वेतन में मिलाये गये मंहगाई भत्ते पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यदि ऐसा है, तो इस के कारण ; तथा

(ग) क्या मंहगाई भत्ते के वेतन में मिला लिये जाने से यात्रा-भत्ते की स्वीकृति में किसी एकरूप कार्यप्रणाली का पालन किया जा रहा है, और यदि नहीं, तो उसके कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा-भत्ते वेतन पर आधारित नहीं हैं ।

(ख) जी हां । दक्षिण रेलवे के भूतपूर्व एस० आई० रेलवे के टिकट-चेकरों को, जिन्होंने वेतन का विचार किये बिना सामान्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के स्थान पर एकत्रित यात्रा भत्ता लेना चाहा था, उनको अब एकत्रित यात्रा भत्ता एक निश्चित दर पर मिलता है ।

(ग) जी हां । जहां यात्रा भत्ता वेतन पर आधारित है, वहां वेतन में मिलाया गया मंहगाई भत्ता भी यात्रा भत्ते के दर निश्चित करने में वेतन माना जाता है ।

मछलियों का पकड़ना

*५८२. **श्री बुच्चिकोटैया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मछली पकड़ने के जापानी उपायों का प्रयोग कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कौन-कौन से प्रयोग किये गए हैं और उनमें कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ग) क्या कोई टेक्निशियन जापान से भारत आया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) यदि मछली पकड़ने के जापानी उपाय का अर्थ "बड़े जाल से मछली पकड़ना है" तो उत्तर 'हां' है ।

(ख) इसकी अभी तक जांच नहीं की गई है किन्तु हाल ही में ऐसा किया जायेगा ।

(ग) जी हाँ ।

चावल का समाहार

*५८३. **श्री वी० के० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में विभिन्न राज्यों से कितने चावल का समाहार किया गया है ;

(ख) कौन-कौन से राज्यों ने लक्ष्य से अधिक अथवा कम चावल इकट्ठा किया है और किन कारणोंवश ; तथा

(ग) विभिन्न राज्यों ने अपने अपने समाहार में से कितनी-कितनी मात्रा केन्द्रीय समूह में दे दी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) विभिन्न राज्यों द्वारा १-१-१९५३ से लगभग १४ नवम्बर, १९५३ तक समाहार की गई मात्रा एक विवरण में दी गई है जो सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्यों ने अपने लक्ष्य से अधिक पूर्ति की है । चूंकि वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, अत: निश्चय पूर्वक यह कहना सम्भव नहीं कि कौन से राज्य लक्ष्य से कम पूर्ति करेंगे ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४० ।]**

गन्ने का मूल्य

*५८९. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ तथा १९५४-५५ के लिये गन्ने का मूल्य १ रु० ७ आ० प्रतिमन निश्चित करते समय, निर्माणशालाओं को इस बात की स्वतन्त्रता दी गई है कि उचित मांग किये जाने पर इस दर में वृद्धि की जा सकती है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो किन राज्यों में १ रु० ७ आ० के दर में वृद्धि की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । सरकार गन्ने के केवल न्यूनतम मूल्य निश्चित करती है । निर्माणशालाओं को अधिक मूल्य देने की स्वतंत्रता है ।

(ख) फसल के अन्त में ही स्थिति का ज्ञान हो सकेगा ।

तेल की टेंकी वाले डिब्बे

*५९०. **डा० अमीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेल प्रशासन द्वारा जनवरी से अक्तूबर १९५३ में आयात किये गए अथवा निर्माण किये गए बड़ी लाइन, छोटी लाइन तथा संकरी लाइन के तेल की टंकी वाले डिब्बों की संख्या ; तथा

(ख) १९५३ के अवशिष्ट काल में ऐसे कितने डिब्बे आयात अथवा निर्माण किये जाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जनवरी से अक्तूबर, १९५३ तक भारत में निर्मित अथवा विदेशों से आयात किये गए टेंकी वाले डिब्बों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

बड़ी लाइन .	२२४
छोटी लाइन .	२३३
संकरी लाइन . .	१०

(ख) १९५३ के अवशिष्ट काल में भारत में लगभग ५० और तेल की टेंकी वाले डिब्बों (३० बड़ी लाइन तथा २० छोटी लाइन) का निर्माण करने की आशा की जाती है । आशा है कि इस काल में एक भी आयात नहीं किया जायेगा ।

इंजन

*५९३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने विदेशों से काफी संख्या में इंजन मंगाने के लिये आर्डर भेजा है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्रय किये जाने वाले इंजनों का अनुमानित मूल्य; तथा

(ग) आर्डर दिये गए देशों के नाम ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, ४८० इंजनों के लिये आर्डर दिया गया है ।

(ख) अनुमानत : २१.४६ करोड़ रु० ।

(ग) पश्चिमी जर्मनी, जापान, अस्ट्रिया तथा इटली ।

बड़े-बड़े बन्दरगाह

*५९५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) उन बड़े-बड़े बन्दरगाहों के नाम जिनके विकास तथा सुधार के लिये कार्यक्रमों का अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; तथा

(ख) उन बन्दरगाहों के विकास की अनुमानित लागत ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१ ।]**

चीनी (उत्पादन)

*५९६. **श्री भागवत झा** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री आगामी फसल में चीनी के उत्पादन की अनुमानित मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) वर्ष १९५३–५४ में चीनी के उपभोग की अनुमानित मात्रा क्या होगी ?

(ग) क्या यह सच है कि उपभोग की मात्रा बढ़ गई है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो सरकार उस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाहियां करने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १२ से १३ लाख टन तक ।

(ख) १६ से १७ लाख टन तक ।

(ग) जी हां ।

(घ) जब तक कि उत्पादन बढ़ नहीं जाता तब तक आयात से ।

अभ्रक खान सम्बन्धी श्रम कल्याण निधि

*५९७. **श्री वीरस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि की वर्तमान अवशिष्ट राशि क्या है ?

(ख) उस निधि से मज़दूरों को क्या विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ग) क्या व्यय न की गई अवशिष्ट राशि पर कुछ ब्याज मिलता है, और यदि ऐसा है, तो संचित ब्याज कितना है; तथा

(घ) विनियोग किस प्रकार किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ३१ मार्च, १९५३ को लगभग १.१६ करोड़ रुपये ।

(ख) खान खोदने वालों को चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, गृह-व्यवस्था तथा पीने के पानी संबंधी सुविधायें दी जा रही हैं। निधि की कार्यवाहियों की विस्तृत सूचना वार्षिक प्रतिवेदनों में दी जाती है, जो प्रति वर्ष भारत के गजट में प्रकाशित होती है जिसकी प्रतिलिपियां सदस्यों में वितरित किये जाने के लिये संसद सचिवालय को भेजी जाती है ।

(ग) जी नहीं । अभ्रक खान संबंधी श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९४६ किये गए विनियोग की व्यवस्था नहीं करता है । अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पैराम्बूर कोच निर्माण कारखाना

*५९८. **श्री वीरस्वामी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैराम्बर के कोच निर्माण कारखाने के बनने की क्या स्थिति है ?

(ख) कर्मचारी कैसे भर्ती किये जाते हैं तथा क्या अनुसूचित जातियों के लिए स्थान रक्षित किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भवन का ३० प्रतिशत निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है ।

(ख) वर्ग ३ के कर्मचारियों की भर्ती सीधे रेलवे सेवायोग द्वारा की जाती है । वर्ग ४ के कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय अफसरों द्वारा याचना मांगने वालों और संबंधित नौकरी दफ्तरों के नाम निर्देशित व्यक्तियों में से की जाती है । इस तरह सीधे भर्ती करते समय उतने प्रतिशत रक्षित स्थानों का ध्यान रखा जाता है जो भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित किये हैं ।

डा० पार्कर की सेवाएं

२८१. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को उर्वरकों के बारे में सलाह देने के लिये क्या मंत्रालय

को डा० एफ० डब्ल्यू० पार्कर की सेवाएं दी गई हैं ?

(ख) उनकी सेवाएं कितनी अवधि के लिये दी गई हैं तथा जितनी अवधि में वे भारत में रहेंगे उसमें उन पर कुल कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) चतुर्थ सूत्र कार्य क्रम के अधीन, सामान्य कृषि सम्बन्धी विषयों जैसे कृषि विस्तार, प्रशिक्षा, उर्वरक, मृदा परिमाप और मृदा संरक्षण पर सलाह देने के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को डा० पार्कर की सेवाएं दी गई हैं ।

(ख) दो वर्ष । भारत सरकार का इस अवधि में १०,००० रुपया व्यय होगा ।

दिल्ली डाकघरों में चीजों का गुमना

*२८२. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनरल पोस्ट आफिस नई दिल्ली में २३ नवम्बर १९४९ से १ मार्च १९५२ तक क्या चीज़ें गुमी हैं ?

(ख) यदि हां तो कुल कितनी हानि हुई है ?

(ग) क्या सरकार ने इस हानि के कारणों की जांच की है तथा उसके लिए क्या किसी पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है ?

(घ) यदि हां, तो उनके नाम ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) २२,९५२ रुपये ८ आने ।

(ग) जी हां ।

(घ) (१) श्री मुकुंद बिहारी लाल (क्लर्क)
(२) श्री त्रिलोकनाथ (ए० पी० एम०)
(३) श्री आनन्द स्वरूप (क्लर्क एस० बी०)
(४) श्री दुर्गादास (ए० पी० एम०)
(५) श्री रामचन्द (हेड क्लर्क)
(६) श्री प्रेमनाथ (क्लर्क एस० बी०)
(७) श्री रघुनन्दन लाल (क्लर्क)
(८) श्री मनोहरलाल (सुपरवाईज़र)
(९) श्री आबिद हुसैन (सबपोस्ट मास्टर)
(१०) श्रीपरमेश्वरी दास (केश ओवरसियर)
(११) श्री ब्रह्म ऋषि (क्लर्क)
(१२) श्री प्रेमनारायण खन्ना (पोस्टमैन)
(१३) श्री मोतीराम (कैशियर)
(१४) श्री हरबंस लाल (पोस्टमैन)

श्री आनन्द स्वरूप (क्लर्क) पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ।

मलेरिया इंजीनियर

*२८३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री उन शर्तों तथा निर्देशों को बताने की कृपा करेंगी जिन के अन्तर्गत श्री फ़ैड-डब्ल्यू नाइप, मलेरिया इंजीनियर, को भारत के लिए निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : रॉक फ़ैलर प्रतिष्ठान के चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग ने, भारत सरकार की प्राथना पर, श्री फ़ैड डब्ल्यु० नाइप, लोक स्वास्थ्य इंजीनियर, को ११ अक्तूबर, १९५२ से प्राय : दो वर्ष की अवधि के लिए भारत के मलेरिया विद्यालय, दिल्ली में इन शर्तों तथा निदेशों के आधीन नियुक्त किया है :—

(१) श्री नाइप का वेतन तथा उन का भारत में समस्त यात्रा व्यय तथा अन्य व्यय उक्त प्रतिष्ठान द्वारा दिया जायेगा ।

(२) यद्यपि यह आशा की जाती है कि श्री नाइप भारतीय मलेरिया विद्यालय में कम से कम दो वर्ष तक कार्य करेंगे, तथापि यह ज्ञात हुआ है कि उन को उक्त प्रतिष्ठान द्वारा उनकी समयावधि की समाप्ति से पूर्व ही वापस बुलाया जा सकता है ।

(३) भारत का मलेरिया विद्यालय श्री नाइप को, फ़र्नीचर समेत, एक समुचित निजी आफ़िस की सुविधायें, एक स्टैनोग्राफ़र की सेवायें तथा जो भी आफ़िस सम्बन्धी उनकी अपेक्षायें तथा आवश्यकतायें होंगी, प्रदान करेगा ।

(४) महासंचालक स्वास्थ्य सेवायें अपने निजी प्रभाव से श्री नाइप को स्वयं उनके तथा उन के परिवार के रहने के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान प्राप्त करने में सहायता करेगा ।

(५) कार्य निर्धारण तथा दायित्वों के निर्वहन के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए श्री नाइप केवल उक्त विद्यालय के महा-संचालक के प्रति ही उत्तरदायी होंगे ।

(६) सामान्यत : श्री नाइप का कार्य निरीक्षणिक न होकर, परामर्शक, निर्देशक तथा परीक्षात्मक होगा, और वह निम्न श्रेणियों के अन्तगत आयेगा :

(क) उन विद्यार्थियों की नियमित तथा विशेष कक्षाओं का शिक्षण जिन के प्रशिक्षण का भार मलेरिया विद्यालय, दिल्ली अथवा किसी अन्य विद्यालय पर है ।

(ख) भारत में किसी भी स्थान की मलेरिया नियंत्रण समस्याओं की, जिन के सम्बन्ध में भारत के मलेरिया विद्यालय का परामर्श मांगा गया हो, जांच करना, तथा संचालक को उन नियंत्रण प्रणालियों के सम्बन्ध में, जो कि ऐसी समस्याओं पर लागू की जा सकती हैं, अपनी सम्मति देना । ऐसे जांच कार्य के मार्ग में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को, राज्य सरकारों के द्वारा उठने वाली अथवा अन्य द्वारा उठने वाली, दूर करने का दायित्व भारत के मलेरिया विद्यालय के संचालक पर होगा ।

(ग) भारत में कीटनाशक पदार्थों को बनाने के लिए अपेक्षित उपकरणों के निर्माण की योजना बनाने के साथ साथ कीटनाशक पदार्थों के उपयोजन तथा उपयोजन के लिए अपेक्षित उपकरणों के सम्बन्ध में जांच करना । इस जांच कार्य के लिए अपेक्षित धन निधि की व्यवस्था भारत के मलेरिया विद्यालय द्वारा की जायेगी ; परन्तु, श्री नाइप की सिफ़ारिश पर उक्त प्रतिष्ठान ऐसे जांच कार्य के किये जाने के लिए, जिस के लिए भारत के मलेरिया विद्यालय द्वारा धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, अनुदान दिये जाने के आवेदन पर विचार करेगा ।

(घ) विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में मलेरिया नियंत्रण इंजीनियरिंग सेवा के संगठन तथा विकास में भारत के मलेरिया विद्यालय के संचालक की सहायता करना ।

केन्द्रीय सड़क निधि

२८४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन १९५२-५३ में केन्द्रीय सड़क निधि से हुई आय; तथा

(ख) सन् १९५२–५३ में केन्द्रीय सड़क निधि संचिति से राज्यों को किये गये आवंटन ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई ५.२० करोड़ रुपये ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२.]**

हैदराबाद सर्किल कर्मचारियों का पुष्टिकरण

२८५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद सर्किल के डाक विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या जो पांच से अधिक वर्ष से निरन्तर सेवायुक्त हैं तथा

जिनका अभी तक पुष्टिकरण नहीं किया गया है ;

(ख) उन की संख्या जिन का १ अप्रैल, १९५३ तथा ३० सितम्बर, १९५३ के बीच की अवधि में पुष्टिकरण किया गया ;

(ग) उन कर्मचारियों की प्रतिशतता जो अभी तक अस्थायी हैं; तथा

(घ) वह कारण जिन के आधार पर उन का अभी तक पुष्टिकरण नहीं किया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ७५ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) ४१.२ प्रतिशत ।

(घ) हैदराबाद डाक सर्किल में अस्थायी कर्मचारियों की कई श्रेणियां हैं उदाहरण के लिए भूतपूर्व राज्य अधिकारी, डाक तथा तार विभाग के नियमित अधिकारी, अन्य डाक तथा तार सर्किलों से प्रतिनिध्य अधिकारी तथा भूतपूर्व राज्य प्रणालियों के अन्य विभागों से आये कर्मचारी । इन अधिकारियों के पुष्टिकरण सम्बन्धी सभी दावों पर विचार किया जाना है । अग्रेतर, इस के अतिरिक्त डाक तथा तार विभाग के नियमित कर्मचारियों के मुक़ाबले में भूतपूर्व राज्य अधिकारियों की वरिष्ठता को निश्चित करने का प्रश्न भी अभी विचाराधीन है ।

हैदराबाद सर्किल के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

२८६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद सर्किल के डाक तथा तार विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या जिन को क्वार्टर दे दिये गये हैं ;

(ख) उन की संख्या जिन को अभी तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

(ग) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की क्या कोई प्रस्थापना है ; तथा

(घ) यदि हां, तो सन् १९५३ में कितने बनाने की प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ३९३ ।

(ख) अधिकांश कर्मचारी देहाती क्षेत्रों में सेवायुक्त हैं और जितने शेष रहते ह उन में से अधिकतर के अपने स्वयं के घर हैं । जिन को सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हुए हैं उन की संख्या ३८०२ है ।

(ग) जी हां ।

(घ) क्वार्टरों के तीन सैट बनाये जायेंगे उन में से एक पत्री वर्ष १९५३ के अन्त से पहले ही बन कर पूरा हो जायेगा ।

रेल डाक कर्मचारियों के कार्य के घंटे

२८७. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल डाक कर्मचारियों के कार्य के वास्तविक घन्टे क्या हैं ।

(ख) आठ घन्टे के बाद जो अतिरिक्त कार्य वह करते हैं क्या उस के लिए उन को कोई भत्ता दिया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो वह कितना होता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कार्य के निर्धारित घन्टे चलती ट्रेनों में चिट्ठियां छांटने का कार्य करने वाले कर्मचारीवर्ग के ३० से ३६ घन्टे प्रति सप्ताह से लगाकर स्थिर कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारीवर्ग के ४८ घंटे प्रति सप्ताह तक हैं । कार्य के वास्तविक घन्टे प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं के अनुसार ही निश्चित किये जाते हैं ।

(ख) और (ग). रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों तथा विभागीय मोटर सेवा

के कर्मचारियों को अतिरिक्त-समय भत्ता दिये जाने से सम्बन्ध रखने वाले आदेश महा-संचालक के परिपत्र संख्या २४, दिनांक २० दिसम्बर, १९५२ में प्रकाशित किये गये हैं, इस आदेश की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में पहले ही से उपलब्ध हैं।

बेटिकट यात्रा

२८८. **श्री संगण्णा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि परलाकी मेडी लाइट रेलवे (उड़ीसा) में बे टिकट यात्रा करना बढ़ता जा रहा है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से निरोधक उपाय किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) स्थिति की नवीनतम जांच किये जाने पर यह ज्ञात नहीं होता है कि परलाकीमेडी लाइट रेलवे में बेटिकट यात्रा करना बढ़ता जा रहा है। वास्तव में, इस रेलवे पर बेटिकट यात्रा करने वालों का अनुपात टिकट लेकर यात्रा करने वालों को देखे कोई १ के मुकाबिले में ३७० है।

(ख) रेलवे को उन उपविभागों का जहां बेटिकट यात्रा अधिकांशतया होती है पता लगाने और जहां भी आवश्यक हो इस कार्य के लिए विशेष कर्मचारियों को नियुक्त करके तथा अधिकाधिक विशेष चैकिंग कर के इस का निराकरण करने को कहा गया है।

गोदाम

२८९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में धान तथा चावल इकट्ठा करने के लिये कितने गोदाम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यातायात की कठिनाइयों के दृष्टिगोचर, कैलासहर, खोवाई, अमरपुर तथा कल्याणपुर डिवीजनों में और गोदामों की आवश्यकता है; तथा

(ग) यदि हां तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) कुल ३६ सरकारी गोदाम हैं और इनकी कुल क्षमता ३९४२ टन है। ज़िलावार ब्योरा यह है :

	गोदामों की संख्या	क्षमता (टनों में)
अगरतला (सदर सब-डिवीजन)	७	२०००
सोनामुरा सब-डिवीजन	७	३००
उदयपुर सब-डिवीजन	३	५८
बेलोनिया सब-डीवीजन	५	५५५
सबरूम ,, ,,	२	७२
खोवाई सब-डिवीजन	१	३४०
कमालपुर सब-डिवीजन	३	११५
कैलासहर सब-डिवीजन	५	२४७
धर्मनगर सब-डिवीजन	३	२५५
कुल	३६	३९४२

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां भी ऐसी कोई आवश्यकता हो, सरकार और गोदाम बनाने के निमित्त कार्यवाही करेगी। कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि पता लगा है कि राज्य के कई सब-डिवीजनों में गोदाम प्राप्य हैं।

उपाहार गृह

२९०. **श्री वीरस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के उपाहार गृहों की सफाई का काम ठेकेदारों को दिया गया है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हां' हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां । दक्षिण रेलवे के उपाहार गृहों की सफाई का काम ठेकेदारों को सौंपा गया है ।

(ख) विभाग की ओर से होटल आदि चलाने में मितव्ययता प्राप्त करने तथा इस विषय में वर्तमान घाटे में कमी करने के हेतु ऐसा किया गया है ।

रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी

२९१. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल, १९५३ से अब तक दिल्ली और झांसी के बीच के जिन स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है उनकी संख्या क्या है ;

(ख) केन्द्रीय रेलवे पर दिल्ली और झांसी के बीच ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां अभी पीने का पानी प्राप्त नहीं ; तथा

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर पीने के पानी की यह सुविधा कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अप्रैल, १९५३ से पूर्व ही दिल्ली और झांसी के बीच के सारे स्टेशनों पर पीन का पानी उपलब्ध कर दिया गया था । पहली अप्रैल, १९५३ के पश्चात् गर्मी की ऋतु में दिल्ली और झांसी के बीच ४५ स्टेशनों पर अतिरिक्त पियाऊ वाले रखे गये थे जैसा कि संलग्न विवरण से पता लग सकता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**.

(ख) दिल्ली और झांसी के बीच ऐसा कोई स्टेशन नहीं जहां अब भी पीने का पानी प्राप्य न हो ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य भारत में तारघर

२९२. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ के वर्ष में अब तक मध्य भारत में किस किस स्थान पर डाकखाने तथा तारघर खोले गये हैं ; तथा

(ख) क्या मध्य भारत सरकार ने कोई ऐसी प्रस्थापना की है कि मोरेना तथा भीन्द के गड़बड़ वाले इलाकों में तारघर खोले जायें ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) (१) बामोर,
(२) मुंगोली,
(३) बघाना,
(४) नीमत्त नगर ।

(ख) जी नहीं । परन्तु अन्य स्रोतों द्वारा यह मांग की गई थी कि निम्नलिखित स्थानों पर तारघर खोले जायें :

बिजयपुर, अम्बाह } —ज़िला मोरेना ।

गोहड़, लाहर, अटायर, मेहगांव } — ज़िला भींद ।

इन तारघरों के खोलने के निमित्त जो प्रत्याभूतियों की शर्तें हैं उनके बारे में मध्य भारत सरकार को सूचना दी गई है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रेल दुर्घटना

२९३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में कितनी बड़ी रेल दुर्घटनायें हुई ?

(ख) इन दुर्घटनाओं में (१) रेलवे कर्मचारियों तथा (२) साधारण जनता की कितनी प्राण हानि हुई और कितने व्यक्ति सख्त घायल हुये ?

(ग) कुल कितना प्रतिकर दिया गया ?

(घ) इन में से कितनी दुर्घटनायें रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुईं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२-५३ में भारतीय रेलवे पर यात्री गाड़ियों की तीन ऐसी बड़ी दुर्घटनायें हुईं जिन में कई व्यक्ति मर गये ।

(ख) (१) दो रेलवे कर्मचारी और ५१ अन्य व्यक्ति मर गये ;

(२) दो रेलवे कर्मचारी और ३५ अन्य व्यक्ति सख्त घायल हुये ।

(ग) अब तक कुल २,०९,१४० रुपये का प्रतिकर दिया गया है ।

(घ) केवल एक मामले में ।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
३ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

वृहस्पतिवार, ३ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

१२-३० म० प०

कैप्टन हीरासिंह और डा० जे० सी० चटर्जी का देहावसान

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को दो मित्रों, कैप्टन हीरा सिंह और डा० जे० सी० चटर्जी, के करुण निधन की सूचना देनी है ।

कैप्टन हीरा सिंह, जिन की मृत्यु ८८ वर्ष की अवस्था में २९ नवम्बर, १९५३ को मोगा में हुई, पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । वह १९२४ से १९३२ तक वहां रहे थे । वह कई स्कूलों के संस्थापक थे और समाज-सुधार कार्य के लिये प्रख्यात थे ।

डा० चटर्जी, जिन की मृत्यु ६५ वर्ष की अवस्था में २ दिसम्बर, १९५३ को दिल्ली में हुई, १९२८ से १९४६ तक पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे और एक प्रतिष्ठित शिक्षा विशेषज्ञ माने जाते थे ।

हम इन दोनों मित्रों के देहावसान पर शोक प्रकट करते हैं और मुझे यकीन है कि सदन उन के परिवारों से समवेदना प्रकट करेगा । सदन अपना शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट मौन रहे ।

राज्य परिषद् से प्राप्त संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त निम्न दो संदेशों की सूचना देनी है :—

(१) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि नारियल जटा उद्योग विधेयक, १९५३, जो लोक-सभा द्वारा अपनी १९ नवम्बर, १९५३ को हुई बैठक में पारित किया गया था, राज्य परिषद् द्वारा अपनी २ दिसम्बर, १९५३ को हुई बैठक में, निम्न संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है :—

"कि विधेयक के खंड १७ के उपखंड (४) में "The House of the People" ("लोक-सभा") शब्दों के स्थान में "both Houses of Parliament" ("संसद् के दोनों सदन") शब्द आदिष्ट किये जायें ।" अतएव मैं राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १२६ के उपबन्धों के अनुसार उक्त विधेयक को इस प्रार्थना के साथ वापस भेज रहा

[सचिव]

हूं कि उक्त संशोधन पर लोक-सभा की सहमति परिषद् को भेज दी जावे।"

(२) "राज्य परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मुझे वायदे के सौदे (नियमन) संशोधन विधेयक, १९५३, जो राज्य परिषद् द्वारा अपनी २ दिसम्बर, १९५३ को हुई बैठक में पारित कर लिया गया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है।"

नारियल जटा उद्योग विधेयक और वायदे के सौदे (नियमन) संशोधन विधेयक

सचिव : श्रीमान, मैं सदन-पटल पर नारियल जटा उद्योग विधेयक, १९५३, जो राज्य परिषद द्वारा एक संशोधन के साथ वापस भेजा गया है, की एक प्रति रखता हूं। मैं पटल पर वायदे के सौदे (नियमन) संशोधन विधेयक, १९५३, जैसा कि वह राज्य परिषद् द्वारा पारित हुआ, की भी एक प्रति रखता हूं।

बैंकिंग समवाय संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार जारी करेगा। खंड १०, भाग ४५ट पर चर्चा चल रही है।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भाग ४५ट के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है—संशोधन संख्या ३।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ९, पंक्ति ४८ में "may" के पश्चात् "also" निविष्ट किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात श्री टी० के० चौधरी का संशोधन संख्या २८, श्री तुलसी दास का संशोधन संख्या ५२ तथा श्री तुलसी दास ही का संशोधन संख्या १४ अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : इस के बाद संशोधन संख्या ४ है; यह एक सरकारी संशोधन है।

श्री ए० सी० गुहा : यह भी एक शाब्दिक संशोधन है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव सम्बन्धी वाद विवाद के उत्तर के दौरान में यह कहा था कि जहां तक परिसीमा का सम्बन्ध है, वह निदेशक के वंशजों या उत्तराधिकारियों के विषय में कुछ संशोधन कर देंगे।

श्री ए० सी० गुहा : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने तो यह कहा था कि जहां तक उसके व्यक्तिगत दायित्व का सम्बन्ध है, वह उस के वंशजों पर ज़रूर पड़ेगा; परन्तु यदि उस पर कोई दायित्व निदेशक होने के नाते है तो वह दायित्व खत्म हो जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जहां तक इस धारा के उपबन्धों का प्रश्न है, उन से इस विधेयक के प्रस्तुत कर्त्ता की मंशा पूरी नहीं होती।

श्री ए० सी० गुहा : वैसे तो यह विधेयक की शब्दावली से ही स्पष्ट है, परन्तु इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिये यह उपबन्ध पुर:स्थापित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ११, पंक्ति १९ में "shall, as far as may be" के स्थान में "in so

far as they relate to Banking Companies being warned up shall also" आदिष्ट किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला संशोधन संख्या ५ है ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १३ में,--

(१) पंक्ति १२ के पश्चात निम्नलिखित निविष्ट किया जाये :

"45 V. *References to directors etc. shall be construed as including references to past directors etc.*—For the removal of doubts it is hereby declared that any reference in this Part to a director, manager, liquidator, officer or auditor of a banking company shall be construed as including a reference to any past or present director, manager, liquidator, officer or auditor of the banking company."

("४५ फ. निदेशकों आदि के प्रति निर्देशों में भूतकालीन निदेशकों आदि के निर्देश भी अन्तर्गत होंगे--शंकाओं के निवारणार्थ एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस भाग में किसी बैंकिंग समवाय के निदेशक, प्रबन्धक परिसमापक, पदाधिकारी या लेखा-परीक्षक के प्रति निर्देश में बैंकिंग समवाय के किसी भूतकालीन निदेशक, प्रबन्धक, परिमापक, पदाधिकारी या लेखा परीक्षक के भी निर्देश अन्तर्गत होंगे ।")

(२) पंक्ति १३ और १६ में, "४५V" ("४५ फ") और "४५ W" ("४५ब") के स्थान में क्रमश: "४५ W", ("४५ ब") और "४५ X" ("४५ भ") आदिष्ट किये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री तुलसी दास : खंड ४५ ण (४५-O) का उपखंड (२) समिति की प्रस्थापना संख्या ६९ पर आधारित है । इस प्रस्थापना के अनुसार किसी निदेशक के विरुद्ध बैंकिंग समवाय का दावा २० या ३० वर्ष बाद भी कालावरोधित नहीं होगा । यह चीज़ अनुचित तथा अन्यायोचित है । कोई समय-सीमा तो होनी ही चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय परिसीमा अधिनियम यहां क्यों नहीं प्रयुक्त किया जा रहा है और इस खंड विशेष में कोई परिसीमा क्यों नहीं रखी जा रही है ।

धारा ४५ ट (४५-N) में यह उपबन्धित है कि ५,००० रुपये या इस से कम राशि वाले मामलों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत तब तक कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी जब तक कि उच्च न्यायालय इस की इजाजत न दे दे । मेरी समझ में नहीं आता कि अपील दायर करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है । ये ही दो विषय हैं जिन्हें मैं अनुचित समझता हूं । हमें अपील दायर करने का अधिकार देना चाहिये और विशेष रूप से परिसीमा का उपबन्ध करना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह जो क्लाज़ १० जिस को इस वक्त डिसकस किया जा रहा है इस की चन्द बातें हाउस में डिसकस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

की जा चुकी हैं। उसी के बारे में मैं चन्द बातें दर्ज करना चाहता हूं।

इस कानून में जो सिविल ला है और जो क्रिमिनल ला है उस की और दूसरे कानूनों की बहुत सी ब्रांचेज़ आ गयी हैं। यह एक अजीब कानून है। मैं, जैसा कि कल फरमाया गया, यह मानने के लिए तैयार हूं कि बहुत से दग़ाबाज़ लोगों ने दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है और उन को सजा मिलनी चाहिये। मैं यह भी मानता हूं, जैसा कि कहा गया है, कि यह गैर मामूली हालात हैं इसलिए मामूली कानून से काम नहीं चल सकता। लेकिन मेरी यह गुज़ारिश है कि अब हम जो कानून बना रहे हैं बैंकिंग कम्पनीज़ के मुताल्लिक वह इस कदर सख्त है और इस कदर कानून के मुखालिफ है कि इस को हमारे लिए हजम करना मुश्किल है। कल सेक्शन जे० (४५ J) में जो कानून बना वह यह था कि किसी भी मुकदमे में कहीं कोई हाईकोर्ट का जज तहकीकात करता हो और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी शख्स ने कोई खराबी की है तो वह खुद ही उस खराबी को महसूस करता है और कहता है कि खराबी की गयी है और खुद ही जज बन जाता है और एक समरी तरीके से सज़ा दे देता है।

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह जस्टिस के फंडामेंटल असूलों जो किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में होते हैं उन के बरखिलाफ़ है। यह सारा का सारा कानून उन के बरअक्स है। जनाब वाला मुलाहज़ा फरमावेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड की दफ़ात १९० सी, १९१ और ५५६ में दर्ज है कि अगर कोई अफ़सर खुद मुकदमा बनावे या उस के हुक्म से मुकदमा बने तो वह मुलाजिम से पूछेगा : तुम मुझसे मुकदमा कराना चाहते हो या नहीं। ५५६ दफ़ा के मूजिब एक्साइज़ कमिश्नर या कलेक्टर की अदालत में अगर एक्साइज़ का मुकदमा हो तो वह बड़े अफ़सर की इजाजत के बिना मुकदमा नहीं सुन सकता और वह मुलजिम से पूछता है कि तुम मुझसे मुकदमे का फ़ैसला कराना चाहते हो या नहीं। क्योंकि कानून की निगाह में वह अफ़सर इन्टरेस्टेड है। यह मामूली कानून में हक दिया गया है कि अगर जज का कोई इन्टरैस्ट हो तो वह उस मुकदमे को नहीं सुन सकता। यहां यह कहा गया है कि यह मुकदमा हाई कोर्ट के जज के सामने आवेगा। मैं हाई कोर्ट के जज की इज्जत करता हूं, लेकिन उस को मैं कोई खुदा बेखता नहीं समझता कि वह कोई ग़लती नहीं कर सकता। जैसे और कोई इन्सान ग़लती कर सकता है उसी तरह हाई कोर्ट के जज से भी गलती हो सकती है। यहां इस कानून में यह रखा गया है कि हाई कोर्ट ही मुकदमा दायर करेगी और उस के सामने जब कोई शख्स बतौर मुलज़िम के पेश होगा तो उस का फ़ैसला हाई कोर्ट ही करेगी। फिर उस में गवाही देना, न देना यह भी हाई कोर्ट ही तय करेगी। अपील उसकी करनी है भी या नहीं, इस क्रम का भी फ़ैसला हाई कोर्ट ही करेगी। यह इस तरह के अख्तियारात इस कानून में रखे गये हैं जो मेरे ख्याल में किसी भी कानून में नहीं मिल सकते। इस तरह के प्रावीजन्स किसी भी तरह के मुकद्दमे में लागू नहीं होते, मार्शियल ला में भी यह इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि हर चीज़ की हद होती है।

बेशक, गुहा साहब ने फ़रमाया कि पहले सन् १९४८ में ऐसा कानून पास कर दिया गया है। इसलिये कोई नयी बारबैरिज्म इंट्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। लेकिन बारबैरिज्म के रिपीट करने से वह कोई अच्छी चीज़ नहीं हो जाती। अगर सन् १९४८ में गलती की तो कोई वजह नहीं है कि हम फिर उस

तरह की ग़लती करें और इस तरह का क़ानून पास किया जाय। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के तमाम अख़्तियारात एक शख़्स को देने का क़ानून क्या किसी और जगह भी मौजूद है। एक ही शख़्स दावा करे, वही उस के फ़ैसले के लिये जज बन जाय, खुद ही गवाह बन जाय, दूसरी गवाही आने की इजाज़त न हो अपील की इजाज़त न हो, इस तरह का कानून न तो सुना गया और न देखा गया। इसलिये बावजूद इस क़दर गुस्से के और परेशानी के जो कि हर मैम्बर पार्लियामैंट को है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कि बेईमानी कर के लोगों का रुपया हड़प लिया है, जो छोटे लोगों का रुपया खा गये हैं, बावजूद इन सब बातों के, कम अज़ कम यह इस में तय कर दिया जाय कि यह क़ानून हमेशा के लिये लागू नहीं होगा। अगर कानून की सख़्त ज़रूरत है तो इस में टाइम दे दिया जाय और इस क़ानून को हमेशा के लिये न रखा ज़ाय। गो मैं इस टाइम की मियाद देने को भी ग़लत समझता हूं। सारी जायदाद अटैच कर ली जाय सिर्फ प्राइमा फेसी होने से यह इस तरह का क़ानून है जिस की ताईद करना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इस क़ानून पर जितनी तवज्जह देनी चाहिये थी वह नहीं दी गई और मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में आने वाली नस्लें जब इस को पढ़ें तो कहें कि यह किस तरह का क़ानून है। इसलिये मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर इस क़ानून को रखना ही है तो यह कर दीजिये कि इस को एक या दो साल के वास्ते रखा जायगा, जब तक कि यह ख़राबी है जो बैंकों में खराबी आ गयी हे उस के लिये जब तक वह खराबी रहेगी, तब तक यह क़ानून रहेगा। गो यह भी मैं समझता हूं कि एक्सप्रोप्रियेशन की तजवीज है, ग़लत तजवीज़ है। मैं नहीं चाहता कि एक दिन के वास्ते भी हमारे देश के किसी जज को, हाई-कोर्ट के जज को या किसी को भी इस क़दर आरबिट्री पावर्स दी जायं, और ऐसा क़ानून पास किया जाय। मैं निहायत ज़ोर से और बड़े ज़ोर से प्रोटेस्ट करता हूं कि ऐसा क़ानून हाउस में पेश किया जाय और पास किया जाय। यह सारा सैक्शन ऐसा है जिसको कि रीकास्ट करने की ज़रूरत है और रीमोल्ड करने की ज़रूरत है और हम इस को इस शक्ल में पास नहीं कर सकते।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय विधि मंत्री सौभाग्य से आज यहां मौजूद हैं। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि कल यह बात एक सभ्य संविधान के अनुकूल होगी कि उच्च न्यायालय इस बात का निश्चय करे कि किसी अमुक मामले की अपील दायर की जा सकती है या नहीं। यह काम तो वास्तव में विधान निर्माताओं का होना चाहिये।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : इस का उत्तर तो अति साधारण है। उच्चन्यायालय को यह शक्ति तो विधान-मंडल द्वारा ही दी जा रही है। उच्चन्यायालय तो विधान मंडल द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग ही करेगा।

श्री आर० के० चौधरी : मैं इस विषय में एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक ही अधिनियम में दो एक से उपबन्ध कैसे हो सकते हैं? उदाहरण के लिये, बैंकिंग समवाय अधिनियम में धारा ४५ ज (४५ J) के अन्तर्गत जो उपबन्ध है, वह अब बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक में एक दूसरे खंड के अन्तर्गत दुहराया जा रहा है।

श्री ए० सी० गुहा : इस प्रश्न पर आपत्ति करने से पूर्व माननीय सदस्य विधेयक को पढ़ लेते तो ठीक होता। खंड १० में कहा गया है :

> "मुख्य अधिनियम के भाग ३ क के स्थान में निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये अर्थात् :"

[श्री ए० सी० गुहा]

अतः यह भाग ३ क के स्थान में रखा गया है, परन्तु कुछ उपबन्ध तो पहले वाले ही रखे गये हैं और कुछ नये शामिल किये गये हैं। पहले उपबन्धों को नहीं दुहराया जा रहा है। अधिनियम में जो कुछ है उस के स्थान में कुछ और चीज़ें आदिष्ट की गई हैं या पिछली चीज़ों को नये तरीके से रखा गया है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : खंड ४५ ण (४५–०) में जो उपबन्ध है वह अत्यन्त अनुचित है। प्रत्येक सभ्य देश में परिसीमा विधि रहती है। प्रस्तावित खंड ४५ ण (४५–०) के उपखंड २ में यह उपबन्ध है कि किसी बैंकिंग समवाय के निदेशक के विरुद्ध बैंकिंग समवाय द्वारा किये गये दावे के लागू किये जाने की कोई परिसीमा नहीं रहेगी। इस संशोधन द्वारा तो ऐसे निदेशन भी गिरफ्त में आ जायेंगे जो बहुत पहले बैंकिंग समवायों के निदेशक रहे हों। यदि आप यह कहें कि इन बैंकिंग समवायों को खत्म ही करना है तब तो यह बात समझ में आ सकती है, परन्तु इन के सम्बन्ध में दण्डात्मक विधि का उपबन्ध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

पुराने जमाने में दिवालिये के साथ निस्सन्देह दुर्व्यवहार होता था। परन्तु क्या हम आजकल के प्रगतिशील युग में भी उन योजनाओं को यथावत् रखेंगे? आखिर, महाजनी का काम भी साधारण व्यवसायी लोग ही करते हैं। उन्हें यातनायें देने का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ? कुछ लोग ठग तो अवश्य होते हैं। परन्तु हमें उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये न कि सारे महाजनों के विरुद्ध।

यदि आप परिसीमा कालावधि का कोई उपबन्ध नहीं रखेंगे तो मामला और भी गम्भीर बन जाता है। इस तरह से सम्पदा शुल्क वसूल करने में भी कठिनाई आ जायगी। इस उपबन्ध के अन्तर्गत इन दिवालियों के लिए अभिलेख अनिश्चित काल के लिए मौजूद रखने होंगे ताकि इनके विरुद्ध किसी भी समय कार्यवाही की जा सके। जैसे कि श्री भार्गव ने कहा हम अभूतपूर्व ढंग का आपराधिक उपबन्ध रख रहे हैं जो कि न केवल भद्दा लगता है अपितु न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल भी दिखाई पड़ता है।

परिसीमा कालावधि निश्चित न कर के हम उन पुराने दिनों को फिर ला रहे हैं जबकि दिवालया एक पापी समझा जाता था तथा उसे पहले अपने पाप के लिए दंड दिया जाता था, तथा फिर उस से धन की वसूली आदि का प्रयत्न किया जाता था। यदि हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को अपना पैसा मिल जाये तो हमारे पास अविलम्ब वसूली तथा वितरण के उपाय होने चाहियें। यह नहीं कि इस काम को अनिश्चित काल के लिए उठा के रखा जाये तथा वर्ष वर्ष बीत जाने के बावजूद रिकार्ड सम्भाल के रखे जायें। इस तरह से बेचारे डायरेक्टर के सिर पर सदा एक तलवार लटकती रहेगी।

श्री कासलीवाल : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के कथन का समर्थन करता हूं। धारा ४५-जे तथा धारा ४५-ओ संविधान के अनुच्छेद १४ के उपबन्धों के विरुद्ध हैं। आप इन डायरेक्टरों, लेखा परीक्षकों आदि को इस अधिकार से वंचित रख रहे ह कि कानून के सामने सब बराबर है उन के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला): श्रीमन्, मेरी बायें ओर बैठे माननीय मित्रों ने जो आशंकाएं प्रकट की हैं वह मेरे विचार में उचित नहीं। खंड ४५-ओ (२) के सम्बन्ध में कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है। यदि

परिसीमा कालावधि निश्चित नहीं की गई है तो उस का सम्बन्ध केवल याचना राशि के बकाया की वसूली से है और वह भी डायरेक्टरों तक ही सीमित है। मैं नहीं समझता हूं कि यहां क्यों कालावधि सीमित रखी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर्त्तन के लिए.....

श्री टेक चन्द : उस के लिए तो १२ वर्ष हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस के लिए भी कोई परिसीमा अवधि नहीं है।

श्री टेक चन्द : जहां तक धारा ४५-ओ(२) का सम्बन्ध है, इस पर किसी को शिकायत नहीं हो सकती है क्योंकि 'प्रत्येक व्यक्ति को जिस ने आंशिक रूप से भुगते शेयरों को खरीदा होगा, यह जान लेना चाहिए कि उसे इसका बकाया भी चुकाना होगा जब कभी उसे ऐसा कहने के लिए कहा जाये। यहां तो परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यदि अंशधारियों (शेयर होल्डरों) पर भी यह लागू होता तो भी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। परन्तु बैंकिंग समवायों द्वारा अपने किसी डायरेक्टर पर किसी संविदा के आधार पर दावा दायर करने के सम्बन्ध में भी कोई परिसीमा कालावधि निश्चित नहीं की गई है। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अवधि १२ वर्ष निश्चित की जानी चाहिये, तथा इस उपबन्ध में कुछ संशोधन किया जाना चाहिये।

धारा ४५एन (१) के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दावा ५००० रुपये से कम का हो तो ऐसे मामलों में अपील का उपबन्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक इसी धारा के भाग (२) का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालयों को अपीलों से सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार देना एक आपत्तिजनक बात है। उच्च न्यायालयों को विधायिनी शक्ति प्रदान करना एक अच्छी बात नहीं है। विधान बनाने की शक्ति केवल इस सदन को प्राप्त होनी चाहिये, तथा यदि यह सदन उचित समझेगा तो अपील का उपबन्ध रखा जाना चाहिये। इस में दूसरी कठिनाई यह है कि यह बात उच्च न्यायालयों पर छोड़ी गई है कि वह इस बारे में अपील का उपबन्ध रखें अथवा न रखें। इस का परिणाम यह होगा कि एक ही प्रकार के मामले का दो उच्च न्यायालय दो तरह से निवारण करेंगे। एक इसके लिए उपबन्ध रखेगा तथा दूसरा उपबन्ध नहीं रखेगा। यदि उन्हें अपील का उपबन्ध रखने का अधिकार देना है तो यह सारे उच्च न्यायालयों के लिए अनिवार्य होना चाहिये। इसमें यह भी कठिनाई है कि एक उच्च न्यायालय के नियम दूसरे उच्च न्यायालय के नियमों से भिन्न हो सकते हैं। इस तरह से कानून में एकरूपता नहीं रहेगी। इस से संघर्ष उत्पन्न होने की भी आशंका है। उचित बात तो यह होती कि यह सदन दो जजों के डिवीजन बैंच में अपील करने का उपबन्ध रख देता। वर्तमान रूप में यह कानून आपत्तिजनक है।

श्री सर्मा : श्रीमन्, ४५ जे, के तथा ओ धाराओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की है उस से ऐसा लग रहा है कि गोया हम साधारण दीवानी अथवा फौजदारी कानून बना रहे हैं। वह शायद यह भूल जाते हैं कि हम यह कानून किन लोगों के लिए बना रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से बैंक फेल हुए। इन के फेल हो जाने के हेतु स्वयं डायरेक्टर बने। उन्होंने अपनी मनमानी कार्यवाहियों के कारण जनता का पैसा बर्बाद किया। उन की इन कार्यवाहियों

[श्री सर्मा]

को ध्यान में रखते हुए यह उपबन्ध कुछ अधिक कड़े नहीं हैं ? यह अत्यन्त ही वांछनीय तथा शुभकर हैं । बैंकों के सही विकास के लिए यह आवश्यक भी है । यह कानून बेईमान लोगों के लिए है । ईमानदार लोगों को इस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं ।

मैं अपने मित्र श्री त्रिवेदी से निवेदन करता हूं कि इन उपबन्धों का यह सुखकर प्रभाव पड़ेगा कि बैंक डायरेक्टरों का व्यवहार भविष्य में अच्छा रहेगा तथा जिन डायरेक्टरों ने भूत काल में मनमानी कार्यवाहियां की हैं, उन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी । यदि इन उपबन्धों का ठीक तरह से अनुसरण होगा तो हमें निस्सन्देह इन्हें पास करने में कोई पछतावा नहीं होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमन्, आज फिर धारा ४५ जे पर चर्चा शुरू की गई है । मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो माननीय सदस्य इस पर क्षुब्ध हुए हैं उन्होंने इसे भली भांति पढ़ने का कष्ट नहीं किया है । मैं ने बार बार उन का ध्यान उन की गलत धारणाओं की ओर दिलाया तथा उनकी गलती दूर करने की कोशिश की, परन्तु वह फिर उसी बात को दुहराते चले जा रहे हैं । धारा ४५ जे की हर बात वास्तव में भारतीय बंकिंग समवाय अधिनियम में विद्यमान है । मैं नहीं समझता हूं कि उच्च न्यायालयों ने इस के आधार पर इस समय तक कोई अत्याचार किया है ।

जहां तक धारा ४५-ओ का सम्बन्ध है, इस के द्वितीय भाग में कहा गया है कि शेष सभी दावों के बारे में परिसीमा कालावधि बारह वर्ष होगी । डायरेक्टरों के केवल उन दायित्वों के सम्बन्ध में परिसीमा कालावधि निश्चित नहीं की गई है जोकि किसी संविदा के आधार पर आधारित होंगे । अन्य दायित्वों के सम्बन्ध में कालावधि १२ वर्ष निश्चित की गई है ।

श्रीमन् यदि इस विधेयक के उपबन्ध कुछ माननीय सदस्यों को कड़े लगते हों, तो मेरा विचार है कि उन्हें बैंक परिसमापन प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिये । यदि हमारे समाज में कुछ आधुनिक ढंग की समाज-विरोधी कार्यवाहियां हो रही होंगी तो हमें उन्हें रोकने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिये । यह डायरेक्टर शेयरहोल्डरों द्वारा चुने जाते हैं तथा इस के बावजूद यह उलटे उन का ही रुपया बर्बाद करते हैं । इस का फल इन्हें भुगतना चाहिये । यदि उन्होंने डिपाज़टरों का पैसा नष्ट किया है तो उन्हें यह पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिये ।

श्रीमन्, इस के अतिरिक्त मुझे और कुछ कहना नहीं । मैं यह मानता हूं कि यह एक आकस्मिक विधान है जोकि एक आकस्मिकता का निवारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे मित्र ने अभी अभी बताया है कि यह एक आकस्मिकता विधान है जोकि आकस्मिकता का निवारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है परन्तु यह कानून सदा के लिए संविधि में रहेगा तथा यह हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जिस ने कि किसी बैंकिंग समवाय की स्थापना में किसी समय सहायता दी हो । धारा ४५ जे इस का प्रमाण है ।

श्री **ए० सी० गुहा** : परन्तु इस बारे में परन्तुक यह भी रक्खा गया है कि "किन्तु अपराध इस अधिनियम अथवा भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ का सातवां) के अन्तर्गत दंडनीय होना चाहिये ।"

पंडित ठाकर दास भार्गव : मुझे खेद है कि मंत्री जी मेरी बात नहीं समझ सके हैं । इन अपराधों के सम्बन्ध में न केवल अपराधियों को दण्ड मिलेगा अपितु कुछ निर्दोष व्यक्ति भी इस में फंस जायेंगे । जज ही स्वयं अभियोक्ता भी होगा तथा न्यायाधीश भी होगा तथा किसी अपील की अनुमति नहीं दी जायेगी । हो सकता है कि उच्च न्यायालय बहुत देर तक नियम ही न बनावें । माननीय प्रस्तावक कृपया यह बतलाने की कृपा करें कि क्या यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो कि इस की ज़द् में आ जायेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि केवल वर्तमान उपबन्ध को ही यहां रखा गया है । इस उपबन्ध के अन्तर्गत अब तक कोई बुरी बात नहीं हुई है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि हम ने पहले कोई गलती की हो तो क्या हमें उसे फिर दुहराना चाहिये ?

श्री सर्मा : परन्तुक के अन्तर्गत यह तीन प्रकार की श्रेणियों के व्यक्तियों तक सीमित है अर्थात् डायरेक्टर, मैनेजर अथवा उस का कोई अधिकारी ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : यह मेरे मित्र की गलती है । धारा ४५ जे के अन्तर्गत इस में वह लोग भी आ जायेंगे जिन्होंने कि कम्पनी की उन्नति में सहयोग दिया हो ।

श्री एस० एस० मोरें : माननीय मंत्री जी ने कहा कि परन्तुक इस को उन विशिष्ट अपराधों तक सीमित करता है जो कि इस अधिनियम अथवा भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं । मैं उन का ध्यान उप-धारा (२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस के अनुसार केवल एक शर्त है, अर्थात् अपराध इस प्रकार का हो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, उसी मुकदमे में अभियुक्त पर इस विशिष्ट परन्तुक में वर्णित अपराधों के साथ-साथ दोष लगाया जाए । मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी की यह व्याख्या कि यह भारतीय समवाय अधिनियम अथवा इस अधिनियम तक ही सीमित है, पूर्णरूपेण सही नहीं है । वे कृपया इस बात पर प्रकाश डालें ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय सदस्य ने ये अंतिम शब्द नहीं पढ़े हैं "जिस का कि अभियुक्त पर उसी मुकदमे में अपराध लगाया जाए" । इसलिए यदि मुकदमे के दौरान में बैंक का कोई डायरेक्टर अथवा मैनेजर अथवा कोई अधिकारी झूठी गवाही का दोषी पाया जाए तो उस पर इस के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि यह उसी मुकदमे से सम्बन्धित अपराध है ।

खंड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ११, १२ और १३ विधेयक के अंग बना लिए गए ।

खंड १, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बना लिए गए ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए ।"

मुझे केवल एक बात कहनी है । मैंने सिद्धान्ततः श्री वसु के संशोधन को स्वीकार कर लिया है । श्री वसु ने पूछा कि डायरेक्टर के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी । मैं उन का ध्यान वर्तमान बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४६ की ओर आकर्षित करता हूं । डायरेक्टर तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे मामलों में इसी धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं ने दो दिन तक बड़े ग़ौर से इस हाउस में जो बहस मुबाहसा हुआ, वह सुना। मैं कुछ क़ानूनदां नहीं हूं, लेकिन व्यवहार-बुद्धि खूब जानता हूं। मुझे इस बहस मुबाहसे से मालूम हो गया कि यह बिल बिल्कुल अन्याय है, लेकिन यह पास केवल इसलिये हो रहा है कि मैजारिटी की मस्ती है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री झुनझुनवाला : मेरे माननीय मित्र श्री त्रिवेदी ने खंड ञ पर बोलते हुए कहा कि यह बड़ा अत्याचारी कानून है। श्री गुहा ने कहा कि यह कानून तो विगत लम्बे अरसे से चला आता है। मैं समझता हूं कि इसका अन्तर्निहित आशय यही हुआ कि उन्होंने यह मान लिया कि यह अत्याचारी कानून है। श्री सर्मा ने कहा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली की समृद्धि और विकास के लिए इसका होना आवश्यक है। मैं बिलकुल इस के विपरीत विचार कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि इस से बैंकिंग प्रणाली के विकास में बाधा पहुंचेगी।

जब श्री गुहा इस ओर बैठा करते थे तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब वित्त मंत्री को उन के प्रश्नों का उत्तर न देना पड़ता हो। और अब गुहा साहब कहते हैं कि यह एक आपातिक विधेयक है। यदि यह आपातिक विधेयक है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ने कोई ऐसा उदाहरण बतलाया है जहां कि, फेल हो गए बैंकों के अतिरिक्त, किसी बैंक ने इस प्रकार का व्यवहार किया हो। दूसरे बैंक और उन के डायरेक्टर ठीक प्रकार से चल रहे हैं। आप ने यहां ऐसे उपबन्ध रक्खे हैं जिस से कि ईमानदार, सम्मानित और अच्छे डायरेक्टर नहीं आयेंगे क्योंकि उन्हें शरारती लोगों के फंदे में आ जाने का डर रहेगा। श्री सर्मा ने कहा कि इतने बैंक स्थापित हो जाते हैं और उन के डायरेक्टर धोकेबाज और फरेबी लोग बन जाते हैं तथा रुपया जमा करने वालों को ठग लेते हैं। यदि ऐसी बात है तो ये उपबन्ध उन्हीं बैंकों पर लागू किए जाएं, सभी डायरेक्टरों पर नहीं। अन्यथा यह विधेयक देश में ऐसे बैंकों के डायरेक्टरों को हानि पहुंचाएगा जो ईमानदारी से और भली भांति इस देश की सेवा करते रहे हैं।

श्री तुलसीदास : विभिन्न कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि उन बैंकिंग समवायों के लिए इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कि परिसमापन के अन्तर्गत है। मैं इस बात को मानता हूं कि बैंकिंग कम्पनियों पर उच्च अधिकारियों को निगाह रखने की आवश्यकता है और निक्षेपकों के खोए गए रुपए के सम्बन्ध में सरकार की पूर्ण सहानुभूति आवश्यक है। किन्तु यह प्रश्न महज़ यह नहीं है कि उन बैंकों से किस प्रकार निक्षेपकों का रुपया वसूल किया जाए जोकि परिसमापन में हैं। यह हमारी बैंकिंग प्रणाली को एक दृढ़ आधार पर विकसित करने का भी प्रश्न है। एक ओर तो आप चाहते हैं कि इस देश में बैंक समृद्धि को प्राप्त हों, अन्य देशों में अपनी शाखायें खोलें और दूसरी ओर आप बैंकों के डायरेक्टरों के लिए इतनी कड़ी और दुविधापूर्ण शर्तें लगा रहे हैं। आप इस विधेयक द्वारा लोगों के मस्तिष्क में यह भावना पैदा कर रहे हैं कि बैंकों के सभी डायरेक्टर बेईमान और धोकेबाज़ होते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बैंकों के डायरेक्टरों पर एक कलंक है। मैं समझता हूं कि आप को रचनात्मक आधार पर विचार करना चाहिए। मैं अनुभव करता हूं कि आप ने रिज़र्व बैंक को असीम

अधिकार दे रक्खे हैं । इन अधिकारों के साथ, यदि रिज़र्व बैंक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाएं और जागरूक रहे तो इस देश में इतना बड़ी संख्या में बैंक प्रति वर्ष फेल नहीं हो सकते ।

मैं जानता हूं कि छोटे-छोटे निक्षेपकों का बचाया हुआ रुपया बैंकों के फेल होने पर समाप्त हो जाना बड़ी दर्दनाक बात है । किन्तु यदि रिज़र्व बैंक जागरूक न रहे तो बैंक फेल होते ही रहेंगे, आप चाहे जो विधान बना लें ।

मुझे विश्वास है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि बैंकों की प्रतिष्ठा उन के डायरेक्टरों पर निर्भर है, उन्हीं के नाम पर वे फलते-फूलते हैं । यदि आप समस्त डायरेक्टरों पर यह कलंक लगायेंगे तो क्या होगा ? क्या इस देश से बाहर के लोग इन बैंकों से कोई कारोबार करेंगे ? क्या हमारे ही देश के लोगों को हमारे बैंकों में भरोसा रहेगा और इस पर भी हम आशा करते हैं कि देश में और विदेशों में हमारे बैंक उन्नति करेंगे । मेरी समझ में यह तर्क नहीं आता ।

रिज़र्व बैंक को अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से न निभाने पर आड़े हाथों क्यों नहीं लिया जाता ? रिज़र्व बैंक के डायरेक्टर इस विधेयक के उपबन्धों से मुक्त हैं । रिज़र्व बैंक तथा अन्य बैंकों के डायरेक्टरों के मध्य भेद क्यों रक्खा गया है ? रिज़र्व बैंक को बड़े-बड़े अधिकार हैं । वह ऋण जारी कर सकता है, वह अनुसूचित बैंकों को मैनेजर अथवा मुख्य लेखापाल की नियुक्ति पर निदेश दे सकता है, वह बैंकों से सब प्रकार की सूचना संकलित कर सकता है । किन्तु इस के बावजूद भी, कोई बैंक परिसमापित क्यों हो जाता है ? जो बैंक परिसमापन में आ गया है उस के शीघ्र परिसमापन के लिए आप अवश्य अधिकार-ग्रहण कीजिए । किन्तु इन अधिकारों को संविधि-पुस्त पर ला कर डायरेक्टरों के लिए कठिनाई पैदा न कीजिए । यदि रिज़र्व बैंक के किसी निदेश का पालन कोई बैंक न करे तब तो मैं उस के विरुद्ध आप की कार्यवाही का अर्थ समझ सकता हूं । किन्तु रिज़र्व बैंक इन सब अधिकारों के बावजूद भी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है ।

मेरा सुझाव बहुत स्पष्ट है । परिसमापन में जो बैंक हों उन के सम्बन्ध में ये अधिकार अवश्य ही ग्रहण कीजिए । किन्तु भविष्य में रिज़र्व बैंक अधिक सक्रिय रहे, अधिक जागरूक रहे और देखे कि बैंकिंग संस्थाएं ठीक तरह से काम करें । किन्तु यहां आप एक ऐसी चीज़ को संविधि पुस्तक में रख रहे हैं जो कि बैंक संस्थाओं पर एक कलंक है । मैं अपने अनुभव से आप को बतलाता हूं कि यदि आप बैंक के डायरेक्टरों पर ये कठोर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो अच्छे नागरिकों के लिए बैंकों का डायरेक्टर होना सम्भव नहीं होगा । इसलिये मैं अब भी उपमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने से पूर्व भली भांति विचार कर लें ।

श्री जोकीम आल्वा : मुझे खुशी है कि 'गिनी पिग' डायरेक्टरों का युग समाप्त हो चुका है—ये गिनी पिग डायरेक्टर बड़े भद्र, सुसम्मानित व्यक्ति हैं जिन का बड़ा नाम होता है, जैसा कि श्री तुलसीदास किलाचन्द जी ने बतलाया । किन्तु वास्तविकता यह होती है कि बड़े-बड़े नामों के ये लोग बहुत शान्त प्रकार के होते हैं और बैंकों के काम में कोई प्रत्यक्ष रुचि नहीं लेते जिस के परिणामस्वरूप फरेबी लोगों को बैंकों का काम चलाने की छूट मिल जाती है। मुझे खुशी है कि वे दिन समाप्त हो चुके हैं । मैं अपने माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द को बतलाना चाहता हूं कि उन चोर बाज़ारी करने वालों को जेल

[श्री जोकीम आल्वा]

में भेजना ही होगा जिन्होंने कि बैंकों को एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में करोड़ों रुपये भेजने का साधन बना रक्खा हैं, जो बोर्ड की बठकों में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सारी कार्यवाही को एक विशिष्ट दिशा में मोड़ देते हैं और जो छोटे-छोटे निक्षेपकों के मूल्य पर रुपया कमाते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या माननीय मित्र आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं ?

श्री जोकीम आल्वा : उनकी संख्या बहुत अधिक है । कम्पनी के बड़े होने के कारण संचालक वर्ष में एक बार ही मिलते हैं। अब जब इन पर मुकद्दमा चला करेगा, तो ये इस प्रकार वर्ष में एक बार दावत न उड़ाया करेंगे । एक वकील के नाते मैं जानता हूं कि न्यायाधीशों को अभियोक्ता तथा न्यायाधीश बनाने वाली विधि बुरी ही कही जाएगी । उच्च न्यायालय को किसी भी संचालक पर अभियोग चलाने के विषय में दी जाने वाली यह शक्ति उचित नहीं है । बम्बई के मुख्य न्यायाधीश श्री चागला के कथनानुसार न्यायाधीश का काम साक्ष्य एकत्र करना नहीं, बल्कि न्याय करना है । अतः यह उपबन्ध उचित नहीं है । यह प्रक्रिया न्यायोचित नहीं है । यदि विघटन के समय किसी संचालक को कोई उच्च न्यायालय दोषी माने, तो वह मामला दूसरे उच्च न्यायालय में जाना चाहिए । अतः मैं जोर देकर कहता हूं कि यह उपबन्ध न रखा जाए ।

अमरीका के ३०,००० बैंकों में १९२९–३० की मुसीबत में १४,००० लुप्त हो गए । यह मंदी के कारण हुआ । पर कई हजार डालर बचाने के उपाय उन्होंने खोज लिए और फेडरल बैंक ने सहायता दी । यहां रक्षित बैंक अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रहा है । १९५० में उसने एक्सचेंज बैंक आफ इंडिया को ८० लाख रुपए दे दिए और वे लोग स्वयं प्राविधिक आधारों पर बच गए । क्या यह उचित है ? १९२६ से अमरीका में १४००० बैंक फेल हुए हैं, जब कि भारत में कुल ३०० ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुखबंध लगाता हूं । प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थान और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक विधेयक को लेगा । डा० एन० बी० खरे ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) अंग्रेजों ने पहली विजय के उन्माद में और राजनीतिक आवेश में पूना, रायगढ़ और नागपुर आदि के पेशवाई महलों को नष्ट कर दिया । लार्ड कर्जन ने यद्यपि देश के साथ अनेक बुराइयां कीं, पर उन्होंने ज्ञान के एक महत्वपूर्ण अंग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । और हमें हर्ष है कि आज कांग्रेस सरकार ६–७ वर्ष बाद विधेयक सामने लाई है, जिसका मैं स्वागत करता हूं । फिर मुझे संदेह है कि कांग्रेस सरकार कहां तक इस कार्य को पूरा कर सकेगी । जब कभी हम भारत के प्राचीन गौरव की बात करते हैं, तो ये लोग अतीत को दबा कर भविष्य के सपने हमारे सामने रखते हैं । आइंसटिन के आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार तीनों कालों को उड़ा कर एक मानते हुए जब हम अपने गौरव का उल्लेख करते हैं, तो ये हमें प्रतिक्रियावादी बताते हैं । और अब ये कब्रें खोदने चले हैं । हमें तो विश्वास

नहीं होता कि ये उतनी ही सचाई से काम करेंगे, जितना येदिखावा कर रहे हैं। मुझे यही तो शिकायत है।

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व त्रावणकोर कोचीन राज्य में शबरीमलै मंदिर के, जिसका सम्बन्ध शबरी के हाथ बेर खाने वाले श्री रामचन्द्र से था, गुंडों द्वारा नष्ट किए जाने के विषय में मैंने जानकारी चाही, तो अध्यक्ष महोदय ने मुझ से से कहा कि मैं पहले मन्त्री जी से सीधे-सीधे पता लगा लूं। मैंने तदनुसार गृहमन्त्री को अत्यन्त विनम्र पत्र लिखा, परन्तु उन्होंने झूठी शान में मुझे उत्तर तक नहीं दिया। फिर मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न रखा, पर उसे नियमानुकूल नहीं ठहराया गया। इस कारण मुझे सरकार की सचाई में सन्देह है। धर्म-निरपेक्ष होने के नाते उसे किसी प्राचीन या धार्मिक बात से मतलब नहीं है। वैसे में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। रक्षा संगठन मन्त्री (श्री त्यागी) अद्भुत समर्थन है।

डा० एन० बी० खरे : अन्त में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के एक सेवक एक मन्त्री ने सदन के एक सदस्य और जन प्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव किया।

कई माननीय सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : २३ सदस्य बोलना चाहते हैं। पहले लिए गए समय के अतिरिक्त अब कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति ने १½ घंटे का समय और दिया है : उतने में कम से कम विचार प्रस्ताव पूरा हो जाना चाहिए।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : कम से कम आज का पूरा दिन इस के लिए दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यक्रम परामर्श-दात्री समिति के सदस्य अपने वर्गों के सदस्यों को समझा दिया करें। मैं हर बार समय नहीं बढ़ा सकता। हमें अधिनियम की कार्यप्रणाली को नहीं लेना है। केवल अनुसूची में ली गई मदों का ही प्रश्न है। मैं साधारण चर्चा ५ बजे समाप्त कर दूंगा और आध घंटे में अनु-सूचियों के संशोधन निपटा दिये जाएंगे, और चूंकि १० मिनट बीत चुके हैं, उसे निकालते हुए ५-४० बजे मुखबंध लगेगा। एक घंटा साधारण चर्चा के लिए है, माननीय सदस्य कही गई बातें न दुहराएं।

श्री सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : प्रत्येक राज्य से एक सदस्य लें और वर्णानुक्रम से आंध्र और आसाम से शुरू करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधेलाल व्यास।

श्री राधेलाल व्यास : सभापति जी, मैं आप को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय सब से प्रथम दिया। मुझे एक तो यह निवेदन करना है कि यह जो हाउस के सामने अमेंडमेंट्स शासन की ओर से आती हैं कि फलां आरकियालाजिकल इम्पार्टेंस के स्थान को शामिल कर लिया जाय और इसी तरह की जो अमेंडमेंट्स मैम्बर्स की तरफ़ से भी आती हैं और हम को वोट देना होता है, उनके बारे में हम को कोई पता नहीं कि जो चीज़ शामिल की जायगी, उस का क्या महत्व है, वह कब बनी थी, क्या उसका इतिहास है, क्या उसका आर्किटैक्ट है और क्या इम्पार्टेंस हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी इस प्रकार की चीज़ सामने आवे तो शासन को पूरा इतिहास उसका हाउस के सामने रखना चाहिये, ताकि वह निर्णय कर सके कि वास्तव में यह नैशनल इम्पार्टेंस का स्थान है या नहीं और उसका समावेश इस आलेख या बिल में होना चाहिये या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रकार सम्पदा शुल्क विधेयक के सम्बन्ध में माननीय वित्त

[उपाध्यक्ष महोदय]

मन्त्री ने संशोधन रखने वाले सभी सदस्यों से बात की थी, उसी प्रकार इस महत्वपूर्ण विधेयक के विषय में भी माननीय मन्त्री यदि सदस्यगण को बुलाकर पूछ लेते कि अनुसूची में क्या घटया बढ़ाया जाए, तो अच्छा रहता।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमन्त्री (श्री के० डी० मालवीय): मैंने माननीय सदस्यों से कई बार बात की है, पर संशोधन नित्य आ रहे हैं और जब तक मौके की जांच न करा ली जाए, उनको मानना या अस्वीकार करना संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब श्री गाडगिल का संशोधन मानते हुए सूची में सुविधानुसार जोड़ तोड़ करना उचित रहता।

श्री क० डी० मालवीय : संविधान की सप्तम अनुसूची की मद ६७ में 'संसद विधि द्वारा' इन शब्दों के निर्वचन को लेकर यह कठिनाई है कि यह संसद् द्वारा ही हो।

श्री घुलेकर (झांसी जिला दक्षिण) : रानी झांसी के महल के विषय में संशोधन रखने पर भी मुझे कभी नहीं बुलाया गया। अत: मैं बोलना चाहता हूं।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मन्त्री (श्री बिस्वास) : क्या मैं श्री गाडगिल के संशोधन के विषय में एक शब्द कह लूं ?

नि:सन्देह यह बड़ी सरल प्रक्रिया है और सदन इसे मान ले और वैध परामर्श भी, जो हम लेने जा रहे हैं, इसके पक्ष में हो, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है।

वस्तुत: १९०४ के अधिनियम में स्मारकों के राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए जाने की बात न थी, बल्कि विज्ञप्ति द्वारा कुछ स्मारकों को रक्षित स्मारक घोषित कर देने का उपबन्ध था। धारा ३ यों कहती है :

"(१) केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी प्राचीन स्मारक को इस अधिनियम के अर्थ में रक्षित स्मारक घोषित कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति स्मारक पर या उसके निकट एक प्रमुख स्थान पर चिपका दी जाएगी और साथ ही यह सूचना भी चिपका दी जाएगी कि इस विज्ञप्ति के निकाले जाने की तिथि के एक मास के अंतर्गत प्राप्त हुई आपत्तियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(३) उक्त एक मास की अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार को यदि आपत्तियां प्राप्त हुई हों तो उन पर विचार करने के बाद विज्ञप्ति को या तो पक्का कर देगी या वापस ले लेगी।

(४) इस धारा के अधीन प्रकाशित एक विज्ञप्ति, जब तक उसे वापस न ले लिया जाए, इस बात का पक्का साक्ष्य होगी कि सम्बन्धित स्मारक इस अधिनियम के अर्थ में एक प्राचीन स्मारक है।

उसी प्रकार सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची की मद ६७ के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महत्व की घोषणा के विषय में वही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

डा० लंका सुन्दरम् : तो आप के विचार से संविधान को संशोधित करना होगा।

श्री बिस्वास : फिर सूची में दो पद प्रयक्त किए गए हैं--"विधि द्वारा घोषित

तथा "विधि द्वारा या विधि के अधीन।" पिछली बात २३ और २७ आदि मदों में है। अब क्या "विधि द्वारा" का अर्थ यह है कि संसद् स्वयं यह घोषित करे ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री बिस्वास : पर हां या न कहना व्यक्तिगत अभिमत की बात है। इस पर वैध परामर्श लेना होगा। एक विचार यह भी है कि "या विधि के अधीन" शब्दों के आधार को लेकर विज्ञप्ति निकालना नियमानुकूल रहेगा।

फिर "या विधि के अधीन" शब्दों को छोड़ कर अकेले "विधि द्वारा" शब्द ३२, ५२, ५३, ५४, ५६, ६२, ६३, ६४, ६७ आदि मदों में आते हैं। मैं अभी तक नहीं समझ सका हूं कि इन दो प्रकार के पदों के प्रयोग का प्रयोजन क्या था ? प्रिवी परिषद् का एक निर्णय मेरे पास है, पर वह दूसरी बात है।

अतः इन सब बातों से यह सन्देह उठता है कि ठीक प्रक्रिया क्या है। मुझे यह स्वीकार करते हुए संकोच नहीं है कि संविधान में जहां भी "विधि द्वारा" शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, हमने वस्तुतः विज्ञप्ति निकालने की शक्ति ग्रहण की है। मैं केवल मन्त्रियों के वेतन वाले अधिनियम का ही निर्देश करूंगा। वहां कुछ बातों के विषय में विज्ञप्ति निकालने का उपबन्ध रखा गया है। अतः मैं कहूंगा कि कोई एकरूप प्रणाली नहीं अपनाई गई है, पर अब चूंकि इस प्रश्न की ओर निश्चित रूप में ध्यान आकर्षित किया गया है, अब हमें इधर या उधर कुछ निश्चित निर्णय कर देना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को को यथारूप मान लिया जाए।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री बिस्वास : तो क्या आपका सुझाव है कि विधेयक के इस रूप में होते हुए भी अनुसूचियों में लिए गए स्मारकों के विषय में हम विज्ञप्तियां प्रकाशित करते रहें। वह प्रश्न तो भविष्य में उठेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सदन द्वारा इस विधेयक का पारित हो जाना ही उचित है—कुछ स्मारकों के लिए जाने या न लिए जाने के संशोधन माने जाएं या न माने जायं सदन अब भी इस विधेयक को पारित कर दे और इस बीच विधि मन्त्री सरकार के सर्वोच्च वैध परामर्शदाता का वैध अभिमत ग्रहण कर लें और तब हम दिए गए परामर्श के अनुसार काम करेंगे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, विज्ञप्ति वाली प्रक्रिया बहुत सुविधा वाली है। यदि सदन स्मारक विशेष को राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानने या न मानने विषयक अपना अधिकार छोड़ देना चाहता है, तो कार्यपालिका को तो खुशी ही होगी और इससे जल्दी भी होगी। पर यह उस रूप में विद्यमान तो है ही।

एक समय १९०४ के अधिनियम में विशद संशोधन करने का विचार था। अब जो भी संरक्षित स्मारक राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा या इसके विपरीत होगा, जो भी स्मारक राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए जायेंगे वे स्वतः १९०४ के अधिनियम के अर्थ में संरक्षित स्मारक हो जाएंगे। अधिनियम अभी निरसित नहीं हुआ है और प्रभावी है। स्थिति यह है। पर हम सब बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

अतः मैं सुझाऊंगा कि इस विधेयक को यथारूप निपटा दिया जाए। इस बीच हम अपनी भावी कार्यविधि के विषय में निर्णय कर लेंगे। उस दृष्टि से मैं माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : क्या हमें इस विशेष संशोधन के सांविधानिक औचित्य के सम्बन्ध में इस समय तर्क प्रस्तुत करने चाहियें या ये खण्डों पर विचार करते समय रखने चाहियें ? यदि आप यह चाहते हों

[श्री गाडगिल]

कि यह प्रश्न अभी निपटा दिया जाय तो हमें संशोधनों पर की जाने वाली चर्चा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । किन्तु यदि प्रशासन सम्बन्धी सुविधा का ध्यान रखना है और यदि माननीय विधि मंत्री द्वारा बताई गई बात ठीक है तो मुझे इस बात में कोई तर्क नहीं मालूम पड़ता ।

श्री के० डी० मालवीय : क्या आप इस प्रश्न को ले रहे हैं ? मैंने तो यह सुझाव दिया था कि इस पर अभी लगभग एक घंटे तक सामान्य चर्चा की जा सकती है और उसके बाद श्री गाडगिल का संशोधन लिया जा सकता है । उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं और उस पर निर्णय किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस बात को निबटा दिया जाय तो सामान्य चर्चा खत्म हो जायगी । यह सामान्य चर्चा किसी विशेष संशोधन के बारे में नहीं हो रही । प्रस्तुत विधेयक एक संशोधक विधेयक है और मूल विधेयक भी ऐसा ही था और इसकी मुख्य बातें हमारे सामने नहीं हैं । हमारे सामने प्रश्न तो यह है कि क्या विशेष स्मारक इतने महत्व के हैं कि इन्हें अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाय अथवा ये राज्य सरकारों के प्रशासन के अन्तर्गत ही रहें । इस साधारण सी बात को जल्दी ही निबटाया जा सकता हैं । इस पर पहिले मैं श्री गाडगिल की बात सुनूंगा और बाद में माननीय मंत्री के विचार भी सुनूंगा ।

श्री बिस्वास : संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ६७ में "प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख ....." दिया हुआ है । राज्य सूची की प्रविष्ठि संख्या १२ के अन्तर्गत यह राज्य सूची का विषय है । केवल पुरातत्वीय स्थान और अवशेष ही समवर्ती सूची, प्रविष्टि संख्या ४० के विषय हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रविष्टि संख्या ६७ बड़ी विस्तृत है । संसद् इन सब के सम्बन्ध में कानून बना सकती है और इन स्मारकों आदि से सम्बन्धित राज्यों के कानून लागू न होकर संसद् द्वारा बनाये गये कानून लागू होंगे । क्या इस विधेयक का सम्बन्ध प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों से है अथवा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से है ?

श्री बिस्वास : दोनों से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों के मामले में संविधान का अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि राज्य इनकी देखभाल करें । यदि कोई स्मारक इतने अधिक राष्ट्रीय महत्व के हों कि वे केन्द्र नियंत्रण में रहने चाहियें तो संसद् उन्हें कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है । इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम श्री गाडगिल के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो किसी विशेष स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होगा जो कि राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं । इससे एक कार्यपालिका और दूसरी कार्यपालिका के बीच झगड़ा पैदा होगा । इन परिस्थितियों में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संसद् प्रत्येक स्मारक या प्रत्येक बात को कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे । मैं इस बारे में और दूसरे विचार भी सुनना चाहता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक द्वारा हम केवल अनुसूची में संशोधन कर रहे हैं अतः इस विधेयक द्वारा अधिनियम की अन्य

धाराओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब विशेष पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों से सम्बन्धित सभी संशोधनों पर विचार करना होगा।

श्री आल्तेकर : मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि इस पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय जो सरकार को अपनी सिफारिश भेजे जिसके बाद सरकार संसद् में कानून बना कर उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरी बात है।

श्री गाडगिल : असली बात तो यह है कि क्या "कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के" शब्दों से यह अभिप्राय निकल सकता है कि इस सदन द्वारा बनाये गये कानून से ही प्रत्येक स्मारक राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है और यह सदन इस बात का निश्चय करने का अधिकार कार्यपालिका को प्रत्यायोजित कर सकता है या नहीं। इससे सरकार को प्रशासन सम्बन्धी असुविधा होगी। मैं समझता हूं कि संविधान के अन्तर्गत अधिकार का प्रत्यायोजन मना नहीं है.

इस सदन ने संविधान के अन्तर्गत कुछ ऐसे कानून बनाये हैं जिनके द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किया गया था। माननीय विधि मंत्री ने एक उदाहरण दिया था कि मंत्रियों के वेतन के कानून के बारे में कार्यपालिका को कुछ अधिकार प्रत्यायोजित किये गये जिससे कि वह नियम बना सके। यदि माननीय सदस्य, मेरे संशोधन द्वारा कानून बनाने के अधिकार प्रत्यायोजित कर रहे हैं तो यह असंवैधानिक है। हमारी वैधानिक नीति यह है कि कुछ प्राचीन स्मारकों या अभिलेखों या पुरातत्वीय स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाय। इसको करना एक दूसरी बात है। किन्तु वास्तविकता यह है कि अधिकार प्रत्यायोजन के कई मामले हैं और यह प्रशासन की दृष्टि से सुविधाजनक है। कौन सा विशेष अधिकार प्रत्यायोजित किया जाय यह उस प्रश्न की महत्ता पर निर्भर करता है। यह कोई बड़ी नीति का मामला नहीं है। इससे देश की सुरक्षा या आर्थिक स्थिति या हमारे विदेशों से सम्बन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इस विधेयक का उद्देश्य तो अनुसूची में परिवर्तन करने का है न कि धाराओं में। मेरा निवेदन है कि संशोधन को विधेयक में उल्लिखित मामलों तक सीमित रखा जा सकता है। इसमें सांवैधानिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह तभी उत्पन्न होगा जबकि अध्यक्ष महोदय यह विनिर्देश करें कि अन्य मामले भी लिये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ सन्देह था। मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव का यह विचार नहीं है कि कोई माननीय सदस्य इस अनुसूची में संशोधन द्वारा अन्यों को राष्ट्रीय महत्व का मान कर सम्मिलित नहीं कर सकते। वह ऐसा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर आपत्ति नहीं हो सकती और यह नियमानुकूल है। सदनन उन स्मारकों को, जिन्हें अधिकारी समय समय पर राष्ट्रीय महत्व का समझे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। मैं श्री गाडगिल की बात को नहीं ले रहा हूं मैं तो यह जानना चाहता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो यह आपत्ति की है कि क्योंकि इससे उसमें एक और धारा जोड़ी जा रही है इसलिये यह विधेयक के कार्यक्षेत्र बाहर है, इसे मैं कहां तक स्वीकार कर सकता हूं। यदि केन्द्रीय सरकार इन्हें अनुसूची में सम्मिलित कर ले तो क्या यह अनियमित होगा ? इसलिये मुझे इसमें सन्देह है। मैं सांवैधानिक बात पर चर्चा करने को अनुमति

[उपाध्यक्ष महोदय]

दे रहा हूं । श्री गाडगिल अपनी बात जारी रखें ।

श्री गाडगिल : इस सदन न उद्योग पर नियंत्रण रखने तथा करारोपण पर नियंत्रण रखने के दो महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में अधिकार को प्रत्यायोजित करने दिया । प्रशासन सम्बन्धी तथा उच्च नीति के मामलों के कारण हमने करारोपण के सम्बन्ध में अधिकार प्रत्यायोजित करने दिये । किन्तु इस मामले में इस प्रश्न का देश की सुरक्षा या अन्य महत्वपूर्ण बातों पर प्रभाव नहीं पड़ता । वास्तव में यह बड़े सांवैधानिक महत्व का सिद्धान्त है जिसे अधिकांश देशों ने स्वीकार कर लिया है । आधुनिक विधान निर्माण द्वारा बड़े बड़े सिद्धान्त निर्धारित होते हैं और कार्यपालिका इनका स्वीकृत आधारों पर इनका निर्वचन करती है । और इस सदन ने प्रत्यायोजित विधान की देखभाल के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की थी । इस मामले में डर की तो कोई बात ही नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब आप एक बार यह सिद्धान्त बनावें कि जो कुछ भी राष्ट्रीय महत्व का हो उसे केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रण में ले ले तो इस बात का निर्णय करने का अधिकार कि क्या चीज़ राष्ट्रीय महत्व की है और क्या नहीं है, कार्यपालिका पर छोड़ना अच्छा है । इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि माननीय विधि मंत्री के अनुसार ऐसे कोई पूर्व दृष्टांत हों जिनमें ऐसा किया गया हो तो मैं समझता हूं कि ऐसी बातों में प्रशासन सम्बन्धी तथा सदन की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये, विशेषकर जबकि इसमें कोई विशेष महत्व का प्रश्न भी निहित न हो । मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करना सदन तथा देश के परम हित में होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री गाडगिल से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य सूची की किसी विशेष प्रविष्टि को संसद् राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती हैं और बाद में राज्य सूची में से किसी अन्य प्रविष्टि को सम्मिलित करने के लिये संसद् विधान बना सकती है । अनुच्छेद २४९ में उद्योग तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अधिकार हैं, जिनके लिये हमने अधिकार लिये हैं । क्या इस बात के उदाहरण हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना निकाल कर किसी अन्य प्रविष्टि को सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया हो । क्या इससे झगड़ा पैदा नहीं होगा ? इससे राज्य विधान मण्डलों को दिये ये अधिकार छिन जायेंगे । क्या इससे केन्द्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका के बीच झगड़ा नहीं होगा ? जब इसके सम्बन्ध में साधारण अधिकार राज्य सरकार को है तो प्रत्येक प्रविष्टि संसद् के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ेगी, यह मेरा विचार है ।

श्री बिस्वास : संविधान में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है जिससे यह निर्धारित किया जाय कि कौन सा स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है । इसलिये संविधान ने इस प्रश्न का निर्णय करने की बात कार्यपालिका पर नहीं छोड़ी है; यह काम विधान मण्डल का है ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर संसद् को इस पर विचार करने की क्या आवश्यकता है ? माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करें ।

श्री के० डी० मालवीय: इस सम्बन्ध में संविधान के निर्वचन के अन्तर्गत विभाग के लिये इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन है कि कोई स्मारक या ऐतिहासिक स्थान या अवशेष राष्ट्रीय महत्व के हैं या नहीं । इसलिये मेरा अपना विचार तो यह है कि ऐसी प्रत्येक बात कि अमुक वस्तु राष्ट्रीय

महत्व की है या नहीं सदन की स्वीकृति के लिये सदन के समक्ष आनी चाहिये । मुझे श्री गाडगिल के निर्वचन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस वर्तमान निर्वचन के अनुसार विभाग के लिये अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित करना बड़ा कठिन होगा कि ये सब स्मारक राष्ट्रीय महत्व के घोषित कर दिये गये हैं । इसीलिये विधि-निर्माता यह चाहते थे कि यह बात सदन के सामने रखी जाय ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : जब सदन इस बात के निर्णय को कि कोई विशष स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं तो इससे सम्बन्धित सभी बातें सदन के समक्ष रखी जानी चाहियें । जब कार्यपालिका इसे नहीं कर सकती तो हम इस पर किस प्रकार विचार कर सकते हैं । सभी बातें हमें बताई जानी चाहियें तभी हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि यह राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं । सरकार न सभी बातें हमारे समक्ष नहीं रखी हैं ।

श्री आल्तेकर : इस कठिनाई को दूर करने के लिये, कि हम इस बात का निर्णय कैसे करें कि कोई स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं, कोई प्रक्रिया होनी चाहिये । यह काम संसद् पर छोड़ा गया है इसलिये अन्त में इस पर संसद् को ही निर्णय करना पड़ेगा । मेरा सुझाव यह है कि एक विषशेषज्ञ समिति होनी चाहिये । वह सभी प्रस्तावों की जांच पड़ताल करे और वह अपनी सिफारिश संसद् को भेजे जिसके आधार पर घोषणा की जा सके । यह बड़ी उपयुक्त बात होगी और इसी का सुझाव मैंने अपने संशोधन संख्या ५६ में दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : विचार करने की बात यह है कि इस अनुसूची में जितने पद दिये हुये हैं क्या उनमें से किसी विशेष पद का राष्ट्रीय महत्व इतना है कि वह राज्य सरकार की सीमा से हटा लिया जाय तथा उसे इस संसद की एक मात्र अधिकार सीमा में रक्खा जाय ।

जब कभी ऐसा विधान सदन के सामने रक्खा जावे तो माननीय सदस्यों को पहले से अनुसूचित कर देना चाहिये कि कौन कौन से स्मारक राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये जाने वाले हैं । सदस्यों के लिये व्यक्तिगत रूप से कोई भी स्मारक राष्ट्रीय महत्व वाला हो सकता है परन्तु सरकार उसे राष्ट्रीय महत्व वाला तभी स्वीकार करेगी जब उसके अफसरों द्वारा उसकी जांच पूरी हो जावे । मेरा सुझाव यह है कि सरकार को चाहिये कि अनेक माननीय सदस्यों से उन स्मारकों के सम्बन्ध में वार्ता कर लें जिनको वे इस अनुसूची में सम्मिलित कराना चाहते हैं और तब निर्णय करें कि आगामी विधेयक में इनको सम्मिलित किया जाय या नहीं । यह अनुसूची जैसी है वैसी ही पारित कर दी जाय । अन्य स्मारकों का जहां तक सम्बन्ध है माननीय मंत्री को समय दिया जाय कि वे आराम से उन पर ध्यान दे सकें तथा निर्णय करें कि क्या उनको सम्मिलित किया जाय ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जानना यह चाहता हूं कि अनुसूची म हमने संशोधन रक्खे हैं वे चार महीने या उससे भी अधिक से सरकार के सामने ह—क्या सरकार ने अभी तक उनके सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है ?

श्री क० डी० मालवीय : बहुत से सुझाव हम स्वीकार कर रहे हैं तथा शेष सुझावों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि या तो हम अभी तक उन पर विचार नहीं कर सके हैं या उनको राष्ट्रीय महत्व की वस्तु

[श्री के० डी० मालवीय]

नहीं समझते हैं । माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से हम अपना मत बता चुके हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मेरे मन में एक सन्देह बाकी है । माननीय मंत्री ने अभी स्पष्टता के साथ कहा था कि उनको सदन के सामने इसलिये उपस्थित होना पड़ा है कि उनका विभाग कुछ स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में निश्चय नहीं कर पा रहा है कि वे राष्ट्रीय महत्व के हैं या नहीं हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान् मैं ने यह कभी नहीं कहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : गाडगिल के संशोधन जैसा एक संशोधन मेरा भी है कि सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि वह पता लगावे कि कौन कौन से स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं । माननीय सदस्यों पर यह निर्णय करने का भार छोड़ना कि कौन कौन से स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं उचित नहीं है । यहां पर श्री मोरे की बात बड़ी महत्व-पूर्ण है, क्योंकि अनुसूची में जो पद रक्खे गये हैं, यदि उनके साथ, हमें कोई व्याख्या करने वाला ज्ञापन न दिया जाय, जिससे हम जान सकें कि किस आधार पर इन स्मारकों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है, तब तक हमारे लिये इस विधेयक पर विचार करना कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया तो मैंने भविष्य में रक्खे जाने वाले विधेयकों के लिये बताई थी । यदि माननीय सदस्यों को किसी स्मारक के सम्बन्ध में सन्देह है तो वह उसकी सूचना माननीय मंत्री को दे सकते थे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा उत्तर यह है कि सम्भवतः माननीय सदस्यों ने उस सूची को स्वीकार कर लिया है जो सरकार ने रक्खी है । उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने ज्ञान तथा सूचना के आधार पर कुछ और स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व वाला घोषित किये जाने का सुझाव रखा है । परन्तु श्रीमान् अब आपका सुझाव यह है कि कुछ ऐसी संविधान सम्बन्धी अड़चनें हैं कि उनके सुझाव माननीय मंत्री द्वारा उस समय तक सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं जब तक सरकार इस विधान का दूसरा या तीसरा संशोधन न करे । और चूंकि सरकार ने इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट नहीं किया है इसलिये हम इन के सम्बन्ध में विचार भी नहीं कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मेरा आशय समझा नहीं है । मैं ने जो सुझाव इस प्रकार का दिया था वह तो भविष्य में रक्खे जाने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में था । इस विधेयक का जहां तक सम्बन्ध है माननीय मंत्री कह चुके हैं कि जो सुझाव उनको दिये गये हैं उन में से कुछ पर उन्होंने विचार कर लिया और उनको वे स्वीकार कर रहे हैं। कुछ के सम्बन्ध में जांच करने पर उन्हें पता लगा है कि उनका राष्ट्रीय महत्व पर्याप्त नहीं है । और तीसरे कुछ ऐसे सुझाव हैं कि जिन को हाल ही में प्राप्त किया गया है तथा उनके सम्बन्ध में विचार करने का अवसर ही नहीं मिला है । माननीय सदस्य सरकार से पूछ सकते हैं कि उक्त पद अनसूची में क्यों सम्मिलित किया गया है । यदि वे कुछ न कहेंगे तो मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि कौन कौन से स्मारक सम्मिलित करने को तैयार हैं तथा किन किन के सम्बन्ध में और जांच करना चाहते हैं ।

श्री त्यागी : इन संशोधनों पर विचार करना व्यर्थ है क्योंकि सरकार जांच किये बिना इन्हें सम्मिलित नहीं कर सकती है तथा सरकार अभी निश्चय नहीं कर सकती है कि यह संशोधन अनुमति योग्य हैं या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इस प्रश्न को साफ कर सकते हैं । सरकार हमें बता सकती है कि किन किन के सम्बन्ध में सरकार जांच कर चुकी है तथा उन्हें सम्मिलित करने को तैयार है तथा जिनके सम्बन्ध में जांच नहीं कर चुकी है उनके सम्बन्ध में जांच कर ले और उनके सम्बन्ध में वह भविष्य में विधेयक रख सकती है ।

श्री धुलेकर : औचित्य प्रश्न, श्रीमान् । चार महीने पहले मने एक संशोधन रक्खा था कि प्राचीन स्मारकों की तालिका में रानी झांसी का महल भी सम्मिलित किया जाय । यदि सरकार ने .....

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री धुलेकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने जवाब दिया होता कि मैं ने सरकार को पर्याप्त सामग्री नहीं दी है तो मैं उन दिनों का भारत का इतिहास तथा झांसी गजेटियर दे सकता था । मुझे यही नहीं पता कि सरकार ने उसकी जांच की है या नहीं । मैं आप से प्रार्थना करता हूं जब सदस्य सरकार से इस सम्बन्ध में बात चीत करना चाहें तो वे क्या करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । मेरा विचार यह है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, प्राचीन स्मारकों की प्रकृति के सम्बन्ध में सामान्य वाद-विवाद करने की आज्ञा नहीं देना चाहिये । जहां तक इस विधेयक पर विचार करने का प्रश्न है मैं यह विषय सदन के सामने रखता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि हम यह निर्णय कर देते हैं कि अनसूची में जिन स्मारकों को सम्मिलित किया जा रहा है वे राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो मेरा विचार है कि इस सदन के अधिकारों के अभिरक्षक के रूप में आपको यह भी निर्णय करना चाहिये कि क्या सदन के सामने ऐसा निर्णय करने के लिये पर्याप्त सामग्री रक्खी जा चुकी है इस सम्बन्ध में कुछ अधिकार हमने राज्यों को दिये हैं । इस प्रकार हम राज्यों के अधिकारों को भी कम कर रहे हैं । क्या ऐसा करने के लिये हमारे पास पर्याप्त सामग्री है यह भी आप को निर्णय करना है । यह श्री मोरे तथा कार्यवाहक मंत्री के बीच कोई वैयक्तिक विवाद नहीं है कि मैं उन के पास जाऊं और उनको सब सामग्री दूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सामग्री है उसका सारे सदन को ज्ञान होना चाहिये । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इसलिये कि कोई विधान पहले पारित किया जा चुका है, हम किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व वाला नहीं घोषित कर सकते हैं । इसलिये पहले हर स्मारक के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से बताया जाये कि वह राष्ट्रीय महत्व का है । हम उस पर विचार करें तब निर्णय करें ।

श्री के० डी० मालवीय : मेरी समझ में नहीं आया कि श्री मोरे क्या कहना चाहते ह । यदि उन्होंने परसों किसी संशोधन की सूचना दी है कि उक्त स्मारक राष्ट्रीय महत्व वाला घोषित कर दिया जाये और वह स्मारक यहां से एक हजार मील के फासले पर स्थित है तो क्या वह आशा करते हैं कि आज मैं उन्हें पर्याप्त सूचना दे सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य बिना सोचे विचारे निर्णय करें। पर इतना तो उन्हें समझ ही लेना चाहिये कि सदन के सामने विधेयक रखने के पूर्व सरकार ने पुरातत्व विभाग के अपने अफसरों के द्वारा इन सब बातों को तो विचार ही लिया होगा। अब सदन चाहे तो उन्हीं सिफारिशों को स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे। यदि किसी स्मारक के सम्बन्ध में इन्हें सन्देह है तो वे माननीय मंत्री से पूछ सकते थे। आज तक माननीय सदस्यों ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। जब तक किसी स्मारक के सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य को सन्देह न हो तो सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्मारक के सम्बन्ध में बतावे। मैं इसे अनुचित घोषित करता हूं, यह केवल अड़ंगे बाजी वाला प्रस्ताव है। मैं अब यह प्रस्ताव सदन के मत दान के लिये रखता हूं।

श्री फीरोज गांधी : (ज़िला प्रताप गढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली-पूर्व) : हम आप का निर्णय स्वीकार करते हैं, परन्तु क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि कार्यवाहक मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये। शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री जो इस विधेयक के कार्यवाहक है यहां उपस्थित नहीं है। जब सदन में इतना वादविवाद हुआ यदि वे भी उपस्थित होते तो इस विषय पर विचार करने में बड़ी सहायता मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बता देना चाहता हूं कि कार्यावाहक मंत्री या कम से कम उस विभाग का कार्यवाहक उपमंत्री ऐसे विधेयकों के वाद विवाद के समय उपस्थित रहा करे :

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस विधेयक का कार्यवाहक हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की इच्छा यह है कि यह कार्य किसी को तदर्थ रूप से न सौंपा जाया करे वरन् उस विभाग का कार्यवाहक मंत्री या उस विभाग का कोई कार्यवाहक उपमंत्री हो तो वह ऐसे विधेयक के वाद विववाद के समय उपस्थित रहा करे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भविष्य में इस का ध्यान रक्खेंगे।

प्रस्ताव यह है :

"कि प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा अवशेष (राष्ट्रीय महत्व घोषणा) अधिनियम १९५१ को संशोधित करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड १ (क)

श्री गाडगिल ने अपना संशोधन रखते हुये कहा कि उन्हें जो कुछ कहना था वे वैचारिकता के विषय के सम्बन्ध में कह चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव पर सदन का मत लूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या प्रस्ताव अनुमति के योग्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस का निर्णय करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता हूं। यह एक संविधान सम्बन्धी प्रश्न है। इस का निर्णय सदन को करना चाहिये।

श्री गाडगिल का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(राष्ट्रीय महत्व की घोषणा)
संशोधन विधयक

खण्ड २—(१९५१ के ८० वें अधिनियम की अनसूची का संशोधन)

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : अनुसूची को देखने से पता लगता है कि नये राज्य के बनाये जाने के महत्व को बिल्कुल भुला दिया गया है। एक राज्य के स्मारकों को दूसरे राज्य में डाल दिया गया है :

श्री के० डी० मालवीय : मैंने इन गलतियों को सुधारने की चेष्टा की है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १ में, पंक्ति २१ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये :

"ASSAM STATE

District Sadiya Frontier Tract

1. The stone boundary pillar of the Ahom period..... Sadiya."

("आसाम राज्य

ज़िला सदिया सीमान्त क्षेत्र

१. अहोम काल का पत्थर का सीमा स्तम्भ..... सदिया")

(२) पृष्ठ २ में (१) पंक्ति ३ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

"District Bijapur

1. Inscriptions .... Almel
2. ,, ... Indi
3. ,, ... Tambe
4. ,, ... Salotgi")

ज़िला बीजापुर

१. शिला लेख.....अलमेल
२. " .....इन्डी
३. शिला लेख.....टाम्बे
४. " .....सलोटगी")

(२) पंक्तियां ५, ७, ८ और १० में संख्या १, २, ३ तथा ४ के स्थान पर संख्या ५, ६, ७ और ८ आदिष्ट कर दिये जायें।

(३) पृष्ठ २ में, पंक्ति १७ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

"ANDHRA STATE

District Kurnool

1. Umamahesvaraswami Temple..... Yaganti
2. Old Cave Temple.. Yaganti
3. Nandavaram Temple including the Sculpture of Subrahmanya" ..... Nanda varam"

("आन्ध्र राज्य

ज़िला कुरनूल

१. उमामहेश्वरस्वामी मन्दिर...यगन्ती
२. प्राचीन गुफा मन्दिर.....यगन्ती
३. सुब्रह्मण्य की मूर्ति समेत नन्दवरम् मन्दिर" ... नन्दवरम्)

(४) पृष्ठ २ में, पंक्ति २१ के पश्चात् यह आदिष्ट किया जाये :

"District Muzaffarpur

2. Juma Mosque... Haiipur"

२. जुमा.....हाजीपुर)"

(५) (१) पृष्ठ २ में, पंक्ति ३० के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

"6. Khadsamla Caves ..... Nenavali"

("६, खडसामला गुफायें..नीनावली")

[श्री के० डी० मालवीय]

(२) पृष्ठ २ में, पंक्ति ३१, ३२, ३४ तथा ३५ में संख्या ६, ७, ८, तथा ९' के स्थान पर संख्या '७, ८, ९ तथा १०' आदिष्ट की जायें, तथा

(३) पृष्ठ ३ में, पंक्तियां ३ और १० में संख्या '१० और ११' के स्थान पर संख्या '११ और १२' आदिष्ट की जायें ।

(६) पृष्ठ ३ में, पंक्तियां ४ से ८ तक के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"(a) Ambarkhana
(b) Andhra Vav
(c) Dharma Kothi
(d) Naikinicha Sajja
(e) Teen Darwaja
(f) Wagh Darwaja
(g) Tatbandi together with bastions."

("(क) अम्बरखाना
(ख) आन्ध्र वाव
(ग) धर्म कोठी
(घ) नाईकीनीचा सज्जा
(ङ) तीन दरवाज़ा
(च) वाघ दरवाज़ा
(छ) उभड़े भागों के साथ टाटबन्दी।")

(७) पृष्ठ ३ में, पंक्तियां ११ तथा १२ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"District North Satara

13. Jhabareshwar Mahadeo Temple . . . . Phaltan."

"ज़िला उत्तर सतारा

१३. झावरेश्वर महादेव मन्दिर..... फ़ालटन।"

(८) पृष्ठ ३ में—

(१) पंक्तियां २९ और ३० निकाल दी जायें ; तथा

(२) पंक्ति ३२ में संख्या "२" के स्थान पर संख्या "१" आदिष्ट किया जाये ।

(९) पृष्ठ ३ में—

(१) पंक्तियां ३३ से ३७ तक निकाल दी जायें; तथा

(२) पंक्तियां ३९ और ४१ में संख्या '६' और '७' के स्थान पर संख्या '२' और '३' आदिष्ट किया जाये ।

(१०) पृष्ठ ३ में—

(१) पंक्ति ४२ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

"District Cuttack

1. Churangarh Fort locally known as Sarangarh, excluding the area acquired by the State Government.....Dadhafatna

ज़िला कटक

१. राज्य सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र को निकाल कर, चूरनगढ़ किला, जिसे स्थानीय रूप से सरनगढ़ कहा जाता है ।"; ..... .दधापटना)

(२) पंक्ति ४४ में, "१" के स्थान पर "२" आदिष्ट किया जाये; तथा

(३) पंक्ति ४६ में, "२" के स्थान पर "३" आदिष्ट किया जाये ।

(११) पृष्ठ ३ में, क्ति ४७ पं के पश्चात् यह जोड़ा जाये :

"4. Churangarh Fort, excluding the area acquired by State Government . . . . . Churanga Bhalunka • Krishnanagar."

("४. राज्य सरकार द्वारा अर्जित किये गये क्षेत्र को छोड़ कर चूरनगढ़ किला . . ..चुरंगा भालुंका .....कृष्णनगर।"

(१२) (१) पृष्ठ ३ में, पंक्ति ५२ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :

"(c) In the entries under the heading 'Hyderabad State' and under the sub-heading 'District Raichur' the following entries shall be added at the end, namely :—

19A. Rock edicts of Asoka on two hillocks, known as Garvamath and Palkigundu .....Kopbal

19B. Rock Edicts of Asoka ..... Maski"

["(ग) शीर्षक 'हैदराबाद राज्य' तथा उप-शीर्षक 'जिला रायचूर' के अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जायें ; अर्थात् :—

१९क. दो पहाड़ियों पर जिन्हें गर्वामठ तथा पालकीगुन्डू कहते हैं, अशोक के शिला लेख ..... कोपबल

१९ख. अशोक के शिलालेख....मस्की।"]

(२) पृष्ठ ४ में, पंक्ति १ में 'ग' के स्थान पर 'घ' आदिष्ट किया जाये।

(१३) पृष्ठ ४ में, पंक्ति २३ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

'(e) In the entries under the heading 'Mysore State' and after the entries under the sub-heading 'District Bangalore' and before entries under 'District Chitaldurg' the following sub-heading and entry shall be inserted, namely :—

"District Bellary

8A. Parvati and Kartikeya Temples.....Kumaraswami Betta Sandur."

[" (ङ) शीर्षक 'मैसूर राज्य' तथा उप शीर्षक 'जिला बंगलौर' के अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों तथा 'जिला चितलदुर्ग' के अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित उप-शीर्षक तथा प्रविष्टि का निवेश किया जाये, अर्थात् :—

जिला बिलारी

८क. पार्वती तथा कर्तिकेय मन्दिर ..... कुमारस्वामी बेट्टा, सन्दूर।"]

(१४) पृष्ठ ४ में, पंक्ति ३७ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"(२) प्रविष्टियां ८, १०, १२, १४, १७, २०, २२, २३ तथा २४ निकाल दी जायेंगी ;

(३) वर्तमान प्रविष्टि १५ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि का निवेश किया जायेगा, अर्थात्

[श्री के० डी० मालवीय]

15A. Old Parasvanath Temple.....Miyani."

("१५क. प्राचीन पार्पूवनाथ मन्दिर ..... मियानी।")

(१५) पृष्ठ ५ में, पंक्ति १९ के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये :

"ORISSA STATE
District Mayurbhanj

1. Prehistoric sites..... Baidyapur
2. ,, ... Kuchai
3. ,, ... Kuliana
4. Ruins of ancient fort ....Haripur."

उड़ीसा राज्य

ज़िला मयूरभंज

१. पूर्व ऐतिहासिक स्थान .... वैद्यपुर
२. ,, .. कुचाई
३. ,, .. कुलिआना
४. प्राचीन किले के खण्डर हरीपुर।")

जैसा कि मैं कह चुका हूं इन में से कुछ संशोधनों द्वारा मैंने भौगोलिक सीमाओं को ठीक किया है जो कि आन्ध्र राज्य के बनाये जाने के कारण उत्पन्न हो गई थीं। साथ ही एक या दो स्थानों को निकाल देने का भी सुझाव रखा गया है क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय महत्व का नहीं समझा जाता है। जांच करने के पश्चात् हमने शेष स्मारकों आदि को महत्वपूर्ण पाया और इसीलिये उन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करने का विचार है। तीन वर्ग हैं। कुछ को राष्ट्रीय महत्व का पाया गया है तथा कुछ के सम्बन्ध में साधारण सुधार करने पड़े हैं क्योंकि नया राज्य बनाया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए तथा स्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री और कौन से संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हैं जिन की पूर्व सूचना दी जा चुकी है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, माननीय सदस्य श्री आर० एन० एस० देव ने कुछ संशोधनों की पूर्व सूचना दी है। हम ने उन की जांच करवा ली है तथा उन में से कुछ को हम स्वीकार करने के लिये भी तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह केवल उन्हीं के संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ? पर माननीय सदस्य तो यहां पर हैं नहीं।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां श्रीमान्।

श्री आल्तेकर : श्रीमान्, जब तक अन्य संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जाते तथा उन के प्रस्तुत किये जाने के कारण नहीं बतलाये जाते तब तक उन के लिये यह कहना कैसे सम्भव हो सकता है कि उन्होंने संशोधनों को स्वीकार कर लिया है या अस्वीकार कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप की बात ठीक है। किन्तु इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है और इस में वही स्मारक आदि शामिल किये जा सकते हैं जिन्हें सरकार राष्ट्रीय महत्व का समझती है। वैसे तो आप प्रत्येक स्मारक को अनुसूची में शामिल करने के लिये कह सकते हैं। परन्तु उन्हें तभी शामिल किया जा सकता है जब उन के बारे में जांच कर ली जाये। यह संशोधन करने का मामला नहीं बल्कि कुछ और जोड़ने से सम्बन्ध रखता है। जिन संशोधनों को सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार है उन्हें मैं विधेयक का अंग मानने के लिये तैयार हूं। परन्तु अन्य संशोधनों को मैं वर्तमान परिस्थितियों में मानने के लिये तैयार नहीं हूं तथा उन्हें अनियमित ठहराता हूं।

श्री भगवत झा : क्या किसी माननीय सदस्य द्वारा रखे गये सभी संशोधन माने गये हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो अनुपस्थित सदस्य का संशोधन क्यों मान लिया गया ? मैं इस विधेयक पर अपना संशोधन रखता हूं। उस सदस्य का यह संशोधन क्यों मान लिया गया जो अनुपस्थित था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन के संशोधन नहीं स्वीकार किये गये थे ।

श्री भगवत झा : स्वीकार किये गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अनुपस्थित सदस्य के संशोधन नहीं स्वीकार किये गये थे। माननीय मंत्री के दो प्रकार के आवश्यक संशोधन थे जो स्वीकार किये गये हैं क्योंकि इस के लिये मैं पहले ही कह चुका था कि यदि सदन के दोनों दल चाहेंगे तो तालिका में कुछ और मद सम्मिलित किये जा सकेंगे, चाहे वह विधेयक के क्षेत्र के बाहर की बात हो । यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि ये दोनों मद नहीं जोड़े जाने चाहियें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : सारा सदन अथवा कुछ व्यक्ति ?

उपाध्यक्ष महोदय : सारा सदन इन दोनों नई चीजों पर सहमत था ।

श्री भगवत झा : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक अन्य चीजों का सम्बन्ध है सरकार उन को स्वीकार नहीं करती है ।

डा० रामसुभग सिंह : वह भी नहीं स्वीकृत होंगी। आप ने अभी मौलाना आजाद के ये संशोधन स्वीकार किये हैं, जो स्वयं अनुपस्थित थे ।

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान् क्या मैं कुछ कह सकता हूं। जिस से स्थिति स्पष्ट हो सके ?

श्री देवेश्वर सर्मा : इस के पूर्व, श्रीमान्, मेरा औचित्य प्रश्न स्वीकार किया जाना चाहिये। यह एक छोटी सी विनय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय मंत्री की बात सुनने दीजिये ।

श्री देवेश्वर सर्मा : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री किस प्रकार बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न को उठाना चाहूंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सभापति के निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : विवाद विन्दु क्या है ?

श्री देवेश्वर सर्मा : मैं पूर्णरूपेण सभापति की आज्ञा का पालक हूं। आप ने श्री गाडगिल के संशोधन पर वार्ता के समय कहा था कि तालिका के संशोधन क्रमानुसार हैं तथा अनुमति देने योग्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने ऐसा नहीं कहा था ।

श्री देवेश्वर सर्मा : आप ने कहा था कि यदि ये संशोधन तालिका के सम्बन्ध में हैं तो अनुमति दी जायेगी। इन को अन्य सूचियों में रखने का अधिकार सरकार को क्यों नहीं दे दिया जाता। अन्त में आप ने इन संशोधनों को रद्द कर दिया है। क्या उन को सुने बिना अवैधानिक घोषित कर देना उचित है केवल यह समझ कर कि अध्यक्ष को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं जिन का उसे न्यायिक रूप से उपयोग करना पड़ता है ।

डा० रामाराव (काकिनाडा) : कल कुछ संशोधन सरकार इसलिये स्वीकार करने को भी कि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते । यही कारण श्री पी० सुब्बा राव के साथ था .....(अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं नहीं समझता कि आज बहुत से सदस्य इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं । जो मैंने इधर कभी नहीं देखा ।

श्री एस० एस० मोरे का कहना है कि वे चीजें जो तालिका में दी हुई हैं, उन के लिये भी काफी समय दिया जाना चाहिये । कम्युनिस्ट दल के माननीय उपनेता ने उस को बार बार कहा है । इसीलिये मैं ने यह सुझाव दिया है कि भविष्य में अधिसूचना जारी कर दी जाया करे जिस से माननीय सदस्य यह जान लिया करें कि सरकार का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है और क्या राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से उसे स्वीकार करना चाहिये अथवा नहीं । यदि माननीय मंत्री वर्तमान स्थिति में उसे स्वीकार करना चाहते हैं तथा तालिका में सम्मिलित करना चाहते हैं तो मैं उस की ओर ध्यान नहीं दुंगा क्योंकि यह विधेयक के क्षेत्र के बाहर की चीज है तथा सदन के सब लोग इस से सहमत हैं । मैं देखता हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य सहयोग नहीं दे रहे हैं । मैं नहीं समझ पाता कि आज क्या बात है ? माननीय मंत्री इस की आराम से जांच कर लें । यदि वह एक मद स्वीकार करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : आप को अपने निर्णय पर डटे रहना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूं । अन्य सभी चीजें क्रमबद्ध नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनाया जाये ।"

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : इस ओर से कुछ नहीं कहा गया है ।

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे कुछ न कहे जाने की चिन्ता नहीं है : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रखा गया :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

श्री टी० के० चौधरी : इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत दिनों से वार्ता चल रही है । माननीय मंत्री तथा कुछ सदस्य इस बात की सतत चेष्टा में हैं कि वे स्मारक विशेष तथा स्थानों के दावों को रखने के लिये कुछ गुंजाइश कर सकें जिन के सम्बन्ध में उन्हों ने संशोधन रखे हैं । मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को भी राष्ट्रीय महत्ता वाले स्मारकों के अधि-रक्षण का अधिकार प्राप्त है किन्तु अभी तक इस ओर कुछ कार्य नहीं हो सका है क्योंकि राज्य सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं ।

श्री आल्तेकर : यह बात गलत है । बम्बई सरकार ने पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों के अभिरक्षण के लिये एक अधिनियम बनाया है ।

डा० राम सुभगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय आज मुझे इस बात से बहुत दुःख हुआ कि

सरकार आज इस काबिल भी नहीं है कि इस बिल को जिस उद्देश्य से उसने यहां पेश किया उस की पूर्ति इस पार्लियामेंट से करा ले। इस बिल का उद्देश्य था कि जो ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं उन में और संशोधन किये जायें। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि आज गैर सरकारी कोई भी संशोधन यहां मंजूर नहीं किया जा रहा है। इससे न केवल गैर सरकारी लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है, बल्कि सारे सदन के अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं इसको निहायत अन-फोरचुनेट समझता हूं। सरकार को जरा होशियारी से काम करना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि अभी यह कहा गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का संशोधन यहां पेश नहीं किया जा सकेगा जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है। लेकिन इस के विपरीत यह भी बहुत बड़ी चीज हो गई कि उस व्यक्ति के सभी संशोधन स्वीकार कर लिये गये जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है और जिन के नाम में ये संशोधन पेश किये गये थे. जो सरकार की ओर से इस विभाग के मंत्री हैं वह यदि यहां उपस्थित होते तो उन से उपाध्यक्ष महोदय हम यह सिफारिश करते कि कुछ संशोधन स्वीकार किये जायें। मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय या न किया जाय, क्योंकि मैं समझता हूं कि संशोधन के स्वीकार करने और न करने से उस चीज का कोई भी महत्व नहीं होता। जो कारनामे पुराने लोगों ने किये हैं और जो उन की कीर्ति है वह तो उन की वे कीर्तियां सदा बनी रहेंगी, चाहे उन का स्मारक इस में शामिल हो या न हो। लेकिन हम अपने यहां अपनी प्रजातांत्रिक परम्परा की नींव के लिये वह कीर्ति स्थापित कर रहे हैं। कि आज इस बिल पर कोई संशोधन नहीं पेश करने दिया जाता। आज उस परम्परा, प्रजातांत्रिक परम्परा, का हम हनन कर रहे हैं जो इस सदन के लिये सभी सदस्यों को क्रियान्वित करना चाहिये। हम को यही सब से बड़ा दुःख है कि हम अपने उस अधिकार को भी नहीं समझते कि पार्लियामेंट का कोई भी मैम्बर किसी भी बिल में संशोधन पेश कर सकता है। आज हम बहुमत के सामने झुक जायें, हमारी पार्टी बहुमत में है। लेकिन बहुमत की पार्टी के एक एक सदस्य को अपने अधिकार के लिये लड़ना चाहिये और बहुमत की पार्टी का जो मिनिस्टर है उस को भी चाहिये कि वह अपनी पार्टी और सरकार दोनों के अधिकारों को प्रजातांत्रिक ढंग से चलाने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह सदैव भूल जाते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारें ध्यान दे सकती हैं। किन्हीं अपवाद स्वरूप मामलों में वे संसद् का सहारा ले सकते हैं। किन्तु जब एक मामला संसद् में आ गया है तो सम्मिलित रूप से उन्होंने संबन्धित सरकारों के साथ कहां तक भाग लिया होगा, यह मैं नहीं कह सकता।

डा० राम सुभग सिंह : यही मैं कहना चाहता था कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन का सम्बन्ध केवल प्रान्तीय सरकारों से है, लेकिन यह उचित होगा कि उन पर विचार किया जाता और वह पेश किये जाते और हमारे मंत्री महोदय बतलाते कि अमुक अमुक संशोधन हमारे अधिकार में नहीं हैं, इसलिये आप लोग उन को वापिस ले लें और हम लोग उन संशोधनों को वापस लेने को तैयार भी थे और अगर वे वापिस न भी लिये जाते तो संसद् उन को अस्वीकार कर सकती थी। यही मेरा इलज़ाम है और यही बड़े दुःख और खेद का विषय है कि हमारे उस अधिकार को यहां कार्यान्वित नहीं होने दिया गया। दूसरे

[डा० राम सुभग सिंह]

जो सैंकड़ों संशोधन यहां दिये गये थे, उन में से कुछ को मंत्री महोदय अस्वीकार भी करने जा रहे थे, लेकिन उन संशोधनों को वह स्वीकार भी नहीं करा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में तथा सरकार से लड़ने से कोई लाभ नहीं । जब उस पर विचार किया जाने को था तो माननीय सदस्य की अनुपस्थिति का कारण बताया । यह ऐसी चीज है जो पहले कभी संसद् में नहीं हुई ।

डा० राम सुभग सिंह : वही मैं अभी कह रहा था, कि मान लीजिये वह मैम्बर महोदय मौजूद नहीं थे, लेकिन दूसरे मैम्बर थे, और मंत्री महोदय उस सम्बन्ध में कुछ चीजों की स्वीकृति भी देने जा रहे थे, लेकिन उन को ताकत नहीं हुई कि वह उस विषय पर आवें और न उन्होंने अपनी ताकत को एक्सरसाइज किया । मैं उपाध्यक्ष महोदय, की रूलिंग के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस अधिकार को कार्यान्वित न कर हम लोगों ने प्रजातांत्रिक परम्परा को एक बहुत जबर्दस्त चोट पहुंचाई है ।

अब चूंकि कोई अमेंडमेंट पर बोलने की जरूरत नहीं है । मैं समझता हूं कि इस बिल को सरकार को वापिस ले लेना चाहिये, क्योंकि सरकार ने जिस उद्देश्य को ले कर इस बिल को यहां मौजूद किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है और जब वे सभी सदस्यों को पूरा अधिकार देते हुए इस बिल को पास नहीं कराते, तब वह न अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और न इस संसद् के उद्देश्य की पूर्ति करें और हमारी सारी परम्परा को खो डालेंगे । इसलिये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में उसे विशेष सावधानी बर्तनी चाहिये और उस को पार्लियामेंट और उस के सदस्यों के अधिकारों को चाहे वह सरकारी दल के हों या गैर सरकारी दल के, रक्षा करने की चेष्टा करनी चाहिये । सरकार को सदन और उस के सदस्यों के अधिकार को रक्षा करते हुए ही किसी बिल अथवा कानून को पास कराना चाहिये । और यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो वह प्रजातन्त्र का गला घोंटना है और उस का अर्थ डिक्टेटरशिप हो जाता है । डिक्टेटरशिप में यही तो होता है कि जो चाहें आप कर लें, जिस बिल को चाहें पास करा लें और जिस को चाहें ना मंजूर कर दें, या जितना चाहें रुपया अपने लिये स्वीकृत करा लें । मैं तो कहूंगा कि इस बिल के अनुसार जितने भी संशोधन स्वीकृत किये जाते हैं और उन सबों के चलते जितने भी स्मारकों के लिये रक्षक रक्खे जायेंगे, अथवा जो कुछ भी आदमी भेजे जायेंगे, उन सभी चीजों के लिये पार्लियामेंट एक पैसे की भी स्वीकृति न दे । साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि अब तक संसद् का इस बिल पर विचार करने में तो जो समय लगा इस पर विचार करने में सदस्यों का जितना वक्त जाया किया गया, वह सब समय और रुपया बेकार जाया किया गया क्योंकि उस से इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती ।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल पर दो दिन से बहस और विचार चल रहा है, यदि उस से इस बिल के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो उस का अर्थ होगा गरीब कर दाताओं के रुपये की हमारे द्वारा बरबादी और इस हेतु हमें यह निश्चय करना है कि हम इस बिल के उद्देश्य को नष्ट न होने दें, अन्यथा हम लोग इस पर व्यर्थ बहस कर के सिवाय गरीब करदाताओं का धन बर्बाद करने के और कुछ नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की विचार धारा कुछ ऐसी जान पड़ती है कि मानो वे ही, जनता की सम्पत्ति तथा नैतिकता को मान्यता देते हैं। बार बार ऐसा हो चुका है और इस से गलत धारणा बनती जा रही है। कोई माननीय सदस्य जब यह कहता है कि यहां तानाशाही है, तो वह यह भूल जाता है कि वह स्वयं अपने ऊपर आक्षेप कर रहा है।

श्री भगवत झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में यह कहे बिना कदापि नहीं रह सकता कि जिस तरह से इस विधेयक को आज सभा में पास कराया जा रहा है, वह अनुचित अवश्य है। अभी अभी आपने एक माननीय सदस्य को कहा है कि उनके कहने का ढग ठीक नहीं था और गलत था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस सदन के हर एक सदस्य को अधिकार है कि वह जो भावना अच्छी समझता है उस को व्यक्त करे, और इस नाते मैं इस विषय पर जो महसूस करता हूं, वह मैं कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसा करने में मैं अपने विदिन राइट्स हूं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में हम ने जो सशोधन पेश किये थे, वह इसी सेशन में नहीं बल्कि पिछले सेशन में भी हम ने उन को पेश किया था और यह हमारे संशोधन आज के नहीं हैं बल्कि तीन महीने पहले दिये गये थे और मैं समझता हूं कि तीन महीने एक काफी लम्बा अर्सा है। किसी सरकार के लिये कि वह इस बात की जांच कर सके कि जो संशोधन एक सदस्य ने दिया है, वह गलत है या सही, और इसलिये आज हाउस में यह कह देना कि हमारे पास समय नहीं है, यह बिल्कुल गलत और अनुचित है। दूसरे यह जो कहा गया कि एक मेम्बर कुमारी अन्तरीप से आता है और उस ने आसाम के सम्बन्ध में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा उन का कहना बिल्कुल गलत है, न मैं कुमारी अन्तरीप से आता हूं और न मैं आसाम के बारे में कहता हूं, मैं तो उस विक्रम शिला के बारे में कहता हूं जिस का इतिहास आज का नहीं, बल्कि हजारों वर्षों का भारतवर्ष का इतिहास है और जिस की मिट्टी और दीवार आज भी उस वैभवशाली, गौरवपूर्ण अतीत और इतिहास की याद दिलाती है। विक्रम शिला को मान्यता दिलाने के हेतु मैंने आज से तीन महीने पहले सरकार की सेवा में आवश्यक संशोधन पेश किया था, लेकिन सरकार को इस तीन महीने में इस संशोधन पर विचार करने और उस को एग्जामिन कराने का समय नहीं मिला, और आज जब हम उस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं तो हम से कहा जाता है कि आप विदिन राइट्स नहीं हैं और सरकार के पास इस के लिये समय नहीं है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो वह किसी भी टूम्ब या किसी भी मस्जिद की ईंट को नेशनल इम्पार्टेंस का डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन जब पार्लियामेंट का एक मैम्बर जिस के पीछे उस की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता और उस को नहीं माना जाता है, तो यह वास्तव में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। चौदह लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व है। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जहां से मुझे चौदह लाख मतदाताओं की बैकिंग प्राप्त है, मैं जब विक्रम शिला के बारे में बोलता हूं, जिस का इतिहास मेरा आप का नहीं, बल्कि बहुत पुराना इतिहास है और जिस के सम्बन्ध में मैंने आज नहीं बल्कि तीन महीने हुए मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन किया था, आज न तो मैं अपना वह संशोधन पेश कर रहा सकता हूं और न ही हम उस सरकार से उस का उत्तर पा सकते हैं और न हो हम कुछ बोल सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह एक बिल्कुल

[श्री भगवत झा]

नावेल प्रोसीड्योर अख्तियार दिया गया है। मैं जानता हूं कि सरकार के पास आर्किलाजिकल के बहुत से एक्सपर्टस हैं और वह उसके बारे में उन से जांच करा कर निर्णय कर सकती थी और मैं तो यहां तक जानता हूं कि विक्रय शिला को नेशनल इम्पार्टेंस का करार देने के बात रेड टेप फाइल्स में मान ली गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट में इस को माना गया था, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट को इस हाउस के सामने नहीं रक्खा गया, मैं ने चुनोती दी कि आप उस रिपोर्ट को हाउस के सामने रखिये, लेकिन वह सामने नहीं रक्खी गई। इसके अलावा आप का ध्यान एक बात की तरफ और दिलाना चाहता हूं। सरकार ने विक्रम शिला के चारों ओर की जमीन जो है उस को तो सुरक्षित किया है, विक्रम शिला युनिवर्सिटी को तो नेशनल इम्पाटस का माना है, लेकिन साढ़े छः कट्ठा विक्रम शिला की जो जमीन उस के मध्य में स्थित है, उस के बारे में कहती है कि यह नेशनल इम्पार्टेंस की नहीं है, यानी आप यह कहना चाहते हैं कि वह जो चारों तरफ की सारी जमीन है वह सब विक्रम शिला है, लेकिन उस के बीच में जो टौप स्थित है, वह विक्रम शिला नहीं है। और इस पर जब हम आज आवाज उठाते हैं, तो उपाध्यक्ष जी, हम से यह कहा जाता है कि हम कुमारी अन्तरीप और आसाम के सम्बन्ध में बोलते हैं, इसके लिये मैं यही कह सकता हूं कि यह हमारा और सदन का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि हम ने सरकार को इस पर सोचने और किसी निश्चय पर पहुंचने के लिये पर्याप्त समय दिया, हां जिन सदस्यों ने आज कल कहा है, उन के बारे में आप कह सकते हैं कि उन्होंने गलत कहा है और उन की मांगों पर विचार करने का सरकार को समय नहीं मिला, लेकिन जहां तक मेरे संशोधन का ताल्लुक है, इस की सूचना तो सरकार को तीन महीने पहले से है। मेरा पहला प्वाइंट है कि हमने तीन महीने पहले सूचना दी, मेरा दूसरा प्वाइंट है कि हमने जिसके सम्बन्ध में कहा है, वह कुमारी अन्तरीप या आसाम की बात नहीं है, तीसरे मैं ने जो बात कही है, उस के सम्बन्ध में काफी जांच पड़ताल हो चुकी है, चौथी बात यह है कि इस सम्बन्ध में हम लोग सरकार के इस डिपार्टमेंट से एक वर्ष से नहीं बल्कि पांच वर्ष से लड़ते आ रहे हैं और इस इलाके की जनता ने एक एक पैसा जमा कर के केसेज लड़े हैं, लेकिन आज क्या देखने में आता है कल वहां पर बंगाल पौट्रीज नाम की एक कम्पनी आती है और वह कम्पनी वाले आज अगर सरकार को अप्रोच करते हैं कि वहां जमीन में चाइना क्ले है और वह उस को खोदना चाहते हैं, तो सरकार कह देती है कि यह नेशनल इम्पार्टेंस की चीज नहीं है, मैं समझता हूं कि आप की यह नीति ठीक नहीं है और हमारे विरोध करने पर जो आप यह अचानक कह देते हैं कि आप एक्सपर्ट्स नहीं हैं, यह आप को कहना शोभा नहीं देता। बस, मुझे इतनी ही बात आज कहनी थी, मुझे बहुत दुःख है कि इस गलत तरीके से इस बिल को पास किया जा रहा है।

मैं ने तीन महीने पहले अपने एमेन्डमेंट की सूचना दी थी। मैंने काफी समय दिया मंत्री महोदय को सोचने का, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। इसलिये मैं प्रोटैस्ट के साथ अपनी कंसेंट देते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री टी० के० चौधरी : अन्य भी अनेक राज्यों में चाहे इस के लिये अधिनियम हो, किन्तु कम से कम पश्चिमी बंगाल राज्य में कोई एसा अधिनियम अभी नहीं बना है।

मेरे यहां पुरातत्व सम्बन्धी सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय एवं राजनैतिक महत्व के भी उत्कृष्ट स्मारक हैं, किन्तु उन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोगों ने महाराजा नन्द कुमार के निवास स्थान के अभिरक्षण की सरकार से प्रार्थना की थी। उस की जांच भी हुई किन्तु फिर भी मामला ज्यों का त्यों ही रह गया। क्या वह राजनैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं बन सकता। फिर पुरातत्व विभाग भी इस में चाव नहीं रखता।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ने महाभारत काल के एक स्थान ताम्रलिप्ति के सम्बन्ध में जो अब तामलुक कहलाता है, संशोधन रखा था। मैं समझता था कि इन तीन महीनों में सरकार इस की जांच कर के मुझे सूचित करेगी कि यह स्वीकृति योग्य है अथवा नहीं। मैं ने इस विषय में माननीय गृह कार्य मंत्री से, जब वह पश्चिमी बंगाल के गवर्नर थे, चर्चा की थी। तथा बर्गानिमा मन्दिर को तालिका में सम्मिलित करने के विचार से वह प्रसन्न भी हुए थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तृतीय वाचन की अवस्था में किसी प्रकार का वाद विवाद अथवा संशोधन नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि उस अवस्था में भी ऐसे मामलों पर नहीं बोलना चाहिये जो संशोधन रखने के समय न्यायसंगत हों, चाहे संशोधन स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं। नियमानुसार हम केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहना चाहिये जो रखे गये हों तथा स्वीकृत कर लिये गये हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य नियम का पालन न कर यथेच्छा कार्य कर मेरी स्थिति को विषम बनाते जा रहे हैं। अतः मैं परामर्शदात्री समिति को यह मामला यथोचित कार्यवाही के लिये सौंपना चाहता हूं। जब कभी मैं अपना निर्णय देता हूं तो माननीय सदस्य समझते हैं कि मैं उन के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहा हूं और वह हर प्रकार की उल्टी सीधी बातें कहते हैं। मैं भी यहां बैठने की अपेक्षा माननीय सदस्यों के बीच बैठ कर इसी प्रकार की बातें कहना अधिक पसन्द करूंगा.... (अन्तर्बाधा)

श्री भगवत झा : मैं इस का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार मैं भी विरोध कर सकता हूं किन्तु उस से कोई लाभ नहीं। सदन में एकता की भावना होनी चाहिये। मैं इस मामले को प्रवर समिति को सौंपना चाहता हूं जिस से प्रत्येक माननीय सदस्य इन सभी मामलों को उस के सम्मुख रख सकें तथा सरकार को इन मामलों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो सके। स्मारकों के विषय में अनेक माननीय सदस्यों को कई प्रकार की शिकायतें हैं। किन्तु हमें विधेयक के क्षेत्र का सदैव ध्यान रखना चाहिये। माननीय मंत्री अनुपस्थित हैं तथा उप-मंत्री सदन में विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं।

माननीय मंत्री को यह चाहिये था कि वह ऐसे सदस्यों को एक सम्मेलन का आयोजन कर उन्हें इन मदों की उपयोगिता तथा आवश्यकता बताते हुए उन से स्मारकों के राष्ट्रीय महत्व के सम्बन्ध में पूछ कर सन्तुष्ट कर देते। प्रत्येक मद को सदन में रखने की अपेक्षा वह अपने कर्मचारियों द्वारा परीक्षा करवा कर उन को इस सम्बन्ध में बता देते। इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये थी। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को अधिकार रखते हुए भी बोलन का अवसर देना सम्भव नहीं जान पड़ता। मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव कुछ समय पूर्व ही प्रवर समिति के सम्मुख रखना अधिक पसन्द करता।

श्री के० डी० मालवीय : यदि मुझे अवसर दिया जाय तो मैं प्रत्यक संशोधन के, जिस की सूचना दी गई है, सम्बन्ध में बोल सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रत्येक मद पर यहां अलग अलग ध्यान नहीं दिया जा सकता । इस से तो सदन का बहुत समय नष्ट होगा । अच्छा होता यदि माननीय मंत्री उन सब सदस्यों को बुला कर उन की शंकाओं का समाधान कर देते । मेरा ख्याल तो यह था कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं महत्वपूर्ण असरकारी विधेयकों पर सदन में चर्चा की जाने के लिये अवसर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे विषय प्रवर समिति को सौंप दिये जाया करेंगे ताकि उन पर अच्छी तरह विचार भी हो जाये और सदन का समय भी नष्ट न हो ।

श्री एस० सी० सामन्त : बस मैं यह और कहूंगा कि जो संशोधन रखे गये हैं उन पर विचार किया जाये । यदि सरकार कोई और जानकारी चाहती है तो हम और बातें भी बतलाने को तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक बात और कहना चाहता हूं । विभिन्न दलों के नेता मंत्रणा समिति में प्रत्येक विधायिनी काय के लिये समय निश्चित किये जाने से पूर्व इस बात का अन्दाजा क्यों नहीं लगा लेते कि अमुक कार्य के लिये कम से कम इतना समय आवश्यक है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : कभी कभी वाद विवाद के दौरान में ऐसी चीजें उठ खड़ी होती हैं कि उन के बारे में पहले से अन्दाजा लगाना असम्भव हो जाता है । उदाहरण के लिये, आज ही जो शोरगुल मचाया गया वह ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप था जिनका अन्दाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शोरगुल तो नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जैसा कि स्वयं आपने भी कहा, आज सदन में काफी संभ्रांति सी प्रतीत हो रही थी और माननीय मंत्री ने जिस प्रकार व्यवहार किया ...

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं इस का विरोध करता हूं । मैं तो इसलिये खड़े होने की कोशिश कर रहा था कि ताकि सरकार के विचार बता सकूं । परन्तु कुछ सदस्य इसलिये असन्तुष्ट प्रतीत होते हैं कि उन के संशोधन क्यों स्वीकार नहीं किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी पर दोष रखने से कोई लाभ नहीं होगा । यह विषय ही कुछ विशेष प्रकार का है ।

अब मेरे पास कुल १½ घंटे हैं जब कि २० माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । अतः अब हमें इस विषय को यहीं समाप्त कर देना चाहिये । इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि उन संशोधनों का क्या बना जो दुर्भाग्य से यहां नहीं रखे गये । वे इसलिये छोड़ दिये गये ह क्योंकि ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने उन्हें पहले सूचना क्यों नहीं दे दी ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं उन्हें पहले सूचना दे चुका हूं । यदि आप मुझे कुछ मिनट दें, तो मैं सब बातें समझा सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन सब संशोधनों की जांच कर के एक व्यापक विधेयक पेश करें ।

श्री के० डी मालवीय : मैं संक्षेप में कुछ कह कर उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं जो यहां हो गई है। दुर्भाग्य से ये संशोधन सदन के समक्ष नहीं आये और इसलिये मझे उन पर बोलने का मौका नहीं मिला। अन्यथा मैं उन सब सदस्यों को सन्तुष्ट कर देता जो मुझ से नाराज हैं।

अब मैं यह बताऊंगा कि हम कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का क्यों घोषित कर रहे हैं और कुछ को क्यों नहीं। बहुत से स्मारकों के बारे में हम से बहुत देर से कहा गया, अतः हम उन पर सब दृष्टियों से विचार नहीं कर सके। हम ने उन के बारे में जांच करवाने का फैसला किया। यदि विभाग समझेगा कि वे भी राष्ट्रीय महत्व के हैं तो अगले संशोधन विधेयक में वे भी सम्मिलित कर दिये जायेंगे।

उदाहरण के लिये मेरे मित्र श्री भगवत झा ने कुछ दिन पहले मुझे संशोधनों की सूचना दी थी। हम ने उन की जांच कराई और जांच के बाद यह पता चला कि उन में से अधिकांश १९५१ के अधिनियम में स्वीकार कर लिये गये थे। उन को केवल बटेश्वर पहाड़ी की चोटी के बारे में चिंता है। पुरातत्व विभाग ने राज्य सरकार के साथ मिल कर इस की जांच करके यह राय दी है कि इसे राष्ट्रीय महत्व घोषित करना आवश्यक नहीं है। वह हिस्सा अब बंगाल पौटरी कम्पनी के अधिकार में है। यदि आज मैं सब बातों पर विचार करे बिना इसे राष्ट्रीयि महत्व का मान लूं तो मैं नहीं कह सकता कि स्थिति क्या हो जायगी। हो सकता है कि हमें इसे प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक प्रतिकर देना पड़ जाये। अतः यदि उन की इच्छा है तो हम इस विषय में एक बार फिर जांच करा लेंगे और यदि केन्द्रीय और राज्य सरकार राजी हो जावेंगी तो वह अगली सूची में शामिल कर लिया जायेगा।

डा० राम सुभ सिंह, बाबू कुंवर सिंह के महल के बारे में बहुत चिंतित थे। मेरी भी व्यक्ति गत राय यह है कि वह सूची में शामिल कर लिया जाये। परन्तु कठिनाई यह है कि वहां सारी इमारत नहीं है। उस स्थान पर नई इमारत खड़ी हो गई है। पहले का तो केवल स्थान और कुछ दीवारें हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाये तो सारी नई इमारत को भी उस में शामिल किया जाय या केवल पुराने स्थान को ही राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाये। इस की जांच की जानी होगी। इसलिये यह भी सूची में शामिल नहीं किया जा सका।

कुछ और संशोधनों में भी कुछ स्थानों के शामिल किये जाने की मांग की गई थी। उन्हें भी इसलिये शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि उन की जांच पूरी नहीं हो सकी थी। उन में से अधिकांश इसलिये शामिल नहीं किये गये क्योंकि उन्हें पर्याप्त राष्ट्रीय महत्व का नहीं समझा गया। मेरे मित्र श्री धुलेकर ने झांसी की रानी के महल का उल्लेख किया। वह महल राज्य सरकार के कब्जे में है। हम बिना कोई नोटिस दिये राज्य सरकार से उसे खाली करने के लिये नहीं कह सकते।

एक माननीय सदस्य : आप के पास अधिकार हैं।

श्री के० डी० मालवीय : मैं जानता हूं कि हमारे पास अधिकार हैं। परन्तु उन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा सकता। अभी राज्य सरकार उसे खाली करने को तैयार नहीं हुई है। ज्यों ही हमें यह इमारत मिल जायगी हम उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देंगे। परन्तु इस समय हम ऐसा नहीं कर सकते।

अशोक (राष्ट्रीय महत्वकी घोषणा) संशोधन विधेयक

[श्री के० डी० मालवीय]

जहां तक श्री सामन्त के संशोधन का प्रश्न है, हम ने इस की जांच करवाई थी और विशषज्ञों की राय यह है कि वह मन्दिर संरक्षण के योग्य नहीं है। अतएव मैं इस सुझाव को मानने से लाचार हूं।

इस प्रकार तीन तरह के संशोधन हैं : कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें हम इसलिये नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि वे राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिन की अभी जांच हो रही है और कुछ इस प्रकार के हैं जो सूची में सम्मिलित तो किये जा सकते थे परन्तु उन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण अब सन्तुष्ट हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरी मुलाकात कल थाइलैण्ड के एक महानुभाव से हुई थी। वह एक सम्मेलन के सिलसिले में भारत आये थे और सम्मेलन के बाद बौद्ध स्थानों को देखने भी गये थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि ऐसे बौद्ध स्थानों पर पहुंचने के रास्ते बड़े दुर्गम हैं। अतः उन्होंने मुझ से यह कहा कि मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन कर दूं कि यदि उन स्थानों के रास्ते सुधार दिये जायें तो अब से दस गुना लोग इस देश को देखने आवेंगे।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : आप ने कहा कि एक नया व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया जाय जिस से कि इन सब संशोधनों पर विचार किया जा सके।

श्री के० डी० मालवीय : यह जल्दी से जल्दी पेश किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आश्वासन दे दिया है। इस बीच माननीय सदस्य, माननीय मंत्री को लिख सकते हैं।

मनीपुर कोर्ट फीस (संशोधन तथा मान्यता) विधेयक

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मनीपुर कोर्ट फीस (संशोधन तथा मान्यता) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "That the Bill to amend the court-fees Act, 1870, in its application to the State of Manipur, for the purpose of giving effect in that State to certain amendments made in that Act by Assam Act VIII of 1950, and to validate the levy of court fees in certain cases, be taken into consideration."

["मनीपुर राज्य में लाग होने के लिये १८७० का कोर्ट फीस अधिनियम का सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय जिस से कि १९५० के आसाम अधिनियम संख्या आठ द्वारा उस अधिनियम में किये गये संशोधन उस राज्य में प्रभावी हो सकें तथा कुछ मामलों में कोर्ट फीस लेना मान्य हो सके।"]

श्रीमान इस विधेयक पर अधिक कुछ नहीं कहना है। १८७० का कोर्ट फीस अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है। १९५० में जब मनीपुर राज्य भारत का अंग बना तब यह अधिनियम वहां पर भी लागू किया गया। उस समय यह स्मरण न रहा कि इस अधिनियम का संशोधन आसाम अधिनियम द्वारा हो चुका है तथा इसी

रूप में वह मनीपुर में भी लागू किया गया है आसाम अधिनियम की दरें कुछ अधिक हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि उस अधिनियम के पारित होने की तारीख से मनीपुर में आसाम अधिनियम प्रभावी बनाया जाय तथा इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए जिस से कि पिछले तीन सालों में ली गई फीस को विधिवत मान्य करार कर दिया जाए ।

आसाम में जो कानून लागू हैं, वे ही मनीपुर में लागू किये गये हैं इस कारण यह गलती हो गई । मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

श्री के० के० बोस (डायमंड हार्बर) : उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कम दर पर कोर्ट फीस दी है ? साधारणतया कम कोर्ट फीस देने वालों को या तो माफ कर दिया जाता है अथवा उन्हें आर्थिक दण्ड दिया जाता है । यदि इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया तो उन लोगों को दंडित होना पड़ेगा जिन्हों ने कम कोर्ट फीस दी है । इस से काफी कठिनाई उपस्थित होगी । मत्री जी को आश्वासन देना चाहिये कि ऐसे लोगों को दंडित न होना पड़ेगा ।

डा० काटजू : अप्रैल १९५० से सब लोगों का यही ख्याल था कि आसाम द्वारा संशोधित रूप में ही कोर्ट फीस अधिनियम मनीपुर में लागू है । यदि किसी ने कम दर पर कोर्ट फीस दी है तो उस से अधिक पैसे देने के लिये नहीं कहा जायेगा। इस से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी ।

श्री के० के० बसु : आप का मतलब यह है कि सब ने आसाम अधिनियम द्वारा संशोधित कोर्ट फीस अधिनियम को माना है और अभी तक ऊंचे दर पर ही कोर्ट फीस ली गई है अतएव प्रश्न केवल सारी बात को मान्यता देने का है ।

डा० काटजू : लोग समझते हैं कि आसाम अधिनियम १९५० से लागू हैं । हम चाहते हैं कि इसे मान्यता दी जाये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : उन का क्या होगा जिन्होंने कम दर पर फीस दी है । मान लीजिये यदि कोई मुकद्दमा चल रहा है और कम दर पर कोर्ट फीस दी गई है । इस दशा में क्या मुकद्दमा कम फीस के कारण समाप्त किये जाने की संभावना नहीं है ? ऐसे मामलों में आप ने क्या उपबन्ध किया है ।

डा० काटजू : कम अधिक दर का प्रश्न ही नहीं है । सब ने आसाम कोर्ट फीस अधिनियम के अनुसार फीसें दी हैं । यदि किसी ने कम दर पर दी हैं तो उस से अधिक पैसा न लिया जाएगा । हम इस अधिनियम द्वारा आसाम कोर्ट फीस अधिनियम को ही मान्यता प्रदान कर रहे हैं ।

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया । वह स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३ के लिये कोई संशोधन नहीं था । वे विधेयक का अंग बना लिये गये ।

खंड १ (संक्षिप्त नाम तथा क्षेत्र)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड १ में "१९५२" के स्थान पर "१९५३" रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रश्न प्रस्तुत किया । वह स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रश्न प्रस्तुत किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टेलीग्राफ तार (अवैध कब्ज़ा) संशोधन विधेयक--जारी

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"That the Bill to amend the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950, be taken into consideration."

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि टैली ग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम १९५०, को संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान्, टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम १९५० में पारित हुआ था जब तांबे के माल के बढ़ने से चोरियां बढ़ गई थीं। न्यायालयों ने धारा ५ के अनुसार यह ठहराया कि डाक तार विभाग को यह सिद्ध करना होगा कि चराया गया तार इस विभाग का है। हमें यह सिद्ध करना कठिन था। अतएव इस विधेयक के पारित करने का उद्देश्य ही विफल हो गया। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि यह जिम्मेवारी लोगों की हो कि वे बतायें कि उन के पास तार कहां से आया और यह सिद्ध करें कि वह तार डाक तार विभाग का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री धुलेकर (झांसी ज़िला, दक्षिण) : क्या डिस्पोज़ल से अथवा किसी सरकारी विभाग ने उतने मोटे तार बेचे थे जितने मोटे तारों का जिक्र विधेयक में है ?

श्री राजबहादुर : वे तार खास मोटाई के हैं। मूल अधिनियम में हम ने लोगों को मौका दिया था कि वे खास तारीख तक यह बता दें कि उन के पास तार है। वे उस के ढेले भी बनवा लें, यह भी कहा गया था। अब यदि खास मोटाई का तार किसी के पास पाया गया तो उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : क्या डाक तार विभाग के चोरी गये ४७,००० पौंड ताम्बे के तार को पाने के लिये ही यह विधेयक बनाया गया है ?

श्री राजबहादुर : इस का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मुख्य अधिनियम के अनुभव के आधार पर ही यह बनाया गया है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह संशोधन मान्य सिद्धान्त के विरुद्ध है। जिस के पास खास मोटाई का तार पाया जायेगा उसे चोर समझा जायेगा।

क्या इस प्रकार का तार और कहीं नहीं नहीं बनता या लोगों द्वारा बनाया जाता ?

श्री राज बहादुर : इस प्रकार का तार सिर्फ टेलीग्राफ के अन्य किसी काम में नहीं लाया जाता ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह कहीं और खरीदा या बनवाया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : मूल अधिनियम के अनुसार हम ने यह सुविधा दी थी कि जिन के पास इस प्रकार का तार हो वे सुचना दे दें तथा उस के ढले बनवा ले । अतएव आशा यह है कि डाक-तार विभाग के सिवा और किसी के पास ऐसा तार नहीं है । अब यदि किसी के पास ऐसा तार पाया जायेगा तो उसे अपराधी माना जायेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या इस का आयात हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के अनुसार आयात करने वाला भी अवैध कब्जा वाला ठहराया जायेगा ।

श्री राजबहादुर : विधेयक में लिखा है कि यदि कोई एसा तार रखना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी पड़ती है ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : लड़ाई के ज़माने में इस प्रकार का तार बेचा गया था । कुछ अमरीकी अफसरों ने इस के प्रमाण पत्र दिये थे जिस से बहुत से लोग छूट गये ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : क्या इस प्रकार के तार खले बाजार में बेचे जा सकते हैं और क्या कोई व्यक्ति इन्हें खरीद सकता है ।

श्री बी० एन० चौधरी (घाटल) : नई धारा ४-क के अनुसार इस प्रकार का तार सरकारी अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता । पर यह भी सच है कि ऐसा बहुत सा तार लड़ाई के जमाने में डिस्पोज़ल से बेचा गया था । हम चाहते हैं कि चोरों के प्रति कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । इस विधेयक में न्याय के सिद्धान्त का भी प्रश्न है । हम मानते हैं कि इस प्रकार का महंगा तार चोरी नहीं जाना चाहिये परन्तु क्या यह सिद्ध करने की जिम्मेवारी कि तार चुराया नहीं गया है, उन लोगों की होनी चाहिये जिन के कब्जे में यह तार हो । न्याय शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक स्थगित होती है । कल इसी विषय पर विवाद होगा ।

इसक पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार ४ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।